Drishti IAS Presents...

PT SPRINT 2022

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

(जनवरी 2021 – मार्च 2022)

Drishti IAS, 641, Mukherjee Nagar, Opp. Signature View Apartment, New Delhi

Drishti IAS, 21 Pusa Road, Karol Bagh New Delhi - 05

Drishti IAS, Tashkent Marg, Civil Lines, Prayagraj, Uttar Pradesh

Drishti IAS, Tonk Road, Vasundhra Colony, Jaipur, Rajasthan

e-mail: englishsupport@groupdrishti.com, Website: www.drishtiias.com

Contact: 011430665089, 7669806814, 8010440440

अनुक्रम

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 3

- रूस-यूक्रेन संघर्ष 3
- अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता: दिल्ली 5
- रमना काली मंदिर: बांग्लादेश 6
- चीन ने पैंगोंग झील पर बनाया पुल 7
- चीन का नया सीमा कानून 8
- दलाई लामा 9
- चीन के साथ भारत का व्यापार 9
- चीन को विकासशील देश का टैग: विश्व व्यापार संगठन 10
- चीन-ताइवान संघर्ष 10
- हिद महासागर में चीन का नया समुद्री-सड़क-रेल लिंक 11
- विदेशी जहाज़ों हेतु चीन के नए समुद्री नियम 12
- श्रीलंका संकट पर चार सूत्री रणनीति 12
- अमेरिका द्वारा चीन पर नए प्रतिबंध 13
- उत्तर कोरिया पर अमेरिकी प्रतिबंध 13
- ज़ेन गार्डन - काइज़न अकादमी 13
- एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) 14
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 14
- एंटोनियो गुटेरेस: दूसरे कार्यकाल के लिये संयुक्त राष्ट्र महासचिव 15
- परमाणु प्रसार रोकने का संकल्प: UNSC के पाँच स्थायी सदस्य 15
- तालिबान पर संकल्प 2593: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 16
- 'यूनाइट अवेयर' प्लेटफॉर्म 17
- दावोस शिखर सम्मेलन: विश्व आर्थिक मंच 18
- SCO- क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना (RATS) 18
- संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय 19
- अफगानिस्तान के लिये मानवीय ट्रस्ट फंड: OIC 19
- IEA ने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिये आमंत्रित किया 20
- 13वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 21
- पूर्वी आर्थिक मंच (EEF) 21
- FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा 22
- नया क्वाड 24
- विरोध का अधिकार 25
- पाकिस्तान: FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार 26
- G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 27
- बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) पहल 27
- मिशन सागर 28
- GERD पर गतिरोध 29
- दक्षिण अफ्रीका में हिंसक विरोध प्रदर्शन 29
- कुलभूषण जाधव केस 33
- 'गिलगित-बाल्टिस्तान' को प्रांतीय दर्जा 33
- बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन 34
- नया पुल: भारत और नेपाल 35
- भूटान में लॉन्च हुआ भीम-UPI 36
- तीसरा भारत-मध्य एशिया संवाद 36
- CICA विदेश मंत्रियों की 6वीं बैठक 37
- अमेरिका प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम 39
- परमाणु पनडुब्बी गठबंधन: AUKUS 39
- नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 40
- ग्लोबल गेटवे प्लान: ईयू 40
- BTIA की पुन: वार्ता: भारत-यूरोपीय संघ 41
- चौथी भारत-स्विस वित्तीय वार्ता 41
- वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (OSOWOG) 42
- आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक 42
- अटलांटिक चार्टर 45
- अंटार्कटिक संधि 46
- भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 48
- हूती विद्रोहियों का यूएई पर हमला 49
- भारत और ओमान 51
- ईरान का समृद्ध यूरेनियम भंडार 52
- सीईपीए: भारत-यूएई 53
- भारत और इज़रायल संबंध 54
- अल-अक्सा मस्जिद और शेख जर्राह 55
- 'हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी' का 7वाँ संस्करण 56
- हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का पहला रिस्पांडर 57
- मॉरीशस के अगलेगा द्वीप समूह में भारतीय बेस 59
- चिली के संविधान का पुनर्लेखन 60
- क्यूबा में विरोध-प्रदर्शन 61
- रूसी उपकरणों पर भारतीय सैन्य निर्भरता 61
- बारबाडोस: दुनिया का सबसे नया गणराज्य 62
- टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम 63
- नया क्वाड 63
- भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रथम 2+2 वार्ता 64
- कॉन्ग्रेशनल गोल्ड मेडल 64
- सेंट क्वीन केटेवन के अवशेष: जॉर्जिया 64
- परमाणु शस्त्रागार का वैश्विक विस्तार: SIPRI रिपोर्ट 65

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

रूस-यूक्रेन संघर्ष

संदर्भ

यूक्रेन संकट सीमा से बाहर हो गया है, रूस यूक्रेन के कथित 'विसैन्यीकरण' और नाज़ी प्रभाव मुक्ति' (Demilitarise' and 'Denazify') के लिये आक्रमण करके पूर्वी यूक्रेन (डोनबास क्षेत्र) के डोनेट्स्क (Donetsk) और लुहान्स्क (Luhansk) विद्रोही क्षेत्रों को मान्यता प्रदान कर रहा है।

- मॉस्को का यह निर्णय यूरोप में राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन नहीं करने पर वर्ष 1975 के हेलसिंकी समझौते में व्यक्त सहमति को अस्वीकार करता है जो वैश्विक व्यवस्था के लिये एक बड़ी चुनौती है। भारत के लिये एक ओर जहाँ रूस उसके सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा एवं समय मानकों पर खरा उतरा आपूर्तिकर्त्ता बना रहा है, वहीं अमेरिका, यूरोपीय संघ एवं यू.के. भारत के महत्त्वपूर्ण भागीदार हैं जिन्हें नाराज़ करने का खतरा नहीं उठाया जा सकता। भारत के रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए भारत ने अब तक जिस संतुलित दृष्टिकोण का पालन किया है, वही उपयुक्त व्यावहारिक तरीका हो सकता है।

संघर्ष का कारण

- शीत युद्ध के बाद के युग में मध्य यूरोपीय क्षेत्रीयता को लेकर संघर्ष और गौरवपूर्ण रूसी अतीत को पुनर्जीवित करने की इच्छा यूक्रेन संकट के मूल में है।
- यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंधों की साझेदारी करते हैं।
- रूस में और यूक्रेन के जातीय रूप से रूसी भागों में कई लोगों के लिये दोनों देशों की साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा है, जिसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिये दोहन होता रहा है।
- सोवियत संघ के एक भाग के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था और रणनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थिति रखता था।
  - क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, यूक्रेन का रूस एवं पश्चिम के बीच एक महत्त्वपूर्ण बफर क्षेत्र होना, नाटो की सदस्यता पाने का यूक्रेन का प्रयास और काला सागर क्षेत्र में रूस के हितों के साथ ही यूक्रेन में विरोध प्रदर्शन जारी वर्तमान संघर्ष के प्रमुख कारण हैं।

वर्तमान परिदृश्य

- यह संघर्ष द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर किया गया सबसे बड़ा हमला है. इसके साथ ही यह 1990 के दशक में चले बाल्कन संघर्ष के बाद का पहला बड़ा संघर्ष है।
- यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के साथ वर्ष 2014 के मिंस्क प्रोटोकॉल (Minsk Protocols) और वर्ष 1997 के रूस-नाटो एक्ट जैसे समझौते लगभग निष्प्रभावी हो गए हैं।
- G-7 देशों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की कड़ी निंदा की है।
  - प्रतिक्रिया में अमेरिका, यूरोपीय संघ (EU), यू.के., ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान द्वारा रूस पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं ।
- चीन ने यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई को 'आक्रमण' कहना स्वीकार नहीं किया और सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है।
- भारत पश्चिमी शक्तियों द्वारा क्रीमिया में रूस के हस्तक्षेप की निंदा करने में शामिल नहीं हुआ था और इस मुद्दे पर किसी सार्वजनिक बयान से परहेज ही किया था।
- वर्तमान मामले में भारत ने अमेरिका द्वारा प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव जहाँ यूक्रेन के विरुद्ध रूस की 'आक्रामकता' की 'कठोरतम शब्दों में निंदा' की गई, पर मतदान से अनुपस्थित रहने का रास्ता चुना। इस अवसर पर भारत ने 'डायलॉग' और 'डिप्लोमेसी' शब्दों पर ज़ोर देते हुए कहा कि संवाद (Dialogue) ही मतभेदों एवं विवादों को दूर करने का एकमात्र उपाय है और उसने 'अफ़सोस' जताया कि इस मामले में कूटनीति (Diplomacy) का रास्ता छोड़ दिया गया।
  - भारत के अलावा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और चीन ने भी मतदान में भाग नहीं लिया।

रूस का पक्ष और दृष्टिकोण

- रूस का दृष्टिकोण यह है कि नाटो के विस्तार ने सोवियत संघ के विखंडन से पूर्व किये गए वायदों का उल्लंघन किया है कि नाटो में यूक्रेन का प्रवेश रूस के लिये खतरे की स्थिति को पार कर जाएगा और नाटो की रणनीतिक मुद्रा रूस के लिये एक सतत् सुरक्षा ख़तरा उत्पन्न करती है।
- सोवियत संघ और वारसॉ संधि के विघटन के बाद भी एक राजनीतिक-सैन्य गठबंधन के रूप में नाटो का विस्तार एक अमेरिकी पहल थी जिसका उद्देश्य रणनीतिक स्वायत्तता के लिये यूरोपीय महत्त्वाकांक्षाओं को नियंत्रित रखना और रूस के पुनरुत्थान का मुक़ाबला करना है।

- सुरक्षा हितों और पूर्व सोवियत गणराज्यों में रूसियों के अधिकारों की रक्षा करने के आधार पर रूसी राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन संकट को उचित ठहराया गया था।
- रूस पश्चिम से यह आश्वासन चाहता है कि यूक्रेन को कभी भी नाटो में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्तमान में उसे 'भागीदार देश' का दर्जा प्राप्त है जिसका अर्थ है कि उसे भविष्य में इस सैन्य गठबंधन में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।
  - अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देश यूक्रेन को नाटो से प्रतिबंधित करने से इनकार कर रहे हैं, उनका दावा यह है कि यूक्रेन एक संप्रभु देश है जो अपने स्वयं के सुरक्षा गठबंधनों को चुनने के लिये स्वतंत्र है।

भारत पर इस संघर्ष के प्रभाव

- रूस-यूक्रेन संकट भारतीय घरों और व्यवसायों के लिये रसोई गैस, पेट्रोल एवं अन्य ईंधन खर्चों को बढ़ा देगा। तेल की ऊँची कीमतों से माल ढुलाई/परिवहन लागत में भी वृद्धि होती है।
- वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों के अधिक समय तक ऊँचे बने रहने की स्थिति में उत्पन्न तनाव मुद्रास्फीति अनुमानों के संबंध में RBI की विश्वसनीयता को प्रश्नगत कर सकती है, जबकि इससे सरकार की बजटीय गणना, विशेष रूप से राजकोषीय घाटा भी प्रभावित हो सकते हैं।
  - कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से भारत के तेल आयात बिलों में वृद्धि होगी और रुपए के दबाव में रहने से सोने का आयात पुन: बढ़ सकता है।
- रूस से भारत के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात उसके कुल तेल आयात बिल का केवल एक अंश ही है और इस प्रकार इसकी भरपाई की जा सकती है।
  - लेकिन उर्वरकों और सूरजमुखी के तेल के वैकल्पिक स्रोत ढूँढना इतना आसान नहीं होगा।
- रूस को निर्यात भारत के कुल निर्यात का 1% से भी कम है, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स एवं चाय के निर्यात को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि CIS देशों को शिपमेंट में भी कुछ कठिनाई आएगी। माल ढुलाई दरों में बढ़ोतरी से कुल निर्यात भी कम प्रतिस्पर्द्धी हो सकता है।

आगे की राह

- तत्काल युद्धविराम: शीत युद्धकाल के विपरीत वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था गहनता से एकीकृत है। लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की लागत बहुत गंभीर हो सकती है जो अभी ही यूक्रेन में जीवन की हानि और पीड़ा के रूप में प्रकट होने लगी है।
  - दुनिया अभी भी कोविड-19 महामारी से जूझ रही है जिसने निर्धनतम देशों और लोगों को सर्वाधिक प्रभावित किया है। ऐसे समय विश्व एक युद्ध-प्रेरित मंदी का सामना कर सकने में अक्षम ही होगा।
  - यह दायित्व रूस पर है कि वह तत्काल युद्ध विराम लागू करे और फिर दोनों पक्ष वार्ता करें। संघर्ष आगे बढ़ाना उपयुक्त नहीं है।
- यूरोप के लिये नई सुरक्षा व्यवस्था: जिस तरीके से रूस ने कथित 'गलत' को 'सही' करने का निर्णय लिया है, उसे तर्कसंगत ठहराए बिना भी यह स्पष्ट है कि वर्तमान संकट किसी न किसी प्रकार यूरोप में एक विखंडित सुरक्षा व्यवस्था का ही परिणाम है।
  - संवहनीय सुरक्षा व्यवस्था में वर्तमान वास्तविकताओं का प्रतिबिंबन महज शीतयुद्ध कालीन व्यवस्था का परिणाम नहीं हो सकता और इसे आंतरिक रूप से संचालित किया जाना चाहिये।
  - इसके साथ ही ऐसी यूरोपीय व्यवस्था जो व्यावहारिक वार्ता के माध्यम से रूस की चिंताओं को समायोजित नहीं करे, लंबे समय तक स्थिर नहीं बनी रह सकती।
- 'मिंस्क शांति प्रक्रिया' को पुनर्जीवित करना: स्थिति का एक व्यावहारिक समाधान 'मिंस्क शांति प्रक्रिया' (Minsk Peace Process) को पुनर्जीवित करने में निहित है।
  - इस प्रकार, पश्चिम (अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों) को दोनों पक्षों को बातचीत फिर से शुरू करने और सीमा पर सापेक्ष शांति बहाली के लिये मिंस्क समझौते के अनुरूप अपनी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति करने के लिये प्रेरित करना चाहिये।

भारत-विशिष्ट आगे की राह

- भू-राजनीतिक पहलू: भारत को रूसी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप उत्पन्न कुछ तात्कालिक चुनौतियों का सामना करने के लिये स्वयं को तैयार करना होगा।
  - इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की निंदा करने के लिये एक रणनीतिक साझेदार की ओर से दबाव और दूसरे साझेदार की वैध चिंताओं को समझने के बीच एक संतुलन साधना होगा। वर्ष 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे से उत्पन्न संकट के दौरान भारत ने इन दबावों को कुशलता से प्रबंधित किया था और अपेक्षित है कि वह एक बार फिर प्रभावी ढंग से इस संकट को प्रबंधित करेगा।
- आर्थिक पहलू: राजकोषीय दृष्टिकोण से सरकार (जो बजट में अपने राजस्व अनुमानों को लेकर रूढ़िवादी रही है) के पास इस वैश्विक मंथन के बीच मुद्रास्फीति अनुमानों को कम करने के लिये घरेलू ईंधन करों में पूर्व-क्रय कटौती करने, खपत स्तर को कम करने और भारत की नाजुक पोस्ट-कोविड रिकवरी को जारी रखने का अवसर मौजूद है।

- एक संतुलित दृष्टिकोण: भारत-रूस संबंधों ने यह सुनिश्चित किया कि दिल्ली को अफगानिस्तान पर वार्ता और मध्य एशिया से पूरी तरह बाहर नहीं रखा जा सकता, जबकि अमेरिका के साथ भी कुछ लाभ की स्थिति प्राप्त हुई।
  - इसके साथ ही अमेरिका, यूरोपीय संघ और यू.के. सभी महत्त्वपूर्ण भागीदार हैं और उनमें से प्रत्येक के साथ तथा सामान्य रूप से पश्चिमी विश्व के साथ भारत के संबंध किसी एक घटना या विषय तक सीमित नहीं हैं।
  - दिल्ली को यह ध्यान में रखते हुए कि किसी भी देश की क्षेत्रीय संप्रभुता के उल्लंघन का कोई औचित्य नहीं है, सभी पक्षों से बातचीत जारी रखनी चाहिये और अपने सभी भागीदारों के साथ संलग्न बने रहना चाहिये।
  - भारत को दबाव बनाने वाले देशों के समक्ष यह भी स्पष्ट कर देना चाहिये कि उनका 'हमारे साथ या हमारे विरुद्ध' (With us or Against us') का फॉर्मूला रचनात्मक या संवादपरक नहीं माना जा सकता।
  - सभी पक्षों के लिये सर्वोत्कृष्ट राह यह है कि वे एक कदम पीछे हटें और समग्र युद्ध की संभावना को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें, बजाय इसके कि विश्व में विभाजन उत्पन्न हो और एक बार फिर शीत युद्ध की स्थिति बने।

अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता: दिल्ली

चर्चा में क्यों ?

आने वाले दिनों में भारत 'अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता' की मेजबानी करेगा।

- बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSAs) के स्तर पर होगी और इसकी अध्यक्षता भारत के एनएसए अजीत डोभाल करेंगे।

प्रमुख बिंदु:

- बैठक के बारे में:
  - आमंत्रित प्रतिभागी: भारत के शीर्ष सुरक्षा प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने व्यक्तिगत बैठक आयोजित करने का बीड़ा उठाया है।
    - इसके लिये अफगानिस्तान के पड़ोसियों जैसे- पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान,उज़्बेकिस्तान, रूस और चीन सहित अन्य प्रमुख देशों को निमंत्रण भेजे गए थे।
  - बैठक की ज़रूरत: अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्ज़ा करने के बाद भारत इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंतित है।
  - उद्देश्य: इस संदर्भ में भारत ने देश की वर्तमान स्थिति और भविष्य के दृष्टिकोण पर क्षेत्रीय हितधारकों एवं महत्त्वपूर्ण शक्तियों का एक सम्मेलन आयोजित करने के लिये यह पहल की है।
  - भारत का हित: यह बैठक अफगानिस्तान पर भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिये भारत की कोशिश हो सकती है।
    - यह बैठक भारत के सुरक्षा हितों की रक्षा के लिये दुनिया के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की आवश्यकता को भी दर्शाती है।
  - प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया: मध्य एशियाई देशों के साथ-साथ रूस और ईरान ने भी भागीदारी की पुष्टि की है।
    - इस संबंध में उत्साहजनक प्रतिक्रिया अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये क्षेत्रीय प्रयासों में भारत की भूमिका से जुड़े महत्त्व की अभिव्यक्ति है।
  - पाकिस्तान और चीन का इनकार: पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने माना है कि वह बैठक में शामिल नहीं होंगे।
    - चीन ने भी समय की कमी के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा बैठक में भाग नही लेने का फैसला किया है, लेकिन द्विपक्षीय चैनलों के माध्यम से भारत के साथ चर्चा जारी रखने के लिये तैयार है।
    - भारत का मानना है कि पाकिस्तान द्वारा इस बैठक में भाग लेने से इनकार करना अफगानिस्तान को अपने संरक्षित देश के रूप में देखने की पाकिस्तान की मानसिकता को दिखाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय:

- भारत ने 1999 में एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) का गठन किया, जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर इसके द्वारा विचार-विमर्श किया जाता है।
  - एनएससी(NSC) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है।
- NSC में त्रि-स्तरीय संरचना शामिल है- रणनीतिक नीति समूह (SPG), राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय।
- गृह, रक्षा, विदेश और वित्त मंत्री इसके सदस्य हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसके सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
- अफगानिस्तान में भारत के हित:
  - सामरिक लाभ: अफगानिस्तान में भारत की रणनीति एक ऐसी सरकार को बनने से रोकने की है जो पाकिस्तान को रणनीतिक लाभ और आतंकी समूहों के लिये एक सुरक्षित स्थान प्रदान करे।

- सॉफ्ट पावर रणनीति: भारत ने अफगानिस्तान में 'सॉफ्ट पावर' रणनीति को आगे बढ़ाने का विकल्प चुना है तथा रक्षा और सुरक्षा के बजाय नागरिक क्षेत्र में पर्याप्त योगदान देने को प्राथमिकता दी है।
- विकासात्मक परियोजनाएँ: भारत निर्माण, बुनियादी ढाँचे, मानव पूंजी निर्माण और खनन क्षेत्रों में विशेष रूप से सक्रिय है।
  - इसके अलावा सहयोग के लिये दूरसंचार, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा आदि क्षेत्रों में भी संलग्न है।
- आर्थिक सहायता: दो द्विपक्षीय समझौतों के ढाँचे के भीतर भारत ने अफगानिस्तान को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता देने का वादा किया है। वर्ष 2017 के अंत तक निवेश पहले ही 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुका है।
  - इस प्रकार भारत अफगानिस्तान की स्थिरता और आर्थिक तथा सामाजिक विकास में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
- संपर्क परियोजनाएँ: भारत 600 किलोमीटर लंबे बामियान-हेरात रेल लिंक के निर्माण पर भी सहमत हो गया है जो हाजीगक खानों को हेरात से जोड़ेगा।
  - इसके अलावा भारत चाबहार के ईरानी बंदरगाह का विकास कर रहा है जो डेलाराम-ज़ारंज राजमार्ग के माध्यम से अफगानिस्तान से जुड़ेगा।
  - यदि अफगानिस्तान में शांति स्थापित हो जाती है, तो यह एशिया के मध्य में संपर्क गलियारे के रूप में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन सकता है।

- अफगानिस्तान पर भारत का दृष्टिकोण:
  - भारत अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार से सीधे तौर पर निपटने के लिये तैयार नहीं है।
  - भारत ने दोहराया कि अफगानिस्तान को निम्नलिखित का ध्यान रखना चाहिये:
    - अपनी धरती को आतंक के लिये सुरक्षित पनाहगाह न बनने दें।
    - प्रशासन समावेशी होना चाहिये।
    - अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिये।
    - अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया का नेतृत्व, स्वामित्व और नियंत्रण अफगान लोगों द्वारा किया जाना चाहिये।

आगे की राह

- रूसी समर्थन: हाल के वर्षों में रूस ने तालिबान के साथ संबंध विकसित किये हैं। तालिबान के साथ किसी भी तरह के सीधे जुड़ाव में भारत को रूस के समर्थन की आवश्यकता होगी।
- चीन के साथ संबंध: भारत को अफगानिस्तान में राजनीतिक समाधान और स्थायी स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से चीन के साथ बातचीत करनी चाहिये।
- तालिबान से जुड़ना: तालिबान से बात करने से भारत निरंतर विकास सहायता या अन्य प्रतिज्ञाओं के बदले में विद्रोहियों से सुरक्षा गारंटी लेने के साथ-साथ पाकिस्तान से तालिबान की स्वायत्तता का पता लगाएगा।

रमना काली मंदिर: बांग्लादेश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने रमना, ढाका (बांग्लादेश) में पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया, जहाँ ऐतिहासिक सुहरावर्दी उद्यान (पूर्व रमना रेस कोर्स) स्थित है।

- पुनर्निर्मित रमना कालीबाड़ी का उद्घाटन मुक्ति संग्राम में बांग्लादेश और भारत की जीत की 50वीं वर्षगाँठ के साथ हुआ, जो दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्वर्ण जयंती का भी प्रतीक है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया था और क्रूर कार्रवाई के कारण नरसंहार हुआ एवं बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ।
    - मार्च 1971 में पश्चिम पाकिस्तान ने बंगालवासियों के आत्मनिर्णय को दबाने के लिये पूर्वी पाकिस्तान में एक नरसंहार का नेतृत्व किया। पूर्वी पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जनवादी गणराज्य की स्थापना हेतु लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - पाकिस्तान से मुक्त होने के बाद बांग्लादेश के लोगों द्वारा प्रार्थना करने के लिये साइट पर एक छोटा मंदिर स्थापित किया गया।
  - वर्ष 2017 में परिसर के पुनर्निर्माण की घोषणा उस समय की गई थी, जब तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री ने बारीधारा, ढाका में 15 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
  - ऐतिहासिक रमना काली मंदिर भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक बंधन का प्रतीक है।
- रमना काली मंदिर:
  - माना जाता है कि देवी काली को समर्पित इस मंदिर का निर्माण मुगल काल के दौरान किया गया था। इसे 400 साल पुराना माना जाता है, हालाँकि यह बताना मुश्किल है कि इसे किस वर्ष बनाया गया था।

- यह मंदिर एक हिंदू संप्रदाय द्वारा बनाया गया था, लेकिन यह पहचान करना मुश्किल है कि इसे किसने बनाया था। हालाँकि ऐसा कहा जाता है कि निश्चित ही इसे हरिचरण गिरि द्वारा बनाया गया था जो मंदिर में महंत थे।
- यह एक बहुत बड़ा मंदिर नहीं था और वास्तुकला के मामले में काफी सामान्य था, हालाँकि यह ढाकेश्वरी मंदिर के बाद बांग्लादेश में दूसरा सबसे पुराना हिंदू मंदिर है।
- 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मंदिर को तब प्रमुखता मिली जब प्रसिद्ध संत माँ आनंदमयी ने अपने आश्रम को परिसर में बनाया।
  - आनंदमयी को लोकप्रिय रूप से "शाहबाग-एर मा" या शाहबाग की माँ के रूप में संबोधित किया जाता था।

- मंदिर और युद्ध:
  - 27 मार्च, 1971 को पाकिस्तानी सेना द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया तथा पुजारियों और भक्तों सहित 85 हिंदुओं की हत्या कर दी गई।
  - 7 मार्च, 1971 को मंदिर तोड़े जाने से कुछ दिन पहले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने रमना रेसकोर्स मैदान में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता हेतु संघर्ष के लिये बंगालियों का आह्वान किया था।
    - बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान (1920-1975) बांग्लादेश के संस्थापक नेता और देश के पहले प्रधानमंत्री थे।

भारत-बांग्लादेश संबंध

- सैन्य सहयोग:
  - बांग्लादेश सरकार ने अपनी सीमाओं से भारत विरोधी उग्रवादी तत्त्वों को समाप्त करने का कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र के सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्रों में से एक बन गई है।
  - इसने भारत को अपनी अधिक विवादास्पद सीमाओं पर सैन्य संसाधनों की बड़े पैमाने पर पुन: तैनाती करने की अनुमति दी है।
- भूमि सीमा समझौता:
  - वर्ष 2015 में बांग्लादेश और भारत ने ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते (Land Boundary Agreement) की पुष्टि कर अपनी सीमाओं से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्वक हल करने के क्रम में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।
- व्यापार संबंध:
  - बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत से बांग्लादेश को किया जाने वाला निर्यात 9.21 बिलियन डॉलर और आयात 1.04 बिलियन डॉलर का था।
  - इसके साथ ही भारत ने कई बांग्लादेशी उत्पादों को शुल्क मुक्त पहुँच प्रदान करने की पेशकश भी की है।
- विकास के क्षेत्र:
  - विकास के मोर्चे पर भी दोनों देशों के बीच सहयोग में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में भारत ने सड़कों, रेलवे, पुलों और बंदरगाहों के निर्माण हेतु बांग्लादेश को 8 बिलियन डॉलर की राशि लाइन ऑफ क्रेडिट (एक प्रकार का ऋण) के रूप में प्रदान की है।
- बेहतर कनेक्टिविटी: दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी में बहुत अधिक सुधार हुआ है।
  - कोलकाता और अगरतला के बीच एक सीधी बस सेवा (ढाका से होते हुए) शुरू होने से दोनों स्थानों के बीच यात्रा के लिये केवल 500 किमी. की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि चिकेन नेक के माध्यम से यात्रा करने पर 1,650 किमी. की दूरी तय करनी पड़ती है।
  - बांग्लादेश अपने मोंगला और चटोग्राम (चटगाँव) बंदरगाह से माल ढुलाई की अनुमति देता है, जहाँ से सड़क, रेल और जलमार्ग के माध्यम से माल को अगरतला तक पहुँचाया जाता है।
- सहयोग के नए क्षेत्र:
  - भारत आने वाले पर्यटकों में एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेशी पर्यटकों का है, वर्ष 2017 में पश्चिमी यूरोप से आने वाले पर्यटकों के आँकड़ों को पीछे छोड़ते हुए भारत आने वाले पर्यटकों में से प्रत्येक पाँचवाँ पर्यटक बांग्लादेश से था।
  - भारत के अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा रोगियों (इलाज हेतु अन्य देशों से भारत आने वाले मरीज़) में 35% से अधिक हिस्सेदारी बांग्लादेश की है और भारत के राजस्व में 50% से अधिक योगदान चिकित्सा यात्रा का है।
- हालिया विकास:
  - इससे पूर्व वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध, जिसमें बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बांग्लादेश सशस्त्र बलों (Bangladesh Armed Forces) के 122 सदस्यीय दल ने भारत की 72वीं गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया।

चीन ने पैंगोंग झील पर बनाया पुल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, यह पाया गया कि चीन पैंगोंग त्सो पर एक नया पुल बना रहा है जो झील के उत्तर और दक्षिण किनारों के बीच तथा एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) के करीब सैनिकों को तेजी से तैनात करने के लिये एक अतिरिक्त धुरी प्रदान करेगा।

- इससे पहले, भूमि सीमाओं पर चीन का नया कानून 1 जनवरी, 2022 से ऐसे समय में लागू हुआ, जब पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध अनसुलझा है और अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों का नाम हाल ही में चीन ने भारतीय राज्य पर अपने दावे के हिस्से के रूप में बदल दिया है।
- भारत भी सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने बुनियादी ढाँचे में सुधार कर रहा है। 2021 में सीमा सड़क संगठन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 100 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया, जिनमें से अधिकांश चीन के साथ सीमा के करीब थीं।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
  - मई 2020 में सैन्य गतिरोध शुरू होने के बाद से भारत और चीन ने न केवल मौजूदा बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने के लिये काम किया है, बल्कि पूरी सीमा पर कई नई सड़कों, पुलों, लैंडिंग स्ट्रिप्स का भी निर्माण किया है।
  - अगस्त 2020 के अंत में भारत ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी तट पर कैलाश रेंज की पहले से खाली पड़ी ऊँचाइयों पर कब्जा कर चीन को पछाड़ दिया।
  - भारतीय सैनिकों ने मागर हिल, गुरुंग हिल, रेजांग ला, रेचिन ला सहित वहाँ की चोटियों पर तैनात किया जिससे उन्हें रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्पैंगगुर गैप पर हावी होने की अनुमति दी जिसका उपयोग एक आक्रामक शुरू करने के लिये किया जा सकता है, जैसा कि चीन ने 1962 में किया था।
  - भारतीय सैनिकों ने भी उत्तरी तट पर फिंगर्स क्षेत्र में चीनी सैनिकों के ऊपर खुद को तैनात कर लिया था।
  - कठोर सर्दियों के महीनों में दोनों देशों के सैनिक इन ऊँचाइयों पर बने रहे। जिससे चीन को बातचीत करने के लिये मज़बूर किया।
  - दोनों देश झील के उत्तरी तट से पीछे हटने और पैंगोंग त्सो के दक्षिण में चुशुल उप-क्षेत्र में कैलाश रेंज पर स्थिति पर सहमत हुए।
- पुल के बारे में:
  - झील के उत्तरी तट पर फिंगर 8 से 20 किमी पूर्व में पुल का निर्माण किया जा रहा है जिस पर भारत का कहना है कि फिंगर 8 एलएसी को दर्शाता है।.
    - फिंगर एरिया से झील दिखाई देती है सिरिजाप रेंज (झील के उत्तरी किनारे पर) से बाहर आठ चट्टानों का एक समूह है।
  - 135 किमी लंबी पैंगोंग त्सो एक एंडोरेइक झील है, जिसमें से दो-तिहाई से अधिक चीन के नियंत्रण में है।
    - झील के उत्तर और दक्षिण किनारे कई संवेदनशील बिंदुओं में से थे जो गतिरोध की शुरुआत के बाद सामने आए थे। फरवरी 2021 में भारत और चीन के उत्तर एवं दक्षिण तट से सैनिकों को वापस बुलाने से पहले, इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लामबंदी देखी गई थी और दोनों पक्षों ने कुछ स्थानों पर बमुश्किल कुछ सौ मीटर की दूरी पर टैंक भी तैनात किये थे।
  - पुल साइट रुतोग काउंटी में खुर्नक किले के ठीक पूर्व में स्थित है जहाँ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (People's Liberation Army-PLA) के सीमावर्ती ठिकाने हैं।
    - ऐतिहासिक रूप से भारत का एक हिस्सा, खुर्नक फोर्ट वर्ष 1958 से चीन के नियंत्रण में है।
  - खुर्नक फोर्ट से LAC काफी पश्चिम है, जिसमें भारत फिंगर 8 पर दावा करता है और चीन फिंगर 4 पर दावा करता है।
- चीन के लिये महत्त्व:
  - पुल रुडोक के माध्यम से खुर्नक से दक्षिण तट तक 180 किलोमीटर के लूप को काट देगा, जो खुर्नक और रुडोक के बीच की दूरी को लगभग 200 किलोमीटर के बजाय 40-50 किलोमीटर तक कम कर देगा।
  - अगस्त 2020 में जो हुआ उसे दोहराने से रोकने की उम्मीद में, पुल का निर्माण इस क्षेत्र में सैनिकों को तेज़ी से एकत्र करने में मदद करेगा।
- भारत के लिये निहितार्थ:
  - पुल उनके क्षेत्र में निर्मित किया जा रहा है और भारतीय सेना को अपनी परिचालन योजनाओं में इसे शामिल करना होगा।
  - सड़कों का चौड़ीकरण, नई सड़कों और पुलों का निर्माण, नए बेस, हवाई पट्टी, अग्रिम लैंडिंग बेस आदि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये कार्य भारत-चीन सीमा (पूर्वी, मध्य और पश्चिमी) के तीन क्षेत्रों में हो रहे हैं।

चीन का नया सीमा कानून

चर्चा में क्यों?

भूमि सीमाओं पर चीन का नया कानून 1 जनवरी, 2022 से लागू हुआ।

- यह ऐसे समय में आया है जब पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध अनसुलझा है और हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों का नाम बदलकर अपने अंतर्गत होने का दावा किया है।

दलाई लामा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी के अंतिम जीवित सदस्य, जो वर्ष 1959 में तिब्बत से भागते समय दलाई लामा को बचाकर ले गए थे, की मृत्यु हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुग्पा परंपरा से संबंधित हैं, जो तिब्बत में सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली परंपरा है।
  - तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास में केवल 14 दलाई लामा हुए हैं और पहले तथा दूसरे दलाई लामाओं को मरणोपरांत यह उपाधि दी गई थी।
    - 14वें और वर्तमान दलाई लामा 'तेनजिन ग्यात्सो' हैं।
  - माना जाता है कि दलाई लामा अवलोकितेश्वर या चेनरेज़िग, करुणा के बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक संत के प्रतीक हैं।
    - बोधिसत्व सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिये बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित प्राणी हैं, जिन्होंने मानवता की मदद के लिये दुनिया में पुनर्जन्म लेने की प्रतिबद्धता जताई थी।
- दलाई लामा का अनुरक्षण:
  - 1950 के दशक में चीन का राजनीतिक परिदृश्य बदलना शुरू हुआ।
  - तिब्बत को आधिकारिक रूप से चीनी नियंत्रण में लाने की योजनाएँ बनाई गईं लेकिन मार्च 1959 में तिब्बती, चीनी शासन को समाप्त करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। चीनी पीपुल्स रिपब्लिक के सैनिकों ने विद्रोह को कुचल दिया और हजारों लोग मारे गए।
  - दलाई लामा 1959 के तिब्बती विद्रोह के दौरान हज़ारों अनुयायियों के साथ तिब्बत से भारत भाग आए, जहाँ उनका स्वागत पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिन्होंने उन्हें धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में 'निर्वासन में तिब्बती सरकार' बनाने की अनुमति दी।

चीन के साथ भारत का व्यापार

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2021 में चीन के साथ भारत के व्यापार ने 125 बिलियन अमेरिकी के डॉलर का आँकड़े को पार कर दिया, जिसमें चीन से आयात रिकॉर्ड 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब पहुँच गया है, जो कि चीन की वस्तुओं, विशेष रूप से मशीनरी की निरंतर मांग को रेखांकित करता है।

- यह बढ़ोतरी तब दर्ज की गई है जब पूर्वी लद्दाख में सेनाओं के बीच लंबे समय से चल रहे गतिरोध के कारण दोनों देशों के संबंधों में गिरावट आई है।

प्रमुख बिंदु

- चीन को भारत से निर्यात:
  - हाल के वर्षों में चीन को भारत से सबसे अधिक निर्यात लौह अयस्क, कपास और अन्य कच्चे माल पर आधारित वस्तुओं का किया जाता है, क्योंकि पिछले वर्ष (2021) चीन में इन वस्तुओं की मांग में सुधार देखा गया है।
- चीन से भारत में आयात:
  - भारत ने पिछले दो वर्षों में बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मशीनरी, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (APIs), ऑटो कंपोनेंट्स एवं ऑक्सीजन कंसंटेटर्स से लेकर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPEs) तक कई तरह की मेडिकल सामग्री का आयात किया है।
- द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि:
  - भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार में साल-दर-साल 43% की वृद्धि चीन के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में सबसे अधिक थी।
  - चीन के शीर्ष तीन व्यापारिक भागीदारों के साथ व्यापार के आँकड़ों में आसियान के साथ 28.1% (878.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर), यूरोपीय संघ के साथ 27.5% (828.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 28.7% (755.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की वृद्धि दर्ज की गई।
- चीन के साथ व्यापार घाटा:
  - भारत का व्यापार घाटा वर्ष 2021 में बढ़कर 69.38 अरब डॉलर हो गया।
  - भारत एक दशक से अधिक समय से चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे पर अपनी चिंताओं को उजागर करता रहा है और चीन से भारत के आईटी एवं फार्मास्यटिकल उत्पादों के लिये अपने बाज़ार खोलने का आह्वान कर रहा है।
    - जब किसी देश का कुल आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है तो इस स्थिति को उसके व्यापार घाटे के रूप संदर्भित किया जाता है।

चीन को विकासशील देश का टैग: विश्व व्यापार संगठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में 'विकासशील देश' का दर्जा मिला है।

- यह कई देशों के फैसले के खिलाफ चिंताजनक और एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है।
- इससे पहले वर्ष 2019 में दक्षिण कोरियाई सरकार ने विश्व व्यापार संगठन में भविष्य की बातचीत से विकासशील देश के रूप में कोई विशेष वरीयता नहीं लेने का फैसला किया।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - विश्व व्यापार संगठन ने 'विकसित' और 'विकासशील' देशों को परिभाषित नहीं किया है और इसलिये सदस्य देश यह घोषणा करने के लिये स्वतंत्र हैं कि वे 'विकसित' हैं या 'विकासशील'।
    - हालाँकि अन्य सदस्य विकासशील देशों के लिये उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करने के सदस्य के निर्णय को चुनौती दे सकते हैं।
  - विश्व व्यापार संगठन के पास विकासशील राष्ट्र की उचित परिभाषा का अभाव है, हालाँकि इसके 164 सदस्यों में से दो-तिहाई खुद को विकासशील के रूप में वर्गीकृत करते हैं।
  - जैसा कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य खुद को विकासशील राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, यह चीन जैसे देश को वैश्विक व्यापार में अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के लिये लाभ प्रदान करता है, जबकि वह खुद को विकासशील के रूप में वर्गीकृत करता है और इस तरह विशेष और विभेदित उपचार (S&DT) प्राप्त करता है।
- चीन का मामला:
  - विश्व बैंक के अनुसार, चीन की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के कारण वह एक उच्च मध्यम आय वाला देश बन गया है और देश के अनुचित व्यापार प्रथाओं के कथित उपयोग को देखते हुए, कई देशों ने चीन से विकासशील देशों को उपलब्ध लाभों की मांग करने से परहेज करने का आह्वान किया है या एक विकासशील देश के रूप में वर्गीकरण को न करने को कहा है।
    - चीन की कुछ अनुचित व्यापार प्रथाओं में राज्य के उद्यमों के लिये संदर्भात्मक व्यवहार, डेटा प्रतिबंध और बौद्धिक संपदा अधिकारों के अपर्याप्त प्रवर्तन शामिल हैं।
  - यह असंगत प्रतीत होता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो वर्ष 2021 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की एक-चौथाई वृद्धि के लिये ज़िम्मेदार है, खुद को सबसे बड़ा विकासशील देश मानती है।

विश्व बैंक द्वारा देशों का वर्गीकरण

- विश्व बैंक दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को चार आय समूहों- निम्न, निम्न-मध्यम, उच्च-मध्यम और उच्च आय वाले देशों में वर्गीकृत करता है।
- वर्गीकरण को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को अद्यतन किया जाता है और यह पिछले वर्ष के वर्तमान अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) पर आधारित होता है।
  - GNI किसी देश के लोगों और व्यवसायों द्वारा अर्जित की गई कुल राशि होती है।
- विश्व बैंक ने अपने नवीनतम वर्गीकरण (2020-21) में भारत को निम्न-मध्यम आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया है।

चीन-ताइवान संघर्ष

चर्चा में क्यों?

चीन-ताइवान संबंध वर्षों से तनावपूर्ण रहे हैं तथा उनके बीच हालिया संघर्ष तब देखने को मिला जब चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की।

- यद्यपि ताइवान के हवाई क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी मान्यता प्राप्त है, उसका वायु रक्षा क्षेत्र एक स्व-घोषित क्षेत्र है, जिसकी निगरानी देश की सेना करती है।

प्रमुख बिंदु

- चीन और ताइवान के बीच संघर्ष (पृष्ठभूमि):
  - वर्ष 1949 में हुए गृहयुद्ध के दौरान चीन और ताइवान अलग हो गए, हालाँकि इसके बावजूद चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी तरह से उस पर नियंत्रण प्राप्त करने की वकालत करता है।
  - वहीं ताइवान के नेताओं का कहना है कि ताइवान एक संप्रभु राज्य है।
  - दशकों की तनावपूर्ण स्थिति के बाद 1980 के दशक में चीन और ताइवान के बीच संबंधों में सुधार की शुरुआत हुई, चीन ने 'एक देश, दो प्रणाली' के रूप में एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके तहत ताइवान यदि चीन के साथ पुन: एकीकरण स्वीकार करता है, तो उसे स्वायत्तता दी जाएगी।

- ताइवान ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, हालाँकि ताइवान सरकार ने चीन की यात्रा करने और वहाँ निवेश संबंधी नियमों में ढील दी है।
- इस दौरान दोनों पक्षों के बीच अनौपचारिक वार्ता का दौर भी शुरू हुआ, हालाँकि चीन का कहना था कि ताइवान की रिपब्लिक ऑफ चाइना (ROC) गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट वार्ता को अवैध रूप से रोक रही है।
- वर्ष 2020 में हॉन्गकॉन्ग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के कार्यान्वयन को कई लोग इस तथ्य के संकेत के रूप में भी देख रहे हैं कि चीन इस क्षेत्र में काफी अधिक मुखर रहा है।

- चीन की चिंताएँ
  - 'वन चाइना पॉलिसी' के समक्ष चुनौती
    - चीन की 'वन चाइना पॉलिसी' का अर्थ है कि जो देश 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' (मेनलैंड चाइना) से कूटनीतिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं उन्हें 'रिपब्लिक ऑफ चाइना' (ताइवान) के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त करने होंगे।
    - कुछ देशों के ताइवान के साथ मौजूदा राजनयिक संबंध और विभिन्न अंतर-सरकारी संगठनों में इसकी सदस्यता चीन की नीति को चुनौती देती है:
    - रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान के कुल 15 देशों के साथ राजनयिक संबंध हैं और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ के देशों, जापान एवं न्यूज़ीलैंड जैसे कई अन्य देशों के साथ भी इसके अनौपचारिक संबंध हैं।
    - इसके अलावा ताइवान के पास 38 अंतर-सरकारी संगठनों और उनके सहायक निकायों की पूर्ण सदस्यता है, जिसमें विश्व व्यापार संगठन (WTO), एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) और एशियाई विकास बैंक (ADB) शामिल हैं।
- मुद्दे पर भारत का दृष्टिकोण:
  - 1949 से भारत ने "वन चाइना" नीति को स्वीकार किया है जो ताइवान और तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार करती है।
  - हालाँकि भारत को एक कूटनीतिक दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिये अर्थात् यदि भारत "वन चाइना" नीति में विश्वास करता है, तो चीन को "वन इंडिया" नीति में भी विश्वास करना चाहिये।
  - भले ही भारत ने वर्ष 2010 से संयुक्त बयानों और आधिकारिक दस्तावेज़ों में वन चाइना नीति के पालन का उल्लेख करना बंद कर दिया है, लेकिन चीन के साथ संबंधों के कारण ताइवान के साथ उसका जुड़ाव अभी भी प्रतिबंधित है।
    - भारत और ताइवान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं, लेकिन वर्ष 1995 के बाद से दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालयों को बनाए रखा है जो वास्तविक दूतावासों के रूप में कार्य करते हैं।

हिंद महासागर में चीन का नया समुद्री-सड़क-रेल लिंक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चीन के 'चेंगदू' शहर को 'यांगून' (म्याँमार) के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुँच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री-सड़क-रेल लिंक शुरू किया गया है।

- यह पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला 'ट्रेड कॉरिडोर' है।

प्रमुख बिंदु

- नए 'ट्रेड कॉरिडोर' के विषय में
  - यह नया व्यापार गलियारा मार्ग सिंगापुर, म्याँमार और चीन की लॉजिस्टिक लाइनों को जोड़ता है तथा वर्तमान में हिंद महासागर को दक्षिण-पश्चिम चीन से जोड़ने वाला सबसे सुविधाजनक भूमि और समुद्री चैनल है।
  - चीन की योजना म्याँमार के 'रखाइन प्रांत' के 'क्युकफ्यू' में एक और बंदरगाह विकसित करने की भी है, जिसमें युन्नान (चीन) से सीधे बंदरगाह तक प्रस्तावित रेलवे लाइन शामिल है, लेकिन म्याँमार में सैन्य शासन और अशांति के कारण इसकी प्रगति रुकी हुई है।
  - चीन ने 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' के तहत म्याँमार में इस क्षेत्र को 'सीमा आर्थिक सहयोग क्षेत्र' के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है।
  - इस तरह यह क्षेत्र जहाँ एक ओर म्याँमार की आय का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत होगा, वहीं चीन के लिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में भी महत्त्वपूर्ण होगा।
  - यह व्यापार गलियारा हिंद महासागर के लिये एक और प्रत्यक्ष चीनी आउटलेट है।
    - पहला पाकिस्तान के 'ग्वादर बंदरगाह' पर है।
  - यह व्यापार मार्ग 'मलक्का डाइलेमा' के लिये भी चीन का विकल्प है।
    - 'मलक्का डाइलेमा' वर्ष 2003 में तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति 'हू जिंताओ' द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है।

- यह चीन के 'मलक्का जलडमरूमध्य' में समुद्री ब्लाकेड के डर को दर्शाता है। चूँकि चीन का अधिकांश तेल आयात 'मलक्का जलडमरूमध्य' द्वारा होता है, इसलिये यहाँ एक समुद्री ब्लाकेड चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा सकता है।

विदेशी जहाज़ों हेतु चीन के नए समुद्री नियम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीन ने नए समुद्री नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें जहाज़ों को चीनी जल क्षेत्र (प्रादेशिक जल क्षेत्र) में प्रवेश करने पर सामानों के विवरण की जानकारी देनी होगी, जो 1 सितंबर, 2021 से प्रभावी होगा।

- चीन अपने नक्शे पर तथाकथित "नाइन डैश लाइन" (Nine Dash Line) के तहत दक्षिण चीन सागर के अधिकांश जल पर दावा करता है, जो फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया सहित कई अन्य देशों द्वारा विवादित है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय :
  - सबमर्सिबल, परमाणु जहाज़ों, रेडियोधर्मी सामग्री ले जाने वाले जहाज़ों और थोक तेल, रसायन, तरलीकृत गैस एवं अन्य ज़हरीले तथा हानिकारक पदार्थों को ले जाने वाले जहाज़ों के संचालक, जो चीन की समुद्री यातायात सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं, को चीनी क्षेत्रीय जल में प्रवेश करने पर सामानों के विवरण की जानकारी देनी होगी।
    - चीन लगभग 1.3 मिलियन वर्ग मील दक्षिण चीन सागर पर अपने संप्रभु क्षेत्र के रूप में दावा करता है। वह क्षेत्र में कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य ठिकाने बना रहा है।
  - इसे समुद्री पहचान क्षमता को बढ़ावा देने के लिये सख्त नियमों को लागू करके समुद्र में चीन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु किये गए प्रयासों के संकेत के रूप में देखा जाता है।
  - चीन की दृष्टि से इस क्षेत्र में अमेरिका की घुसपैठ मुखर प्रकृति की है जो इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा विध्वंसक हो सकता है।
- नाइन डैश लाइन:
  - यह चीन के दक्षिणी हैनान द्वीप के सैकड़ों किलोमीटर दक्षिण और पूर्व में विस्तृत है, जो सामरिक रूप से पेरासल और स्प्रैटली द्वीप शृंखलाओं को कवर करती है।
    - इसे अधिकांश देशों द्वारा UNCLOS के साथ असंगत माना जाता है, किसी राष्ट्र के तट से 12 समुद्री मील के भीतर के क्षेत्र को उस राष्ट्र का क्षेत्र माना जाता है, इसमें वह राष्ट्र अपने कानून बना सकता है और जिस साधन का जैसे चाहे प्रयोग कर सकता है।
  - लगभग 2000 वर्ष पूर्व इन दोनों द्वीप शृंखलाओं पर चीन का अधिकार माना जाता था।
  - हेग स्थित मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) ने वर्ष 2016 में एक निर्णय जारी किया जिसमें चीन के दावों को अंतर्राष्ट्रीय कानून में आधार की कमी के रूप में खारिज कर दिया। चीन ने तब इस फैसले को खारिज कर दिया था।

श्रीलंका संकट पर चार सूत्री रणनीति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने के लिये चार सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है।

- इस वर्ष की शुरुआत में श्रीलंका ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्यह्रास और तेज़ी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच आर्थिक आपातकाल की घोषणा की थी।

प्रमुख बिंदु

- चार सूत्री रणनीति:
  - लाइन ऑफ क्रेडिट: भारत द्वारा भोजन, दवाओं और ईंधन की खरीद के लिये 'लाइन ऑफ क्रेडिट' सुविधा प्रस्तुत की गई है।
    - 'लाइन ऑफ क्रेडिट' एक क्रेडिट सुविधा है, जो किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा सरकार, व्यवसाय या व्यक्तिगत ग्राहक को दी जाती है, यह ग्राहक को अधिकतम ऋण राशि प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
  - करेंसी स्वैप: श्रीलंका के भुगतान संतुलन के मुद्दों से निपटने के लिये एक 'मुद्रा स्वैप समझौता' भी किया गया है।
    - 'स्वैप' शब्द का अर्थ है 'विनिमय'। करेंसी स्वैप अथवा मुद्रा विनिमय का आशय दो देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान-प्रदान हेतु किये गए समझौते या अनुबंध से है।
  - आधुनिकीकरण परियोजना: 'ट्रिंको तेल फार्म' की प्रारंभिक आधुनिकीकरण परियोजना, जिसे भारत कई वर्षों से अपना रहा है।
    - त्रिंकोमाली हार्बर, दुनिया के सबसे गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा विकसित किया गया था।

- त्रिंकोमाली में तेल के बुनियादी अवसंरचना को विकसित करने संबंधी परियोजनाएँ वर्ष 2017 से लंबित हैं।
- भारतीय निवेश: विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय निवेश को सुगम बनाने हेतु श्रीलंका की प्रतिबद्धता।

अमेरिका द्वारा चीन पर नए प्रतिबंध

चीन के शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुस्लिमों के मानवाधिकारों के हनन को लेकर अमेरिका चीन की कई बायोटेक और निगरानी एजेंसी एवं सरकारी संस्थाओं पर नए प्रतिबंध लगा रहा है।

- शिंजियांग तकनीकी रूप से चीन भू-भाग में एक स्वायत्त क्षेत्र है - इसका सबसे बड़ा क्षेत्र, खनिजों में समृद्ध तथा भारत, पाकिस्तान, रूस और अफगानिस्तान सहित आठ देशों के साथ सीमा साझा करता है।

उइगर मुस्लिम

- परिचय:
  - उइगर मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह हैं, जिनकी उत्पत्ति मध्य एवं पूर्वी एशिया से मानी जाती है।
    - उइगरों की भाषा काफी हद तक तुर्की भाषा के समान है और उइगर स्वयं को सांस्कृतिक एवं जातीय रूप से मध्य एशियाई देशों के करीब पाते हैं।
  - उइगर मुस्लिमों को चीन में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 55 जातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक माना जाता है।
    - हालाँकि चीन उइगर मुस्लिमों को केवल एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देता है और यह अस्वीकार करता है कि वे स्वदेशी समूह हैं।
  - वर्तमान में उइगर जातीय समुदाय की सबसे बड़ी आबादी चीन के शिनजियांग क्षेत्र में रहती है।
    - उइगर मुस्लिमों की एक महत्त्वपूर्ण आबादी पड़ोसी मध्य एशियाई देशों जैसे- उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और कज़ाखस्तान में भी रहती है।

उत्तर कोरिया पर अमेरिकी प्रतिबंध

- अमेरिका-उत्तर कोरिया संघर्ष:
  - शीत युद्ध के दौर में (कथित रूप से रूस और चीन के समर्थन से) उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम में तेज़ी लायी और परमाणु क्षमता विकसित की।
    - उसी दौरान अमेरिका ने अपने सहयोगियों यानी दक्षिण कोरिया और जापान के लिये अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला (परमाणु हमले के दौरान समर्थन की गारंटी) का विस्तार किया।
  - उत्तर कोरिया वर्ष 2003 में अप्रसार संधि (एनपीटी) से हट गया और बाद में वर्तमान नेता किम जोंग-उन के तहत उसने परमाणु मिसाइल परीक्षण में वृद्धि की।
    - उत्तर कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु हथियारों के परीक्षण से रोक दिया गया है।
  - इसके जवाब में अमेरिका ने मार्च 2017 में दक्षिण कोरिया में THAAD (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस) को तैनात किया।
  - उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच शुरू हुआ क्षेत्रीय संघर्ष अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच की तकरार में तब्दील हो गया है।
  - उत्तर कोरिया के साथ संबंध सुधारने के राजनयिक प्रयासों की विफलता के बाद अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं।

ज़ेन गार्डन - काइज़न अकादमी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन (AMA) में एक जापानी 'ज़ेन गार्डन - काइज़न अकादमी' (Zen Garden- Kaizen Academy) का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- यह AMA में जापान सूचना एवं अध्ययन केंद्र और भारत-जापान मैत्री संघ (IJFA), गुजरात का एक संयुक्त प्रयास है। यह ह्योगो इंटरनेशनल एसोसिएशन (HIA) जापान द्वारा समर्थित है।
- इसमें पारंपरिक जापानी अवयव जैसे- रेड ब्रिज गुज़ेई, शोजी इंटीरियर, ग्लोरी ऑफ तोरी, एक 3-डी आर्ट म्यूरल, फ्यूजन चबुतारो, ताकी वॉटरफॉल, सुकुबाई बेसिन और किमोनो स्क्रॉल हैं।
- यह भारत में जापान की कार्य संस्कृति का प्रचार करेगा और जापान तथा भारत के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाएगा।
  - ज़ेन, महायान बौद्ध धर्म का एक जापानी स्कूल है जो अनुष्ठान पूजा या शास्त्रों के अध्ययन के बजाय ध्यान और अंतर्ज्ञान के मूल्यों पर बल देता है। जापान में ज़ेन का आशय भारत में ध्यान के समान है।
  - काइज़ेन का तात्पर्य 'बेहतरी के लिये परिवर्तन' या 'निरंतर सुधार' से है। काइज़ेन एक जापानी व्यापार दर्शन है जो सभी कर्मचारियों को शामिल करते हुए कार्य वातावरण को अधिक कुशल बनाकर उत्पादकता में धीरे-धीरे सुधार करने पर केंद्रित है।

एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

- अक्तूबर 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की छठी वार्षिक बैठक में भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बारे में:
  - एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक-आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है।
  - इसका उद्देश्य लोगों, सेवाओं और बाजारों को जोड़ना है जो समय के साथ अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा और स्थायी बुनियादी ढाँचे एवं अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करके बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा।
  - इसकी स्थापना AIIB आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट (25 दिसंबर, 2015 से लागू) नामक एक बहुपक्षीय समझौते के माध्यम से की गई है। समझौते के पक्षकारों (57 संस्थापक सदस्य) हेतु बैंक की सदस्यता अनिवार्य है।
  - AIIB और भारत:
    - एआईआईबी ने बैंक के किसी अन्य सदस्य की तुलना में भारत के लिये अधिक ऋण स्वीकृत किये हैं।
- चीन इसका सबसे बड़ा और भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है।
    - AIIB ने भारत में 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 28 परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है।
    - इसने हाल ही में बुनियादी सुविधाओं के अलावा हरित परियोजनाओं और कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल का समर्थन करने पर ज़ोर दिया है।
    - अक्तूबर 2021 में भारत ने 'एशिया पेसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी' (APVAX) पहल के तहत 'एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक' (AIIB) और एशियाई विकास बैंक (ADB) से 667 मिलियन वैक्सीन डोज़ खरीदने के लिये ऋण हेतु आवेदन किया था, जिसमें 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर ADB द्वारा दिया जाएगा, जबकि 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर AIIB द्वारा दिया जाएगा।
    - बीते वर्ष (वर्ष 2021), AIIB ने चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार का समर्थन करने हेतु भारत सरकार को 356.67 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की भी मंज़ूरी दी थी।
  - इसका मुख्यालय बीजिंग में है और जनवरी 2016 में इसका परिचालन शुरू हुआ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में पाँच नए अस्थायी सदस्यों (अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात) का चयन किया गया है।

- एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीशिया व वियतनाम ने हाल ही में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है।
- अल्बानिया पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा है, जबकि ब्राज़ील 11वीं बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हो रहा है। गैबॉन और घाना पहले तीन बार परिषद में रहे हैं तथा संयुक्त अरब अमीरात एक बार परिषद में शामिल हो चुका है।
- संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 50 से अधिक देशों को इसके गठन के बाद से कभी भी परिषद के लिये नहीं चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद:
  - परिचय:
    - सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
    - संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंगों में शामिल हैं- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA), ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय।
    - यह मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है।
    - परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है।
  - सदस्य:
    - सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं: पाँच स्थायी सदस्य और दो वर्षीय कार्यकाल हेतु चुने गए दस अस्थायी सदस्य।
    - पाँच स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्राँस, चीन और यूनाइटेड किंगडम हैं।
    - भारत ने पिछले वर्ष (2021) आठवीं बार एक अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश किया था और दो वर्ष यानी वर्ष 2021-22 तक परिषद में रहेगा।

- प्रतिवर्ष महासभा दो वर्ष के कार्यकाल के लिये पाँच अस्थायी सदस्यों (कुल दस में से) का चुनाव करती है। दस अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है।
- परिषद की अध्यक्षता प्रतिमाह 15 सदस्यों के बीच रोटेट होती है।

- मतदान शक्ति
  - सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय स्थायी सदस्यों सहित नौ सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा लिये जाते हैं, जिसमें सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। पाँच स्थायी सदस्यों में से यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है।
  - संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, बिना वोट के सुरक्षा परिषद के समक्ष लाए गए किसी भी प्रश्न की चर्चा में भाग ले सकता है, यदि सुरक्षा परिषद को लगता है कि उस विशिष्ट मामले के कारण उस सदस्य के हित विशेष रूप से प्रभावित होते हैं।

एंटोनियो गुटेरेस: दूसरे कार्यकाल के लिये संयुक्त राष्ट्र महासचिव

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एंटोनियो गुटेरेस (Antonio Guterres) को 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2026 तक के लिये दूसरे कार्यकाल हेतु नौवें संयुक्त राष्ट्र महासचिव (UNSG) के रूप में नियुक्त किया।

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के रूप में गुटेरेस के फिर से चुनाव किये जाने पर अपना समर्थन व्यक्त किया था।

प्रमुख बिंदु

एंटोनियो गुटेरेस के बारे में:

- गुटेरेस ने 1 जनवरी, 2017 को पद की शपथ ली और उनका पहला कार्यकाल 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त हो रहा है।
- गुटेरेस ने जून 2005 से दिसंबर 2015 तक (एक दशक) शरणार्थियों के लिये संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया।
- वह पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रहे।

नियुक्ति:

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है।
- प्रत्येक महासचिव के पास दूसरे कार्यकाल का विकल्प होता है इसके लिये उसे सदस्य राज्यों का पर्याप्त समर्थन मामला आवश्यक है।
- गुटेरेस को एक संशोधित चयन प्रक्रिया द्वारा चुना गया जिसमें महासभा में एक सार्वजनिक अनौपचारिक संवाद सत्र शामिल था, इसमें नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल थे, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित करना था।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर:

- संयुक्त राष्ट्र का चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है। इस पर 26 जून, 1945 को सैन फ्राँसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के समापन के अवसर पर हस्ताक्षर किये गए और 24 अक्तूबर, 1945 को यह लागू हुआ।
- संयुक्त राष्ट्र अपने अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय चरित्र (International Character) और अपने चार्टर में निहित शक्तियों के कारण कई तरह के मुद्दों पर कार्रवाई कर सकता है, जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय संधि माना जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत साधन है और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य इससे बँधे हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख सिद्धांतों को संहिताबद्ध करता है, जिसमें राज्यों की संप्रभु समानता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल के प्रयोग पर प्रतिबंध शामिल है।

परमाणु प्रसार रोकने का संकल्प: UNSC के पाँच स्थायी सदस्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों (चीन, फ्राँस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका) ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने एवं परमाणु संघर्ष से बचने का संकल्प लिया है।

- यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस और अमेरिका के बीच तनाव उस ऊँचाई पर पहुँच गया है जो शीत युद्ध के बाद से शायद ही कभी देखा गया हो।
- यह बयान तब आया है जब विश्व शक्तियाँ ईरान के साथ अपने विवादास्पद परमाणु अभियान पर संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) 2015 को पुनर्जीवित करने के लिये समझौते पर पहुँचने की कोशिश कर रही हैं, जिसे अमेरिका द्वारा वर्ष 2018 में समझौते से बाहर होने के कारण समाप्त कर दिया गया था।

प्रमुख बिंदु

- संकल्प:
  - ऐसे हथियारों के प्रसार को रोका जाना चाहिये, परमाणु युद्ध कभी जीता नहीं जा सकता है और ऐसा युद्ध कभी लड़ा भी नहीं जाना चाहिये।

- परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच युद्ध को टालना और सामरिक ज़ोखिमों को कम करना हमारी प्रमुख ज़िम्मेदारियों के रूप में है।
- जब तक परमाणु हथियार मौजूद हैं, इनसे रक्षात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिये, आक्रमण रोकना तथा युद्ध को रोकना चाहिये।
- ये परमाणु हथियारों के अनधिकृत या अनपेक्षित उपयोग को रोकने के लिये

- चीन का स्टैंड:
  - इसने चिंता जताई कि अमेरिका के साथ तनाव से ताइवान द्वीप पर संघर्ष हो सकता है।
- चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है और इस पर बलपूर्वक कब्ज़ा कर सकता है।
- रूस का स्टैंड:
  - रूस ने परमाणु शक्तियों की घोषणा का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे वैश्विक तनाव कम होगा।
  - अपने राष्ट्रीय उपायों को बनाए रखने तथा मज़बूत करने का इरादा रखते हैं।

अप्रसार संधि:

- परिचय:
  - NPT एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना तथा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है।
  - इस संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किये गए और यह 1970 में लागू हुई। वर्तमान में इसके 190 सदस्य देशों में लागू है।
    - भारत इसका सदस्य नहीं है।
  - इसके लिये देशों को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग तक पहुँच के बदले में परमाणु हथियार बनाने की किसी भी वर्तमान या भविष्य की योजना को त्यागने की आवश्यकता होती है।
  - यह परमाणु-हथियार वाले राज्यों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य हेतु एक बहुपक्षीय संधि में एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है।
  - NPT के तहत 'परमाणु-हथियार वाले पक्षों' को 01 जनवरी, 1967 से पहले परमाणु हथियार या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों का निर्माण एवं विस्फोट करने वाले देशों के रूप में परिभाषित किया गया है।
- भारत का पक्ष
  - भारत उन पाँच देशों में से एक है जिन्होंने या तो एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किये या हस्ताक्षर किये किंतु बाद में अपनी सहमति वापस ले ली, इस सूची में पाकिस्तान, इज़रायल, उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान शामिल हैं।
  - भारत ने हमेशा NPT को भेदभावपूर्ण माना और इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था।
  - भारत ने अप्रसार के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय संधियों का विरोध किया है, क्योंकि वे चुनिंदा रूप से गैर-परमाणु शक्तियों पर लागू होती हैं और पाँच परमाणु हथियार सम्पन्न शक्तियों के एकाधिकार को वैध बनाती हैं।
- NPT से संबंधित मुद्दे:
  - निरस्त्रीकरण प्रक्रिया की विफलता:
    - NPT को मोटे तौर पर शीत युद्ध के दौर के एक उपकरण के रूप में देखा जाता है, जो एक विश्वसनीय निरस्त्रीकरण प्रक्रिया की दिशा में मार्ग बनाने के उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा है।
    - संधि में कोई ठोस निरस्त्रीकरण रोडमैप का प्रस्ताव नहीं दिया गया है, परीक्षण प्रतिबंध या विखंडनीय सामग्री या परमाणु हथियारों के उत्पादन को रोकने हेतु कोई संदर्भ नहीं है, और कटौती एवं उन्मूलन के प्रावधान भी मौजूद नहीं हैं।
    - इसके बजाय इसने NWS को निर्धारित करने हेतु जनवरी 1967 को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित करके शस्त्रागार के निर्वाह और विस्तार की अनुमति दी।

तालिबान पर संकल्प 2593: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में तालिबान पर लाए गए एक संकल्प 2593 को भारत द्वारा अपनाया गया।

- फ्राँस, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा प्रायोजित इस संकल्प के पक्ष में भारत सहित 13 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि इसके विपक्ष में कोई भी वोट नहीं पड़ा।
  - दो स्थायी और वीटो-धारक सदस्य रूस और चीन ने मतदान में भाग नहीं लिया।
- संकल्प को स्वीकार किया जाना सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अफगानिस्तान के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।

प्रमुख बिंदु

- संकल्प 2593 के बारे में:
  - संकल्प 1267 (1999) के अनुसार, नामित व्यक्तियों और संस्थाओं सहित यह अफगानिस्तान में आतंकवाद का मुकाबला करने के महत्त्व को दोहराता है।

- तालिबान से अफगानिस्तान छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिये सुरक्षित मार्ग की सुविधा प्रदान करने, मानवतावादियों को देश में प्रवेश की अनुमति देने, महिलाओं और बच्चों सहित मानवाधिकारों को बनाए रखने तथा समावेशी तालिबान

- तालिबान (पश्तो भाषा में 'छात्र') 1990 के दशक की शुरुआत में अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बाद उत्तरी पाकिस्तान में उभरा एक आतंकवादी संगठन है।
- वर्तमान में यह अफगानिस्तान में सक्रिय एक इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक और सैन्य संगठन है। यह काफी समय से अफगान राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण स्थिति में था।
- तालिबान बीते लगभग 20 वर्षों से काबुल में अमेरिकी समर्थित सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। वह अफगानिस्तान में इस्लाम के सख्त रूप को फिर से लागू करना चाहता है।
  - एवं बातचीत के ज़रिये राजनीतिक समझौता करने का आह्वान किया गया है।

'यूनाइट अवेयर' प्लेटफॉर्म

हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के सहयोग से दुनिया भर में काम कर रहे 'शांति सैनिकों' की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है।

- 'यूनाइट अवेयर' (UNITE AWARE) प्लेटफॉर्म का शुभारंभ तब हुआ, जब भारत ने अगस्त माह के लिये 15 देशों वाले 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' की अध्यक्षता ग्रहण की है।

प्रमुख बिंदु

'यूनाइट अवेयर' प्लेटफॉर्म के विषय में

- उद्देश्य: इस परियोजना का उद्देश्य विषम खतरों का पता लगाने हेतु आधुनिक निगरानी प्रौद्योगिकी के प्रभाव को प्रदर्शित करना है।
- सिचुएशनल अवेयरनेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम: यह सुरक्षा बनाए रखने में शांति सैनिकों के लिये वास्तविक समय में खतरे के आकलन हेतु आधुनिक निगरानी तकनीक का उपयोग करता है।
  - यह लाइव वीडियो और सैटेलाइट इमेजरी एक्सेस प्रदान करेगा और बहुत ही अस्थिर परिस्थितियों में शांति सैनिकों को शुरुआती चेतावनी भी दे सकता है।
  - यह महत्त्वपूर्ण घटनाओं का भी डेटा रिकॉर्ड करता है और दैनिक परिचालन गतिविधियों का पालन करता है।
  - इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वास्तविक समय के आधार पर शांति अभियान की परिकल्पना, समन्वय और निगरानी की जा सकती है।
- साझेदारी: भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान संचालन विभाग और परिचालन सहायता विभाग के साथ साझेदारी में प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
- तैनाती: प्लेटफॉर्म शुरू में चार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में तैनात किया जाएगा: MINUSMA (माली), UNMISS (दक्षिण सूडान), UNFICYP (साइप्रस) और AMISOM (सोमालिया)।
- भारत का योगदान: भारत ने इस परियोजना के लिये 1.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है।

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन:

- संयुक्त प्रयास: यह शांति अभियान विभाग और परिचालन सहायता विभाग का एक संयुक्त प्रयास है।
  - इसके तहत दुनिया भर से सैनिकों और पुलिस को तैनात किया जाता है तथा उन्हें 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' (UNSC) एवं 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' द्वारा निर्धारित कई जनादेशों को संबोधित करने के लिये नागरिक शांति सैनिकों के साथ एकीकृत किया जाता है।
  - यह देशों को संघर्ष से शांति के कठिन रास्ते पर चलने में मदद करता है।
- वित्तीय योगदान: संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिये वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करना संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की सामूहिक ज़िम्मेदारी है।
- कानूनी दायित्व: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, प्रत्येक सदस्य राज्य शांति स्थापना के लिये अपने-अपने हिस्से का भुगतान करने के लिये कानूनी रूप से बाध्य है।
- भारतीय योगदान
  - भारत, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों में प्रमुख योगदान देने वाला देश है।
    - वर्तमान में भारत से 5506 सैनिक और पुलिस शांति सेना में शामिल हैं, जिन्हें नौ अलग-अलग संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात किया गया है, यह सैन्य योगदान देने वाले देशों में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता है।
  - वर्ष 1948 से दुनिया भर में स्थापित 71 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में से 49 में 200,000 से अधिक भारतीयों ने सेवा दी है।
  - भारत में महिलाओं को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भेजने की लंबी परंपरा रही है।
    - वर्ष 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में एक महिला दल को तैनात करने वाला पहला देश बना था।

दावोस शिखर सम्मेलन: विश्व आर्थिक मंच

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum's - WEF) के दावोस एजेंडा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया।

- दावोस (स्विट्जरलैंड) में WEF की वार्षिक बैठक वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिये विश्व के शीर्ष नेताओं को शामिल करती है।

प्रमुख बिंदु:

- एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य:
  - कोविड- 19 के दौरान भारत ने 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य' के अपने दृष्टिकोण का पालन करते हुए आवश्यक दवाओं और टीकों का निर्यात करके कई लोगों की जान बचाई।
    - भारत ने 31 दिसंबर 2021 तक 97 देशों को कोविड- 19 टीकों की 1154.173 लाख खुराकें पहुँचाई हैं।
  - भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक देश है और इसे 'विश्व के लिये फार्मेसी' माना जाता है।
- प्रो-प्लेनेट पीपुल्स (P3) एप्रोच:
  - वैश्विक मंच (UNFCCC COP 26) में जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करने वाले "पी3 (प्रो-प्लैनेट-पीपल) मूवमेंट" के विचार का प्रस्ताव रखा गया।
    - भारत के "स्वच्छ, हरित, टिकाऊ और विश्वसनीय" ऊर्जा लक्ष्यों को दोहराया गया, जो वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन (Net-Zero Carbon Emission) प्राप्त करने पर केंद्रित हैं।
  - LIFE (पर्यावरण के लिये जीवन शैली- UNFCCC COP-26 सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दी गई) को एक जन आंदोलन बनाना P3 के लिये एक मज़बूत आधार हो सकता है।
    - LIFE एक लचीली और टिकाऊ जीवनशैली की दृष्टि है जो जलवायु संकट व भविष्य की अन्य अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने में काम आएगी।
    - इस संस्कृति और उपभोक्तावाद ने जलवायु चुनौती को बढ़ा दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
- परिचय:
  - वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) एक स्विस गैर-लाभकारी संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में हुई थी।
  - स्विस सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- मिशन:
  - WEF वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग जगत की परियोजनाओं को आकार देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र और समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार के लिये प्रतिबद्ध है।
- संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष: क्लॉस श्वाब (Klaus Schwab)।
- WEF द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टों में से कुछ निम्नलिखित हैं:
  - ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (Energy Transition Index- ETI)
  - वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट (Global Competitiveness Report)
  - वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट (Global IT Report)
    - WEF द्वारा INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है।
  - वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (Global Gender Gap Report)
  - वैश्विक जोखिम रिपोर्ट (Global Risk Report)
  - वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट (Global Travel and Tourism Report) है।

SCO- क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना (RATS)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने एक वर्ष की अवधि (28 अक्तूबर, 2021 से) के लिये शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS-SCO) की अध्यक्षता ग्रहण की है।

- इसके अनुसरण में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) ने भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (DSCI) के सहयोग से समकालीन खतरे के माहौल में साइबरस्पेस की सुरक्षा पर एक सेमिनार का आयोजन किया है।

प्रमुख बिंदु:

- SCO-क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना
  - SCO-RATS शंघाई सहयोग संगठन का एक स्थायी निकाय है और इसका उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है।

- SCO-RATS का मुख्य कार्य समन्वय और सूचना साझा करना है।
- एक सदस्य के रूप में भारत ने SCO-RATS की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।
- भारत की स्थायी सदस्यता इसे अपने परिप्रेक्ष्य के लिये सदस्यों के बीच अधिक समझ को सक्षम बनाएगी।

- शंघाई सहयोग संगठन (SCO):
  - शंघाई सहयोग संगठन (SCO) को विशाल यूरेशियाई क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिरता बनाए रखने के लिये एक बहुपक्षीय संघ के रूप में स्थापित किया गया था।
  - यह उभरती चुनौतियों एवं खतरों का मुकाबला करने और व्यापार बढ़ाने के साथ-साथ सांस्कृतिक तथा मानवीय सहयोग के लिये सेनाओं के शामिल होने की परिकल्पना करता है। इसकी स्थापना 15 जून, 2001 को शंघाई में हुई थी।
  - वर्ष 2001 में SCO की स्थापना से पूर्व कज़ाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान 'शंघाई-5' नामक संगठन के सदस्य थे।
    - वर्ष 1996 में 'शंघाई-5' का गठन विसैन्यीकरण वार्ता की श्रृंखलाओं के माध्यम से हुआ था, चीन के साथ ये वार्ताएँ चार पूर्व सोवियत गणराज्यों द्वारा सीमाओं पर स्थिरता के लिये की गई थीं।
  - वर्ष 2001 में उज़्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद 'शंघाई-5' को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) नाम दिया गया।
  - SCO चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किये गए थे और यह वर्ष 2003 में लागू हुआ।
  - SCO की आधिकारिक भाषाएँ रूसी और चीनी हैं।
  - SCO के दो स्थायी निकाय हैं:
    - बीजिंग में स्थित SCO सचिवालय,
    - ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) की कार्यकारी समिति।
  - SCO की अध्यक्षता सदस्य देशों द्वारा रोटेशन के आधार पर एक वर्ष के लिये की जाती है।
  - वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला।
  - वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कज़ाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय

हाल ही में भारत ने सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) पर अपना समर्थन दोहराया है।

- भारत ने UNCLOS,1982 में विशेष रूप से परिलक्षित अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के आधार पर नेविगेशन और ओवरफ्लाइट तथा अबाधित वाणिज्य की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया है।
- भारत, UNCLOS का एक समर्थक देश है।

प्रमुख बिंदु:

- सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) 1982 एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो समुद्री और समुद्री गतिविधियों के लिये कानूनी ढाँचा स्थापित करता है।
- इसे समुद्र के नियम के रूप में भी जाना जाता है यह समुद्री क्षेत्रों को पाँच मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है अर्थात्- आंतरिक जल, प्रादेशिक सागर, सन्निहित क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और हाई सीज़।
- यह तटीय देशों और महासागरों को नेविगेट करने वालों द्वारा अपतटीय शासन के लिये मज़बूती प्रदान करता है।
- यह न केवल तटीय देशों के अपतटीय क्षेत्रों का ज़ोन है बल्कि पाँच संकेंद्रित क्षेत्रों में देशों के अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के लिये विशिष्ट मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।
- जबकि UNCLOS पर दक्षिण चीन सागर में लगभग सभी तटीय देशों द्वारा हस्ताक्षर और पुष्टि की गई है किंतु इसकी व्याख्या अभी भी बहुत विवादित है।

- पूर्वी चीन सागर में भी समुद्री विवाद है।

अफगानिस्तान के लिये मानवीय ट्रस्ट फंड: OIC

चर्चा में क्यों?

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में अफगानिस्तान में बढ़ते आर्थिक संकट को दूर करने के लिये एक मानवीय ट्रस्ट फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई, इस आर्थिक संकट की वजह से सर्दियों में लाखों लोगों को भूख का सामना करना पड़ा है।

- यह बैठक अमेरिका समर्थित सरकार के गिरने के बाद से अफगानिस्तान पर सबसे बड़ा सम्मेलन है।
- जुलाई 2021 में भारत ने पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत में सहायता के लिये OIC के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- मानवीय ट्रस्ट फंड:
  - अन्य समूहों के साथ समन्वय में अफगानिस्तान को सहायता प्रदान करने के लिये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के तहत कोष की स्थापना की जाएगी।
  - अफगानिस्तान को अपने वित्तीय संसाधनों तक पहुँच की अनुमति देना उसके आर्थिक पतन को रोकने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा और कहा कि अफगानिस्तान के बंद केंद्रीय बैंक भंडार में से अरबों डॉलर को निकालने के लिये यथार्थवादी रास्ते तलाशे जाने चाहिये।
    - बैठक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान के साथ-साथ अफगान शरणार्थियों को शरण देने वाले मुख्य देशों को तत्काल और निरंतर मानवीय सहायता प्रदान करने का भी आह्वान किया गया।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा ट्रस्ट फंड:
  - संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने अगस्त में तालिबान के अधिग्रहण के बाद से अफगानिस्तान के बंद केंद्रीय बैंक भंडार से अरबों डॉलर निष्कासित करने वाली प्रणाली के माध्यम से सीधे अफगानों को तत्काल आवश्यक नकदी प्रदान करने के लिये एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है।
  - इसे अफगान परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था ताकि वे आगामी सर्दियों में अपनी मातृभूमि में जीवित रह सके।
  - जर्मनी इस फंड में पहला योगदानकर्त्ता है। उसने इसके लिये 50 मिलियन यूरो (USD58 मिलियन) देने की प्रतिबद्धता ज़ाहिर की।

इस्लामिक सहयोग संगठन' (OIC):

- कुल 57 देशों की सदस्यता के साथ यह संयुक्त राष्ट्र (UN) के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है।
- यह संगठन दुनिया भर में मुस्लिम जगत की सामूहिकता का प्रतिनिधित्व करता है। यह दुनिया के विभिन्न देशों के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही दुनिया के मुस्लिम समुदायों के हितों की रक्षा एवं संरक्षण का प्रयास करता है।
- इसका गठन सितंबर 1969 में मोरक्को के रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था।
- मुख्यालय: जेद्दाह (सऊदी अरब)

IEA ने भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिये आमंत्रित किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिये आमंत्रित किया है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
  - भारत मार्च 2017 में IEA का एक सहयोगी सदस्य बना, लेकिन इससे पूर्व भी IEA के साथ जुड़ा हुआ था।
  - वर्ष 2021 में भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मज़बूत करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA) के साथ एक 'रणनीतिक साझेदारी समझौता' किया है।
  - भारत-IEA रणनीतिक साझेदारी के अपेक्षित परिणाम के रूप में IEA ने भारत को पूर्ण सदस्य बनकर IEA के साथ अपने सहयोग को मज़बूत करने हेतु आमंत्रित किया है।
- IEA की सदस्यता:
  - IEA में 30 सदस्य देश शामिल हैं।
  - इसमें आठ एसोसिएशन देश भी शामिल हैं। चार देश पूर्ण सदस्यता में शामिल होने की मांग कर रहे हैं- चिली, कोलंबिया, इज़रायल और लिथुआनिया।
  - IEA के लिये एक उम्मीदवार देश को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) का सदस्य देश होना चाहिये।
- पात्रता मानदंड: IEA उम्मीदवार देश में निम्नलिखित का होना आवश्यक है:
  - कच्चे तेल और/या उत्पाद भंडार (सामरिक तेल भंडार) पिछले वर्ष के शुद्ध आयात के 90 दिनों के बराबर हो, जिस तक सरकार की तत्काल पहुँच हो (भले ही उस पर सरकार का प्रत्यक्ष स्वामित्व न हो) और इसका उपयोग वैश्विक तेल की आपूर्ति में व्यवधानों को दूर करने के लिये किया जा सकता है।
    - भारत का वर्तमान सामरिक तेल भंडार देश की आवश्यकता के 9.5 दिनों की आपूर्ति के बराबर है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी

- परिचय
  - अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी वर्ष 1974 में पेरिस (फ्राँस) में स्थापित एक स्वायत्त अंतर-सरकारी संगठन है।

- IEA मुख्य रूप से ऊर्जा नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण आदि शामिल हैं। इन नीतियों को 'अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी' के '3E' के रूप में भी जाना जाता है।
- IEA का इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्लीन कोल सेंटर, कोयले को सतत् विकास लक्ष्यों के अनुकूल ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत बनाने पर स्वतंत्र जानकारी और विश्लेषण प्रदान करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

- प्रमुख रिपोर्ट:
  - वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट।
  - वर्ल्ड एनर्जी इंवेस्टमेंट रिपोर्ट।
  - वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स।
  - वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेज़।
  - एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स।
  - इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट।

13वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने 13वें ब्रिक्स वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, जो कि वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था।

- इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय 'ब्रिक्स@15: निरंतरता, समेकन और आम सहमति ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी कार्ययोजना
  - यह आतंकवाद विरोधी सहयोग के क्षेत्रों के प्रति ब्रिक्स देशों के दृष्टिकोण और कार्यों को परिभाषित करती है जिसमें शामिल हैं: कट्टरता और ऑनलाइन आतंकवादी खतरों का मुकाबला, सीमा प्रबंधन, सूचना/खुफिया साझाकरण आदि।
- स्वीकृत दिल्ली घोषणा:
  - घोषणा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) सहित संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में सुधार का आह्वान किया गया।
    - यह पहली बार है कि ब्रिक्स ने 'बहुपक्षीय प्रणालियों को मज़बूत करने और सुधारने' पर सामूहिक रुख अपनाया है।
  - अफगानिस्तान के अलावा ब्रिक्स नेताओं ने म्याँमार, सीरिया में संघर्ष, कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव, इज़रायल-फिलिस्तीन हिंसा और अन्य क्षेत्रीय विवादों को भी उठाया।
    - इसने अफगानिस्तान में स्थिरता के लिये "समावेशी अंतर-अफगान वार्ता" का भी आह्वान किया।

BRICS

ब्रिक्स का ब्रिक्स दुनिया की पाँच अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं- ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिये एक संक्षिप्त शब्द (Abbreviation) है।

- BRICS की चर्चा वर्ष 2001 में Goldman Sachs के अर्थशास्त्री जिम ओ' नील द्वारा ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के लिये विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी।
- वर्ष 2006 में चार देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंत में विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया।
- दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को BRIC में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया और इसे BRICS कहा जाने लगा।

- ब्रिक्स विश्व के पाँच सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है, जो वैश्विक आबादी का 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व करता है।
- ब्रिक्स शिखर सम्मलेन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष B-R-I-C-S के क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है।
  - भारत वर्ष 2021 के सम्मलेन का अध्यक्ष है।
- वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान BRICS नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये। उन्होंने सदस्यों को अल्पकालिक लिक्विडिटी सहायता प्रदान करने हेतु ब्रिक्स आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था (BRICS Contingent Reserve Arrangement) पर भी हस्ताक्षर किये।

पूर्वी आर्थिक मंच (EEF)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री (PM) ने वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छठे पूर्वी आर्थिक मंच (EEF) के पूर्ण सत्र को संबोधित किया।

- प्रधानमंत्री ने 'विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' के अनुरूप भारत-रूस पूर्वी आर्थिक मंच के बारे में:
  - ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की स्थापना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी।
  - इस फोरम की बैठक प्रत्येक वर्ष रूस के शहर व्लादिवोस्तोक (Vladivostok) में आयोजित की जाती है।
  - यह फोरम विश्व अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों, क्षेत्रीय एकीकरण, औद्योगिक तथा तकनीकी क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ रूस और अन्य देशों के समक्ष मौजूद वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।

- फोरम के व्यापार कार्यक्रम में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख भागीदार देशों और आसियान के साथ कई व्यापारिक संवाद शामिल हैं, जो दक्षिण-पूर्व एशिया में गतिशील रूप से विकासशील देशों का एक प्रमुख एकीकरण संगठन है।
- यह रूस और एशिया प्रशांत के देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने की रणनीति पर चर्चा करने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है।

- संबंधों और सहयोग के संभावित क्षेत्रों के महत्त्व पर प्रकाश डाला।

FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्सक्शन टास्क फोर्स' (FATF) ने पाकिस्तान को 'ग्रे लिस्ट' या 'इन्क्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट' में बनाए रखा है।

- FATF ने जॉर्डन, माली और तुर्की को भी 'ग्रे लिस्ट' में शामिल करने की घोषणा की है।
- बोत्सवाना और मॉरीशस को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया था।

बाल यौन शोषण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस द्वारा जारी रिपोर्ट 'ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट 2021' से पता चलता है कि कोविड -19 ने बाल यौन शोषण और ऑनलाइन दुर्व्यवहार में महत्वपूर्ण वृद्धि में योगदान दिया था।

- रिपोर्ट बाल यौन शोषण और ऑनलाइन दुर्व्यवहार के पैमाने और दायरे को रेखांकित करती है साथ ही इस मुद्दे पर वैश्विक प्रतिक्रिया का एक सिंहावलोकन भी करती है।
- वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस (WeProtect Global Alliance) 200 से अधिक सरकारों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और नागरिक समाज संगठनों का एक वैश्विक मूवमेंट है, जो बाल यौन शोषण और ऑनलाइन दुर्व्यवहार के खिलाफ वैश्विक प्रतिक्रिया को बदलने के लिये एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

ऑनलाइन यौन शोषण से प्रभावित लोगों का प्रतिशत

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:
  - विगत दो वर्षों में बाल यौन शोषण और ऑनलाइन दुर्व्यवहार की रिपोर्टिंग अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है।
    - कोविड-19 के चलते विश्व भर में ऐसी स्थितियाँ बनीं जिन्होंने बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार को और अधिक बढ़ाने का कार्य किया।
  - इंटरनेट वॉच फाउंडेशन के अनुसार, बच्चों द्वारा 'स्व-निर्मित' यौन सामग्री में वृद्धि एक और चिंताजनक प्रवृत्ति है।
  - ट्रांसजेंडर/गैर-बाइनरी, LGBQ+ और/या विकलांगों को बाल्यावस्था के दौरान ऑनलाइन यौन दुर्व्यहार का अनुभव होने की अधिक संभावना थी।
  - भारतीय परिदृश्य:
    - महामारी के दौरान, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन (NCMEC) ने अपनी वैश्विक साइबर टिपलाइन में संदिग्ध बाल यौन शोषण की रिपोर्ट में 106 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत दिया।
    - NCMEC यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्ग्रेस द्वारा स्थापित एक गैर सरकारी संगठन (NGO) है।
    - इसके अलावा भारत में कोविड -19 लॉकडाउन के दौरान, बाल यौन शोषण सामग्री की सर्च में 95% की वृद्धि हुई थी।
- बाल यौन शोषण से संबंधित समस्याएँ:
  - बहुस्तरीय समस्या: बाल यौन शोषण एक बहुस्तरीय समस्या है जो बच्चों की शारीरिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण और व्यवहार संबंधी पहलुओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
  - डिजिटल प्रौद्योगिकियों के कारण प्रवर्द्धन: मोबाइल और डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने बाल शोषण तथा दुर्व्यवहार को और अधिक बढ़ा दिया है। साइबर बुलिंग, उत्पीड़न और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे बाल शोषण के नए रूप भी सामने आए हैं।
  - अप्रभावी विधान: हालाँकि भारत सरकार ने यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो अधिनियम) अधिनियमित किया है, लेकिन यह बच्चे को यौन शोषण से संरक्षित करने में विफल रही है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:
    - दोषसिद्धि की निम्न दर: POCSO अधिनियम के तहत दोषसिद्धि की दर केवल 32% है जिसमे विगत 5 वर्षों के दौरान औसतन लंबित मामलों का प्रतिशत 90% है।
    - न्यायिक विलंब: कठुआ बलात्कार मामले में मुख्य आरोपी को दोषी ठहराए जाने में 16 महीने लग गए जबकि पॉक्सो अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पूरी सुनवाई और दोषसिद्धि की प्रक्रिया एक वर्ष में पूरी की जानी चाहिये।

- बच्चे के प्रति मित्रता का अभाव: बच्चे की आयु-निर्धारण से संबंधित चुनौतियाँ। विशेष रूप से ऐसे कानून जो वास्तविक उम्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं न कि मानसिक उम्र पर।

बाल यौन शोषण को रोकने के लिये भारतीय पहल

- बाल शोषण रोकथाम एवं जाँच इकाई
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- किशोर न्याय अधिनियम/देखभाल और संरक्षण अधिनियम, 2000
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (2006)
- बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम, 2016
- ऑपरेशन स्माइल

आगे की राह

- व्यापक ढाँचा: रिपोर्ट बच्चों के लिये सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने तथा बच्चों को सुरक्षित रखने की भूमिका हेतु एक साथ काम करने के अलावा, दुर्व्यवहार के खिलाफ रोकथाम गतिविधियों को प्राथमिकता देने का आह्वान करती है।
- बहु हितधारक दृष्टिकोण: कानूनी ढाँचे, नीतियों, राष्ट्रीय रणनीतियों और मानकों के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये माता-पिता, स्कूलों, समुदायों, NGO भागीदारों तथा स्थानीय सरकारों के साथ-साथ पुलिस व वकीलों को शामिल करने हेतु एक व्यापक आउटरीच प्रणाली विकसित किये जाने की अभी आवश्यकता है।

भारतीय रेलवे: वर्ष 2030 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रेलवे ने यह संभावना व्यक्त की है कि वह वर्ष 2030 तक विश्व का पहला 'नेट-ज़ीरो' कार्बन उत्सर्जक बन सकता है।

- इसके लिये भारतीय रेलवे एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपना रहा है जिसमें अक्षय ऊर्जा के स्रोतों में वृद्धि से लेकर अपने ट्रैक्शन नेटवर्क का विद्युतीकृत करना और अपनी ऊर्जा खपत को कम करना शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - भारतीय रेलवे: यह आकार के मामले में विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। यह देश के सबसे बड़े बिजली उपभोक्ताओं में से एक है।
    - यात्री सेवाएँ: लगभग 67,956 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली 13,000 ट्रेनों के माध्यम से पूरे उपमहाद्वीप में प्रतिदिन 24 मिलियन यात्री यात्रा करते हैं।
    - माल ढुलाई सेवाएँ: प्रति दिन 3.3 मिलियन टन माल ढुलाई का कार्य किया जाता है जिसके लिये बड़े पैमाने पर ईंधन की आवश्यकता होती है।
  - कुल उत्सर्जन में योगदान: भारत का परिवहन क्षेत्र देश के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 12% का योगदान देता है, जिसमें रेलवे की हिस्सेदारी लगभग 4% है।
  - उत्सर्जन में कमी की संभावना: भारतीय रेलवे वर्ष 2030 तक माल ढुलाई के पने आधिकारिक लक्ष्य को वर्तमान 33% से बढ़ाकर 50% तक कर सकता है।
    - माल ढुलाई को रेल में स्थानांतरित करके और ट्रकों के उपयोग को अनुकूल बनाकर, भारत सामान्य व्यापार परिदृश्य की तुलना में वर्ष 2050 तक रसद लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 14% से घटाकर 10% तक कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 70% तक कम कर सकता है।
- भारतीय रेलवे द्वारा की गई पहल:
  - माल ढुलाई की मात्रा में वृद्धि: भारतीय रेलवे ने परिवहन से होने वाले कुल उत्सर्जन को कम करने के लिये अपने द्वारा की जाने वाली माल ढुलाई की मात्रा को वर्ष 2015 के लगभग 35% से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 45% निर्धारित कर दिया है।
  - पूर्ण विद्युतीकरण: भारतीय रेलवे का पूर्ण विद्युतीकरण वित्तीय वर्ष 2024 तक लक्षित है। इसके पश्चात् यह विश्व की सबसे बड़ी 100% विद्युतीकृत वाली रेल परिवहन प्रणाली होगी।
  - सौर ऊर्जा का उपयोग: ट्रैक्शन (कर्षण) भार और गैर-ट्रैक्शन भार दोनों के लिये 20 गीगावाट (GW) सौर ऊर्जा स्थापित करने की योजना है।
    - जुलाई 2020 में मध्य प्रदेश के बीना में एक 1.7 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया। यह विश्व का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है जो सीधे रेलवे ओवरहेड लाइनों को बिजली प्रदान करता है, जिससे लोकोमोटिव ट्रैक्शन पावर का संचरण करते हैं।
    - हरियाणा के दीवाना में 2.5 मेगावाट की सौर परियोजना।
    - भिलाई (छत्तीसगढ़) में 50 मेगावाट क्षमता वाली तीसरी पायलट परियोजना पर काम शुरू हो गया है।
    - साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म शेल्टर के रूप में 16 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है।
    - रेल मंत्रालय ने 960 से अधिक स्टेशनों पर सौर पैनल स्थापित किये हैं और रेलवे स्टेशन की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है।

- निजी क्षेत्र की भागीदारी: मंत्रालय ने रेलवे भुगतान में चूक की स्थिति में साख पत्र (Letter of Credit) के प्रावधानों को शामिल किया है साथ ही सौर ऊर्जा निर्माताओं के लिये मॉडल नीलामी दस्तावेज़ में देरी से भुगतान के लिये जुर्माने का भी प्रावधान है।
  - इसका उद्देश्य निजी क्षेत्रों को परियोजना में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना है।
- चुनौतियाँ:
  - ओपन एक्सेस के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना में नियामक चुनौतियों के कारण रेलवे के लिये बिजली के प्रवाह हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NoC) का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। हालाँकि रेलवे इसे संचालित करने का पूरा प्रयास कर रहा है।
    - अगर इन राज्यों में ओपन एक्सेस के जरिये बिजली खरीदने की मंज़ूरी मिल जाती है तो सौर परिनियोजन (Solar Deployment) में वृद्धि हो सकती है।
  - व्हीलिंग और बैंकिंग प्रावधान: यदि राज्य व्हीलिंग और बैंकिंग व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं तो सौर क्षमता की पूर्ण तैनाती अधिक व्यवहार्य हो जाएगी।
  - सोलर खरीद दायित्व और गैर-सोलर खरीद दायित्व का विलय: सोलर एवं गैर-सोलर दायित्वों का समेकन रेलवे को अपने अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्वों को पूरा करने की अनुमति देगा।
  - अप्रतिबंधित नेट मीटरिंग नियम: रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के लिये अप्रतिबंधित नेट मीटरिंग से रेलवे सोलर प्लांट्स की तैनाती में तेज़ी आएगी।

शुद्ध शून्य उत्सर्जन/नेट ज़ीरो उत्सर्जन (NZE)

- 'शुद्ध शून्य उत्सर्जन' का तात्पर्य उत्पादित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वातावरण से निकाले गए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के मध्य एक समग्र संतुलन स्थापित करना है।
  - सर्वप्रथम मानवजनित उत्सर्जन (जैसे जीवाश्म-ईंधन वाले वाहनों और कारखानों से) को यथासंभव शून्य के करीब लाया जाना चाहिये।
  - दूसरा, किसी भी शेष GHGs को कार्बन को अवशोषित कर (जैसे- जंगलों की पुनर्स्थापना द्वारा) संतुलित किया जाना चाहिये।
- वैश्विक परिदृश्य:
  - जून 2020 तक बीस देशों और क्षेत्रों ने शुद्ध-शून्य लक्ष्यों को अपनाया है।
  - भूटान पहले से ही कार्बन नकारात्मक देश है अर्थात् यह CO_2 के उत्सर्जन की तुलना में अवशोषण अधिक करता है।
- भारतीय परिदृश्य:
  - भारत का प्रति व्यक्ति CO_2 उत्सर्जन, जो कि वर्ष 2015 में 1.8 टन के स्तर पर था, संयुक्त राज्य अमेरिका के नौवें हिस्से के बराबर और वैश्विक औसत (4.8 टन प्रति व्यक्ति) के लगभग एक-तिहाई है।
  - हालाँकि समग्र तौर पर भारत अब चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद CO_2 का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है।
  - सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले क्षेत्र:
    - ऊर्जा> उद्योग> वानिकी> परिवहन> कृषि> भवन

नया क्वाड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत, अमेरिका, इज़रायल और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने एक वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक पश्चिम एशियाई भू-राजनीति में बदलाव और मध्य पूर्व में एक अन्य क्वाड जैसे समूह के गठन की एक मज़बूत अभिव्यक्ति है।

- इस नए समूह में भारत की भागीदारी उसकी विदेश नीति में बदलाव को दर्शाती है।

प्रमुख बिंदु

- नए समूहीकरण हेतु उत्तरदायी कारक:
  - अब्राहम समझौता: अब्राहम एकॉर्ड के माध्यम से इज़रायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की बहाली के बाद नया समूह संभव है।
  - तुर्की के क्षेत्रीय प्रभुत्व से मुकाबला करना: इस्लामिक जगत के नेतृत्व हेतु तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन के मुखर दावों के बीच इस नए क्वाड को भारत, संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल के बीच हितों के अभिसरण का परिणाम कहा जा सकता है।
  - एशिया के लिये अमेरिका की महत्त्वपूर्ण भूमिका: चीन के प्रभुत्व से निपटने हेतु अमेरिका स्पष्ट रूप से मध्य पूर्व में अपने पदचिह्न को कम करने और एशिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।
    - चीन की बढ़ती मुखरता को रोकने के लिये अमेरिका ने अपनी 'एशिया नीति' के तहत क्वाड पहल और इंडो पैसिफिक नैरेटिव आदि को लॉन्च किया है।
- भारत के लिये महत्त्व
  - एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण की ओर बदलाव: चार देशों की बैठक से पता चलता है कि भारत अब अलग-अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की बजाय एक एकीकृत क्षेत्रीय नीति की ओर अलग-अलग बढ़ने के लिये तैयार है।

- पश्चिम की ओर भारत का झुकाव: जिस तरह से 'इंडो-पैसिफिक' ने पूर्व में भारत के दृष्टिकोण में बदलाव किया है, उसी प्रकार 'ग्रेटर मिडिल ईस्ट' की धारणा पश्चिम में विस्तारित पड़ोसी देशों के साथ भारत के जुड़ाव को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है।
- पाकिस्तान का मुकाबला करना: इसके अलावा नया समूह तुर्की के साथ पाकिस्तान के बढ़ते संरेखण और अरब की खाड़ी में अपने पारंपरिक रूप से मज़बूत समर्थकों- संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से अलग होने से भी प्रेरित है।
- गहराते संबंध: पिछले कुछ वर्षों में भारत ने नए समूह में सभी देशों के साथ जीवंत द्विपक्षीय संबंध बनाए हैं।
  - यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ क्वाड का सदस्य है, जिनकी पूर्वी एशिया में समान चिंताएँ और साझा हित हैं।
  - इज़राइल भारत के शीर्ष रक्षा आपूर्तिकर्त्ताओं में से एक है।
  - UAE, भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है और लाखों भारतीय कामगारों की मेज़बानी करता है।

आगे की राह

- टू अर्ली टू कॉल: हालाँकि इस तरह के समूह के रणनीतिक महत्त्व के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी, लेकिन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ यह अपने संबंधों को गहरा कर सकता है, जैसे- व्यापार, ऊर्जा संबंध, जलवायु परिवर्तन से लड़ना और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना।
- क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता से दूरी बनाए रखना: भारत को सावधान रहना चाहिये कि वह पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों में न फंस जाए, जो बढ़ती क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता के बीच और तीव्र हो सकते हैं।
- ईरान के साथ जुड़ाव: अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद भारत महाद्वीपीय एशिया में गहरी असुरक्षा का सामना कर रहा है।
  - इसलिये भारत के सामने चुनौती ईरान के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखने की है, जबकि वह यूएस-इज़रायल-यूएई ब्लॉक के साथ एक मज़बूत क्षेत्रीय साझेदारी का निर्माण करना चाहता है।

विरोध का अधिकार

चर्चा में क्यों ?

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सड़कों (नागरिकों के आवागमन के अधिकार में बाधा) को अनिश्चित काल के लिये अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

- विरोध का अधिकार:
  - हालाँकि विरोध का अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत एक स्पष्ट अधिकार नहीं है, इसे अनुच्छेद 19 के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।
    - अनुच्छेद 19(1)(a): अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सरकार के आचरण पर स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार देता है।
    - अनुच्छेद 19(1)(b): राजनीतिक उद्देश्यों के लिये संघ बनाने के लिये संघ (Association) के अधिकार की आवश्यकता होती है।
    - इनका गठन सरकार के निर्णयों को सामूहिक रूप से चुनौती देने के लिये किया जा सकता है।
    - अनुच्छेद 19(1)(c) : शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का अधिकार लोगों को प्रदर्शनों, आंदोलनों और सार्वजनिक सभाओं द्वारा सरकार के कार्यों पर सवाल उठाने तथा आपत्ति जताने व निरंतर विरोध आंदोलन शुरू करने की अनुमति देता है।
    - ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक ढंग से एकत्रित होने और राज्य की कार्रवाई या निष्क्रियता का विरोध करने में सक्षम बनाते हैं।
  - विरोध का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि लोग सजगता/निगारानी पूर्ण ढंग से कार्य कर सकें और सरकारों के कृत्यों की लगातार निगरानी कर सकें।
    - यह सरकारों को उनकी नीतियों और कार्यों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करता है जिसके बाद संबंधित सरकार परामर्श, बैठकों और चर्चा के माध्यम से अपनी गलतियों को पहचानती है और सुधारती है।
- विरोध के अधिकार पर प्रतिबंध:
  - अनुच्छेद 19(2) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाता है। ये उचित प्रतिबंध निम्नलिखित आधार पर लगाए गए हैं:
    - भारत की संप्रभुता और अखंडता,
    - राज्य की सुरक्षा,
    - विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध,
    - सार्वजनिक व्यवस्था,
    - शालीनता या नैतिकता
    - न्यायालय की अवमानना,
    - मानहानि
    - किसी अपराध के लिये उकसाना।

- इसके अलावा, विरोध के दौरान हिंसा का सहारा लेना नागरिकों के एक प्रमुख मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है।
  - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्त्तव्यों के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक के लिये "सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और हिंसा से दूर रहने" का प्रावधान किया गया है।
- संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:
  - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 में शाहीन बाग विरोध के संबंध में याचिका पर सुनवाई करते हुए कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को बरकरार रखा, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि अनिश्चित काल के लिये सार्वजनिक रास्तों और सार्वजनिक स्थानों पर कब्ज़ा नहीं किया जा सकता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने मज़दूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ और एक अन्य मामले में अपने 2018 के फैसले का उल्लेख किया, जो दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों से संबंधित था।
    - निर्णय ने स्थानीय निवासियों के हितों को प्रदर्शनकारियों के हितों के साथ संतुलित करने का प्रयास किया और पुलिस को शांतिपूर्ण विरोध एवं प्रदर्शनों हेतु क्षेत्र के सीमित उपयोग के लिये एक उचित व्यवस्था करने तथा इसके लिये मानदंड निर्धारित करने का निर्देश दिया।
  - रामलीला मैदान घटना बनाम गृह सचिव, भारत संघ एवं अन्य मामले (2012) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, "नागरिकों को एकत्रित होने और शांतिपूर्ण विरोध का मौलिक अधिकार है जिसे एक मनमानी कार्यकारी या विधायी कार्रवाई से नहीं हटाया जा सकता है"।

पाकिस्तान: FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स' (FATF) ने पाकिस्तान को 'ग्रे लिस्ट' या 'इन्क्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट' में बनाए रखा है।

- FATF ने जॉर्डन, माली और तुर्की को भी 'ग्रे लिस्ट' में शामिल करने की घोषणा की है।
- बोत्सवाना और मॉरीशस को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया था।

प्रमुख बिंदु

- वैश्विक FATF मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहने और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों की जाँच एवं अभियोजन पर प्रगति की कमी के कारण पाकिस्तान को इस लिस्ट में बरकरार रखा गया है।
- पाकिस्तान तब तक ग्रे लिस्ट में रहेगा जब तक कि वह जून 2018 में सहमत मूल कार्य योजना में शामिल सभी मदों के साथ-साथ FATF के क्षेत्रीय साझेदार- 'एशिया पैसिफिक ग्रुप' (APG) द्वारा वर्ष 2019 में सौंपे गए समानांतर कार्य योजना में शामिल सभी मदों को सही ढंग से संबोधित नहीं करता है।.
  - पाकिस्तान सरकार की दो समवर्ती कार्य योजनाएँ हैं, जिसमें कुल 34 मद शामिल हैं।
  - पाकिस्तान ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है और उसने जून 2018 में सहमत मूल कार्य योजना के 27 में से 26 मदों को संबोधित किया है। वित्तीय आतंकवाद से संबंधित मद को अभी भी संबोधित किया जाना शेष है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force-FATF)

- संदर्भ:
  - FATF, वर्ष 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय है।
  - यह किसी देश के धन-शोधन-विरोधी और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण ढाँचे की ताकत का आकलन करता है, हालाँकि यह व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है।
- उद्देश्य:
  - इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिये मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिये मानक निर्धारित करना तथा कानूनी, नियामक एवं परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।
- मुख्यालय:
  - इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) मुख्यालय में स्थित है।
- सदस्य देश:
  - FATF में वर्तमान में 39 सदस्य हैं जिनमें दो क्षेत्रीय संगठन - यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल हैं। भारत FATF का सदस्य है।
  - FATF की सूचियाँ:
    - ग्रे लिस्ट:
- जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिये सुरक्षित स्थल माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है।
- इस सूची में शामिल किया जाना संबंधित देश के लिये एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया सकता है।
    - ब्लैक लिस्ट:

- असहयोगी देशों या क्षेत्रों (Non-Cooperative Countries or Territories- NCCTs) के रूप में जाने जाने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
- इस सूची में देशों को शामिल करने अथवा हटाने के लिये FATF इसे नियमित रूप से संशोधित करता है।
- वर्तमान में, ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK) को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार या ब्लैक लिस्ट में हैं।
  - सत्र:
    - FATF प्लेनरी, FATF का निर्णय लेने वाला निकाय है। इसके सत्रों का आयोजन प्रति वर्ष तीन बार होता है
  - वर्ष 2019 की कार्य योजना मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग की कमियों पर केंद्रित थी।

G20 विदेश मंत्रियों की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इटली ने कोविड-19 का मुकाबला करने, वैश्विक अर्थव्यवस्था में रिकवरी को तीव्र करने और अफ्रीका में सतत् विकास को बढ़ावा देने जैसे विषयों के लिये G-20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की।

- वर्तमान में इटली के पास G-20 की अध्यक्षता है। G-20 शिखर सम्मेलन अक्तूबर, 2021 में इटली में आयोजित होने वाला है।
- भारत द्वारा वर्ष 2023 में G-20 की अध्यक्षता करने की उम्मीद है।

G-20

- G-20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रतिनिधि, यूरोपियन संघ एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है।
- G-20 समूह विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक साथ लाता है। यह वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक निवेश का 85%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85% तथा विश्व की दो-तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है
- G-20 के सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्राँस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- इसका कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है।

बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) पहल

चर्चा में क्यों?

बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) पहल हेतु संभावित परियोजनाओं की तलाश में अमेरिकी अधिकारी लैटिन अमेरिका का दौरा करेंगे।

- B3W जून 2021 में सबसे सफल लोकतंत्र वाले देशों के G-7 समूह द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचा निवेश पहल है।
- B3W पहल को चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का मुकाबला करने के लिये एक प्रमुख बिंदु

B3W और इसके मार्गदर्शक सिद्धांत:

- लक्ष्य: बिल्ड बैक बेटर प्लान विकासशील और निम्न-आय वाले देशों के लिये G-7 देशों द्वारा प्रस्तावित एक कोविड-19 राहत, भविष्य का आर्थिक और बुनियादी ढाँचा पैकेज़ है।
- B3W के घटक: B3W के माध्यम से G7 और अन्य समान विचारधारा वाले भागीदार फोकस के चार क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की पूंजी जुटाने में समन्वय स्थापित करेंगे:
  - जलवायु
  - स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा
  - डिजिटल टेक्नोलॉजी
  - लैंगिक समानता
- मूल्य-संचालित विकास: वित्तीय, पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से पारदर्शी तथा टिकाऊ तरीके से किये गए बुनियादी ढाँचे के विकास से प्राप्तकर्त्ता देशों और समुदायों के लिये बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।
- सुशासन और मज़बूत मानक: पर्यावरण और जलवायु, श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों, पारदर्शिता, वित्तपोषण, निर्माण, भ्रष्टाचार विरोधी तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित ब्लू डॉट नेटवर्क द्वारा प्रचारित मानकों का अनुपालन कर निवेश को बढ़ावा देने के लिये B3W महत्त्वपूर्ण है।
- जलवायु अनुकूल: यह पहल पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के अनुरूप तरीके से स्थापित किया जाएगा।
- मज़बूत रणनीतिक साझेदारी: B3W विकास के आक्रामक मॉडल का मुकाबला करने और वैश्विक विकास का एक व्यापक समावेशी मॉडल स्थापित करने की परिकल्पना करेगा।

वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर

- परिचय
  - समझौते के मुताबिक, G7 देश कम-से-कम 15 प्रतिशत की वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर का समर्थन करेंगे और उन देशों में करों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये उपाय किये जाएंगे, जहाँ व्यवसाय संचालित होते हैं।

- कॉर्पोरेट कर अथवा निगम कर उस शुद्ध आय या लाभ पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है, जो उद्यम अपने व्यवसायों से लाभ कमाते हैं।

- प्रयोज्यता
  - यह कंपनियों के विदेशी लाभ पर लागू होगा। ऐसे में यदि सभी देश वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर पर सहमत होते हैं, तब भी सरकारों द्वारा स्थानीय कॉर्पोरेट कर की दर स्वयं ही निर्धारित की जाएगी।
  - किंतु यदि कंपनियाँ किसी विशिष्ट देश में कम दरों का भुगतान करती हैं, तो उनकी घरेलू सरकारें अपने करों को सहमत न्यूनतम दर पर ला सकती हैं, जिससे लाभ को टैक्स हेवन में स्थानांतरित करने का लाभ समाप्त हो जाता है।
    - 'टैक्स हेवन' का आशय आमतौर पर एक ऐसे देश से होता है, जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर वातावरण में विदेशी व्यक्तियों तथा व्यवसायों को बहुत कम या न्यूनतम कर देयता प्रदान करता है।

अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयास:

- आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) सीमा पार डिजिटल सेवाओं पर कर लगाने और वैश्विक कॉर्पोरेट न्यूनतम कर सहित कर आधार क्षरण (Base Erosion) को रोकने के नियमों

ग्रुप ऑफ सेवन (G7)

- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका गठन वर्ष 1975 में किया गया था।
- वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिये प्रतिवर्ष G7 ब्लॉक की बैठक आयोजित की जाती है।
- G7 देशों में ब्रिटेन, कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं।
  - सभी G7 देश और भारत G20 का हिस्सा हैं।
- G7 का कोई औपचारिक संविधान या कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधियों द्वारा लिये गए निर्णय गैर-बाध्यकारी होते हैं।
- पर 140 देशों के बीच कर वार्ता का समन्वयन कर रहा है।

मिशन सागर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आईएनएस केसरी, मोज़ाम्बिक की सरकार के प्रयासों का समर्थन करने हेतु चल रहे सूखे और महामारी की समवर्ती चुनौतियों से निपटने के लिये 500 टन खाद्य सहायता देने हेतु 'मापुटो' (मोज़ाम्बिक) के बंदरगाह पर पहुँच गया है।

- भारत ने मोज़ाम्बिक को दो तेज़ इंटरसेप्टर क्राफ्ट और आत्मरक्षा सैन्य उपकरण भी दिये हैं।
- 'क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास' (सागर) के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप यह आठवीं ऐसी तैनाती है तथा विदेश मंत्रालय एवं भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में आयोजित की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- मिशन सागर:
  - मई 2020 में शुरू किया गया 'मिशन सागर' हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों में देशों को कोविड-19 संबंधित सहायता प्रदान करने हेतु भारत की पहल थी। इसके तहत मालदीव, मॉरीशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स जैसे देश शामिल थे।
    - मिशन सागर 'के तहत भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) और उसके तटवर्ती देशों में चिकित्सा और मानवीय सहायता भेजने के लिये अपने जहाज़ों को तैनात कर रही है।
    - इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना ने 15 मित्र देशों को 3,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद्य सहायता, 300 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन, 900 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 20 आईएसओ कंटेनरों की सहायता प्रदान की है।
  - नवंबर 2020 में मिशन सागर-द्वितीय के हिस्से के रूप में आईएनएस ऐरावत ने सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्य सहायता पहुँचाई।
  - मिशन सागर-III वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान मित्र देशों को भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता का हिस्सा है।
    - यह सहायता वियतनाम और कंबोडिया को भी दी गई है। यह आसियान देशों को दिये गए महत्त्व पर प्रकाश डालता है और मौजूदा संबंधों को और मज़बूत करता है।

सागर (SAGAR) पहल:

- सागर पहल (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। यह हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के लिये भारत की रणनीतिक पहल है।
- सागर के माध्यम से भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करने और उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहता है।

- इसके अलावा भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहता है और हिंद महासागर क्षेत्र में समावेशी, सहयोगी तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना सुनिश्चित करता है।
- सागर की प्रमुख प्रासंगिकता तब सामने आती है जब समुद्री क्षेत्र को प्रभावित करने वाली भारत की अन्य नीतियों जैसे- एक्ट ईस्ट पॉलिसी, प्रोजेक्ट सागरमाला, प्रोजेक्ट मौसम, को ब्लू इकोनॉमी आदि पर 'शुद्ध सुरक्षा प्रदाता' के रूप में देखा जाता है

GERD पर गतिरोध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इथियोपिया ने ऊपरी ब्लू नील नदी पर एक ग्रैंड इथियोपियाई रेनेसां डैम (Grand Ethiopian Renaissance Dam's - GERD) जलाशय को भरने (Filling) का दूसरा चरण शुरू किया है, जिसके कारण इस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आगामी बैठक से पूर्व सूडान और मिस्र से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

- इससे पूर्व इथियोपिया ने यह घोषणा की थी कि वह जुलाई में किसी समझौते या बिना किसी प्रमुख बिंदु

परिचय :

- अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील एक दशक से चल रहे जटिल विवाद के केंद्र में है, इस विवाद में कई देश शामिल हैं, जो नदी के जल पर निर्भर हैं।
- इथियोपिया द्वारा वर्ष 2011 में ब्लू नील नदी पर GERD के निर्माण का कार्य शुरू किया गया था।
  - यह 145 मीटर लंबी पनबिजली प्रोजेक्ट है जो अफ्रीका की सबसे बड़ी बांध परियोजना है जिसका नील नदी पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा।
  - ब्लू नील, नील नदी की एक सहायक नदी है और यह इसके पानी की मात्रा का दो-तिहाई भाग तथा अधिकांश गाद का वहन करती है।
- मिस्र नील नदी के अनुप्रवाह क्षेत्र में स्थित है इसलिये इसने बांध के निर्माण पर आपत्ति जताई है तथा इस परियोजना के लिये एक लंबी समयावधि प्रस्तावित की है।
  - मिस्र का मानना है कि जलाशय प्रारंभिक अवस्था में जल से भरा होता है लेकिन नदी पर इथियोपिया का नियंत्रण होने से उसकी सीमाओं के भीतर जल स्तर कम हो सकता है।
- सूडान भी इस विवाद में बांध के निर्माण स्थान के कारण शामिल रहा है।
- जल स्रोत के रूप में अफ्रीका में नील नदी का बहुत अधिक महत्त्व है, अत: चिंता का मुख्यतया विषय यह है कि वर्तमान नदी विवाद दोनों राष्ट्रों (इथियोपिया और मिस्र) के बीच पूर्ण संघर्ष में भी बदल सकता है।
- हाल ही में अमेरिका ने इस नदी विवाद में मध्यस्थता करने के लिये कदम बढ़ाया है।
- समझौते के साथ जलाशय के फिलिंग/भरने के दूसरे चरण में आगे बढ़ेगा।

नील नदी

- नील नदी अफ्रीका में स्थित है। यह भूमध्यरेखा के दक्षिण में बुरुंडी से निकलकर उत्तर-पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है।
- कभी-कभी विक्टोरिया झील को नील नदी का स्रोत माना जाता है, जबकि कागेरा नदी (Kagera River) जैसी विविध आकारों की नदियाँ स्वयं इस झील के लिये फीडर रूप में कार्य करती हैं।
- नील नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक माना जाता है।
  - नील नदी की तीन प्रमुख सहायक नदियाँ- ब्लू नील, अटबारा और व्हाइट नील हैं।
- नील नदी का बेसिन काफी विशाल है और इसमें तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कांगो और केन्या आदि देश शामिल हैं।
- नील नदी एक चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। त्रिकोणीय अथवा धनुषाकार आकार वाले डेल्टा को चापाकार डेल्टा कहा जाता है।

दक्षिण अफ्रीका में हिंसक विरोध प्रदर्शन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में दंगों और लूटपाट में 70 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, साथ ही व्यवसायों और देश की बुनियादी अवसंरचना को भी गंभीर नुकसान पहुँचा है।

- वर्ष 1994 में श्वेत अल्पसंख्यक शासन के अंत के बाद इस घटना को सबसे महत्त्वपूर्ण नागरिक अशांति के रूप में देखा जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

हालिया हिंसा के कारण

- इन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की रिहाई के आह्वान को लेकर हुई थी, जिन्होंने वर्ष 2009-18 तक देश में बतौर राष्ट्रपति कार्य किया और वर्तमान में वे भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

- पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के अधिकारियों ने जैकब जुमा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।
- कई लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति के रूप में उनके उत्तराधिकारी सिरिल रामफोसा निर्णायक नेतृत्व प्रदान करने में विफल रहे हैं, वे न तो जैकब जुमा की कैद को लेकर लोगों के गुस्से को शांत कर पाए और न ही दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को यह आश्वासन दे पाए कि वे सुरक्षित रहेंगे।

- यद्यपि जैकब जुमा की कैद के कारण हिंसा को बढ़ावा मिला है, किंतु यह हिंसा मुख्य तौर पर महामारी और विफल अर्थव्यवस्था के बीच देश में अंतर्निहित समस्याओं से प्रेरित है।
  - वर्ष 2020 में दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1946 के बाद से वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद में सबसे तीव्र गिरावट देखी गई थी।
  - वर्ष 2021 के पहले तीन महीनों में बेरोज़गारी 32.6% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर थी।

भारत-दक्षिण अफ्रीका संबंध

पृष्ठभूमि:

- दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और न्याय के लिये संघर्ष के समय से भारत के संबंध उसके साथ हैं, जब महात्मा गांधी ने एक सदी पहले दक्षिण अफ्रीका में अपना सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था।
- भारत, दक्षिण अफ्रीका में हुए रंगभेद विरोधी आंदोलन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सबसे आगे था। यह वहाँ की रंगभेदी सरकार के साथ व्यापार संबंधों को तोड़ने (वर्ष 1946 में) वाला पहला देश था और बाद में इसने इस सरकार पर पूर्ण राजनयिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक तथा खेल प्रतिबंध भी लगाए।
- दक्षिण अफ्रीका ने अपनी रंगभेद नीति को समाप्त करने के चार दशकों के बाद वर्ष 1993 में भारत से व्यापार और व्यावसायिक संबंधों को फिर से स्थापित किया।
  - दोनों देशों के बीच नवंबर 1993 में राजनयिक और वाणिज्यिक संबंध बहाल किये गए।

राजनीतिक संबंध:

- वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने लोकतंत्र की प्राप्ति के बाद मार्च 1997 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सामरिक साझेदारी पर लाल किला घोषणा (Red Fort Declaration on Strategic Partnership) पर हस्ताक्षर किये, जिसने पुन: संबंध के लिये नए मानदंड निर्धारित किये।
- दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी की फिर से तशवेन घोषणा (Tshwane Declaration- अक्तूबर 2006) में पुष्टि की गई।
  - ये दोनों घोषणाएँ महत्त्वपूर्ण रही हैं जिन्होंने अतीत में दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों को अपने-अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान दिया है।
- भारत और दक्षिण अफ्रीका का वैश्विक शासन/बहुपक्षीय मंचों पर अपने विचारों तथा प्रयासों को समन्वित कर एक साथ काम करने का एक लंबा इतिहास रहा है।
  - उदाहरण के लिये: ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका), आईबीएसए (भारत, ब्राज़ील तथा दक्षिण अफ्रीका), जी20, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) एवं विश्व व्यापार संगठन (WTO)।

आर्थिक:

- भारत, दक्षिण अफ्रीका का पाँचवाँ सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और चौथा सबसे बड़ा आयात मूल देश है तथा एशिया में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
  - दोनों देश आने वाले वर्षों में व्यापार बढ़ाने के लिये काम कर रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का है।
- वर्ष 2016 में दोनों देश रक्षा क्षेत्र में विशेष रूप से 'मेक इन इंडिया' पहल, ऊर्जा क्षेत्र, कृषि-प्रसंस्करण, मानव संसाधन विकास और बुनियादी ढाँचे के विकास के तहत दक्षिण अफ्रीकी निजी क्षेत्र हेतु उपलब्ध अवसरों के संदर्भ में सहयोग के लिये सहमत हुए।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

- दोनों देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विशेष रूप से 'स्क्वायर किलोमीटर एरे' (SKA) परियोजना में सहयोग किया है।

संस्कृति:

- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICAR) की मदद से पूरे दक्षिण अफ्रीका में सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक गहन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करना भी शामिल है।
- 9वाँ विश्व हिंदी सम्मेलन सितंबर 2012 में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था।

भारतीय समुदाय:

- भारतीय मूल के समुदाय का बड़ा हिस्सा वर्ष 1860 के बाद से दक्षिण अफ्रीका में कृषि श्रमिकों के रूप में चीनी और अन्य कृषि बागानों में तथा मिल संचालकों के रूप में काम करने के लिये आया था।
- अफ्रीकी महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका सर्वाधिक भारतीय डायस्पोरा का घर है, जिसकी कुल संख्या 1,218,000 है, जो दक्षिण अफ्रीका की कुल आबादी का 3% है।

- वर्ष 2003 के बाद से भारत प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है (जिस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे)।

परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के विरुद्ध हमलों का निषेध: भारत-पाकिस्तान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया है।

- यह आदान-प्रदान पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों तथा सुविधाओं के खिलाफ हमलों के निषेध पर समझौते के अनुच्छेद- II के अनुसार था।
- वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को व्यापक सूचियों का आदान-प्रदान करना चाहिये।

भारत-पाकिस्तान संबंध के वर्तमान मुद्दे

- सीमा पार आतंकवाद:
  - पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाला आतंकवाद द्विपक्षीय संबंधों के लिये एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है।
  - भारत ने लगातार भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिये पाकिस्तान को विश्वसनीय, अपरिवर्तनीय और सत्यापन योग्य कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
- सिंधु जल समझौता:
  - पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद की प्रतिक्रिया के रूप में सिंधु जल संधि को निरस्त करने के लिये भारत में समय-समय पर हंगामा होता रहता है।
    - यह विश्व बैंक के माध्यम से संपन्न कराई एक संधि है, जो यह प्रशासित करती है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी का उपयोग कैसे किया जाएगा जो कि दोनों देशों में बहती हैं।
- सियाचिन ग्लेशियर:
  - सियाचिन को दुनिया का सबसे ऊँचा और सबसे घातक युद्धक्षेत्र माना जाता है।
  - दशकों के सैन्य अभियानों ने ग्लेशियर और आसपास के वातावरण को नुकसान पहुँचाया है।
  - लेकिन भारत-पाक संबंधों की जटिल प्रकृति और दोनों देशों के बीच अविश्वास के कारण इस मामले पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।
- सरक्रीक:
  - यह कच्छ दलदली भूमि के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित पानी की 96 किमी. लंबी पट्टी है।
  - विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा रेखा की व्याख्या में निहित है।
    - पाकिस्तान मुहानों के पूर्वी किनारे का अनुसरण करने के लिये रेखा का दावा करता है, जबकि भारत एक केंद्र रेखा का दावा करता है (सिंध की तत्कालीन सरकार और कच्छ के राव महाराज के बीच हस्ताक्षरित 1914 के बॉम्बे सरकार के प्रस्ताव के अनुच्छेद 9 और 10 की अलग-अलग व्याख्या)।
- जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन:
  - इसने कश्मीर-केंद्रित पाकिस्तान में भी संकट पैदा कर दिया क्योंकि एक ही बार में लद्दाख का बड़ा क्षेत्र कश्मीर विवाद से अलग हो गया था।
    - पाकिस्तान की हताशा आतंकवाद को बढ़ावा देने के उसके हताश प्रयासों और भारत के इस कदम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के असफल प्रयासों में दिखाई देती है।

धार्मिक तीर्थयात्राओं पर भारत-पाकिस्तान संयुक्त प्रोटोकॉल, 1974

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विदेश मंत्रालय (MEA) ने घोषणा की है कि भारत धार्मिक तीर्थयात्रा पर वर्ष 1974 के संयुक्त प्रोटोकॉल के उन्नयन पर पाकिस्तान के साथ बातचीत में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और संलग्न होने के लिये तैयार है।

- यह हवाई यात्रा की अनुमति देगा और साथ ही दोनों देशों के तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि कर सकता है।
- भारत सरकार करीब 20 महीने बाद पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर (Kartarpur Sahib Gurudwara Corridor) को फिर से खोलने पर विचार कर रही है ताकि सिख तीर्थयात्रियों को वहाँ से गुज़रने की अनुमति मिल सके। इसे कोविड -19 महामारी के कारण बंद कर दिया गया था।
- इससे पहले भारत तथा पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान किया था।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - प्रोटोकॉल के तहत दोनों देश ऐसे तीर्थस्थलों की यात्रा की सुविधा हेतु निम्नलिखित सिद्धांतों पर सहमत हुए हैं:
    - धर्म या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव के बिना एक देश से दूसरे देश में तीर्थ यात्रा की अनुमति दी जाएगी। जल्द ही पत्राचार के माध्यम से दर्शन किये जाने वाले तीर्थस्थलों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।
    - सहमत सूची को समय-समय पर आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है।
    - प्रोटोकॉल में वर्तमान में भारतीय पक्ष में पाँच मुस्लिम तीर्थस्थल और पाकिस्तानी पक्ष में 15 तीर्थस्थल शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश गुरुद्वारे हैं।
    - प्रतिवर्ष एक देश से दूसरे देश में 20 दलों को यात्रा की अनुमति दी जा सकती है। इस संख्या को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।
    - यह सुनिश्चित करने के लिये हरसंभव प्रयास किया जाना चाहिये कि सहमत सूची में उल्लिखित धार्मिक पूजा स्थलों का उचित रखरखाव हो और उनकी पवित्रता बनी रहे।
    - ऐसे आगंतुकों/विज़िटर्स को विज़िटर कैटेगरी (Visitor Category) का वीजा दिया जाएगा।
- करतारपुर कॉरिडोर:
  - करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के नारोवाल ज़िले में दरबार साहिब गुरुद्वारा को भारत के पंजाब प्रांत के गुरदासपुर ज़िले में डेरा बाबा नानक साहिब से जोड़ता है।.
  - यह कॉरिडोर 12 नवंबर, 2019 को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 550वीं जयंती समारोह के अवसर पर बनाया गया था।

पाकिस्तान द्वारा वायु मार्ग की स्वतंत्रता का उल्लंघन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने बजट एयरलाइन गो फर्स्ट (जिसे पहले GoAir के नाम से जाना जाता था) द्वारा संचालित श्रीनगर और शारजाह (UAE) के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की है। इस विमान को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से गुज़रना था।

- हालाँकि उड़ान को पाकिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और गंतव्य तक पहुँचने के लिये उड़ान को लंबा रास्ता तय करना पड़ा।
- इससे पाकिस्तान द्वारा वायु मार्ग की प्राथमिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने की चिंता बढ़ गई है।

प्रमुख बिंदु

- फ्रीडम ऑफ द एयर:
  - वायुमार्ग की स्वतंत्रता (The freedom of air) का अर्थ है कि कोई देश किसी विशेष देश की एयरलाइनों को दूसरे देश के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने और/या वहाँ उतरने का विशेषाधिकार देता है।
  - वायु मार्ग शासन की स्वतंत्रता वर्ष 1944 के शिकागो कन्वेंशन से निर्गत है।
  - कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ताओं ने ऐसे नियम निर्धारित करने का निर्णय लिया जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विमानन के लिये मौलिक निर्माण प्रक्रिया (Building Blocks) के रूप में कार्य करेंगे।
  - यह कन्वेंशन नौ वायु मार्गों की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन केवल पहली पाँच स्वतंत्रताओं/फ्रीडम को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है।
    - पहला अधिकार: यह अधिकार एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र या राष्ट्रों को लैंडिंग किये बिना अपने क्षेत्र में उड़ान भरने के लिये दिया जाता है।
    - गो फर्स्ट (GoFirst) विमान (भारतीय वाहक) उड़ान के लिये पाकिस्तान (द्वितीयक देश) के हवाई क्षेत्र का उपयोग कर रही थी और इस विमान को संयुक्त अरब अमीरात (तीसरे देश) में उतरना था।
    - दूसरा अधिकार: गैर-यातायात उद्देश्यों के लिये एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र या राष्ट्रों को अपने क्षेत्र में उतरने के लिये अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं के संबंध में अधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त है।
    - इसका आशय है कि नई दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट ब्रिटिश हवाई अड्डे पर उतर सकती है ताकि यात्रियों को सवार किये या उतारे बिना ईंधन भरा जा सके।
    - तीसरा अधिकार: पहले राष्ट्र के क्षेत्र में वाहक के गृह राष्ट्र से आने वाले यातायात को कम करना।
    - चौथा अधिकार: पहले राष्ट्र के क्षेत्र में मालवाहक के गृह राज्य हेतु नियत यातायात के तहत उड़ान भरना।
    - पाँचवाँ अधिकार: पहले राष्ट्र के क्षेत्र में तीसरे राष्ट्र से आने या जाने वाले यातायात को रोकना और उड़ान भरना।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO):

- यह संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) की एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसे वर्ष 1944 में स्थापित किया गया था, जिसने शांतिपूर्ण वैश्विक हवाई नेविगेशन के लिये मानकों और प्रक्रियाओं की नींव रखी।

- अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संबंधी अभिसमय/कन्वेंशन पर 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर किये गए। इसलिये इसे शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं।
- शिकागो कन्वेंशन ने वायु मार्ग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की अनुमति देने वाले प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना की और ICAO के निर्माण का भी नेतृत्व किया।

- इसका एक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना एवं विकास को बढ़ावा देना है ताकि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन की सुरक्षित तथा व्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
  - भारत इसके 193 सदस्यों में से है।
- इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है।

कुलभूषण जाधव केस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पाकिस्तानी संसद ने मृत्युदंड प्राप्त भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को सैन्य अदालत द्वारा उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ समीक्षा अपील दायर करने का अधिकार देने के लिये एक कानून बनाया है।

- इस बिल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice- ICJ) के एक आदेश को कानून करने हेतु बनाया गया था।
- हालाँकि भारत का मानना है कि इस कानून में कई "कमियाँ" हैं तथा ICJ के आदेश को 'अक्षरत: और उसकी भावना के साथ' लागू करने के लिये आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)

- ICJ संयुक्त राष्ट्र (UN) का एक प्रमुख न्यायिक अंग है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई और वर्ष 1946 में इसने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय (Permanent Court of International Justice-PCIJ) के उत्तराधिकारी के रूप में काम करना शुरू किया।
- यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है।
- यह हेग (नीदरलैंड्स) के पीस पैलेस में स्थित है।

वियना संधि (Vienna Convention)

- 'वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस' (Vienna Convention on Consular Relations) एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके तहत स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच 'कॉन्सुलर संबंधों' को परिभाषित किया गया है।
  - एक कॉन्सुलर (जो राजनयिक नहीं है), एक मेज़बान देश में एक विदेशी राज्य का प्रतिनिधि है, जो अपने देशवासियों के हितों के लिये काम करता है।
- 'वियना संधि' के अनुच्छेद 36 के अनुसार, मेज़बान देश में गिरफ्तार या हिरासत में लिये गए विदेशी नागरिकों को उनके 'दूतावास या वाणिज्य दूतावास को गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने संबंधी उनके अधिकार' के बारे में तत्काल नोटिस/सूचना दी जानी चाहिये।

'गिलगित-बाल्टिस्तान' को प्रांतीय दर्जा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पाकिस्तानी अधिकारियों ने रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण 'गिलगित-बाल्टिस्तान' को अनंतिम प्रांतीय दर्जा देने के लिये एक कानून (26वें संविधान संशोधन विधेयक) को अंतिम रूप दिया है।

'गिलगित-बाल्टिस्तान' को प्रांतीय दर्जा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पाकिस्तानी अधिकारियों ने रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण 'गिलगित-बाल्टिस्तान' को अनंतिम प्रांतीय दर्जा देने के लिये एक कानून (26वें संविधान संशोधन विधेयक) को अंतिम रूप दिया है।

प्रमुख बिंदु

गिलगित-बाल्टिस्तान के विषय में

- गिलगित-बाल्टिस्तान भारत के विवादित क्षेत्रों में से एक है।
- यह केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के उत्तर-पश्चिम में स्थित अत्यधिक ऊँचाई वाला एक पहाड़ी क्षेत्र है।
- पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा साझा करने के कारण इसे रणनीतिक रूप से काफी महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

गिलगित-बाल्टिस्तान विवाद की पृष्ठभूमि:

- इस क्षेत्र पर भारत द्वारा जम्मू-कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत के हिस्से के रूप में दावा किया जाता है, क्योंकि यह वर्ष 1947 में जम्मू-कश्मीर के भारत में प्रवेश के समय अस्तित्व में था।
  - जम्मू-कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्तूबर, 1947 को भारत के साथ 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' पर हस्ताक्षर किये थे।

- हालाँकि 04 नवंबर, 1947 को कबायली हमलावरों और पाकिस्तानी सेना द्वारा कश्मीर पर किये गए आक्रमण के बाद से यह क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है।
- इसके पश्चात् भारत ने 01 जनवरी, 1948 को पाकिस्तानी आक्रमण के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष उठाया।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर से बाहर जाने और भारत से अपनी सेना को न्यूनतम स्तर तक कम करने का आह्वान किया गया, इसके पश्चात् लोगों का मत जानने के लिये जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया था।
- हालाँकि दोनों ही देशों द्वारा वापसी नहीं की गई, जो कि दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है।

वर्तमान स्थिति:

- गिलगित-बाल्टिस्तान अब एक स्वायत्त क्षेत्र है और विधेयक पारित होने के बाद यह देश का 5वाँ प्रांत बन जाएगा।
  - वर्तमान समय में पाकिस्तान में चार प्रांत हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध।
- वर्तमान में यह अधिकांशत: कार्यकारी आदेशों द्वारा शासित है।
- वर्ष 2009 तक इस क्षेत्र को केवल उत्तरी क्षेत्र कहा जाता था।
- इसे वर्तमान नाम गिलगित-बाल्टिस्तान (सशक्तीकरण और स्व-शासन) आदेश, 2009 के लागू होने के साथ मिला, जिसने उत्तरी क्षेत्र विधानपरिषद (Northern Areas Legislative Council) को विधानसभा (Legislative Assembly) में बदल दिया।

भारत का रुख:

- भारत का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार या उसकी न्यायपालिका का अवैध रूप से उसके द्वारा जबरन कब्ज़ा किये गए क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है।
  - भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश, जिसमें गिलगित और बाल्टिस्तान के क्षेत्र भी शामिल हैं, पूरी तरह से कानूनी व अपरिवर्तनीय परिग्रहण के आधार पर भारत का अभिन्न अंग हैं।
  - CPEC को लेकर भारत ने चीन के सामने विरोध जताया है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर से गुज़रता है।

बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन

चर्चा में क्यों?

पिछले कुछ हफ्तों में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के हिस्से के रूप में बंदरगाह शहर की मेगा विकास योजनाओं के खिलाफ ग्वादर, बलूचिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन हुए हैं।

- प्रदर्शनकारियों ने बंदरगाह के विकास में स्थानीय लोगों के हाशिये पर जाने की ओर ध्यान आकर्षित करने की मांग की है।
- पाकिस्तान का दावा है कि भारत इन विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करता रहा है।

प्रमुख बिंदु

- बलूचिस्तान:
  - बलूचिस्तान पाकिस्तान के चार प्रांतों में से एक है।
  - यह सबसे कम आबादी वाला प्रांत है, भले ही यह क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा प्रांत है।
  - यह जातीय बलूच लोग यहाँ के निवासी हैं जो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान में भी पाये जाते हैं, हालाँकि बलूच आबादी बलूचिस्तान में पाई जाती है।
  - बलूचिस्तान प्राकृतिक गैस और तेल से समृद्ध है और पाकिस्तान के सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा' और भारत की चिंताएँ

- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा
  - 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा' पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है।
  - इसका उद्देश्य चीन के पश्चिमी भाग (शिनजियांग प्रांत) को पाकिस्तान के उत्तरी भागों में खुंजेराब दर्रे के माध्यम से बलूचिस्तान, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से जोड़ना है।
  - इसका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्गों, रेलवे और पाइपलाइनों के नेटवर्क के साथ पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
  - यह ग्वादर पोर्ट से चीन के लिये मध्य पूर्व और अफ्रीका तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे चीन हिंद महासागर तक पहुँच सकेगा।
  - CPEC 'बेल्ट एंड रोड' (BRI) इनिशिएटिव का एक हिस्सा है।
    - वर्ष 2013 में शुरू किए गए BRI का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि तथा समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है।
  - भारत के लिये चिंता:
    - संप्रभुता का मुद्दा: चीन द्वारा पाकिस्तान के लिये विकसित किये जा रहे कुछ प्रस्तावित बुनियादी ढाँचे में से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के विवादित क्षेत्र रहे हैं।
- भारत इसे अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है।
    - ग्वादर बंदरगाह का दोहरा उद्देश्य: भारत ग्वादर को लेकर चिंतित रहा है, जो चीन को अरब सागर और हिंद महासागर तक रणनीतिक पहुँच प्रदान करता है।

- इसे न केवल एक व्यापार गोदाम के रूप में बल्कि चीनी नौसेना द्वारा उपयोग के लिये दोहरे उद्देश्य वाले बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- यह स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सिद्धांत का हिस्सा है, जिसके तहत चीन हिंद महासागर और उसके दक्षिण में ग्वादर (पाकिस्तान), चटगाँव (बांग्लादेश, क्याक फ्रू (म्याँमार) और हंबनटोटा (श्रीलंका) में अत्याधुनिक विशाल आधुनिक बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है।
  - स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत के लिये एक रणनीतिक खतरा है, क्योंकि इसका उद्देश्य हिंद महासागर में चीनी प्रभुत्व स्थापित करने हेतु भारत को घेरना है।

नया पुल: भारत और नेपाल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाकाली नदी पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाले एक नए पुल के निर्माण और उत्तराखंड के धारचूला को नेपाल के धारचूला से जोड़ने की योजना को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - तीन वर्ष में पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच संबंध मज़बूत होंगे।
  - भारत और नेपाल मित्रता एवं सहयोग के अनूठे संबंध साझा करते हैं।
  - पुल के निर्माण से उत्तराखंड के धारचूला और नेपाल के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मदद मिलेगी।
- महाकाली नदी:
  - इसे उत्तराखंड में शारदा नदी या काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है।
  - यह उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में मिलती है, जो गंगा की एक सहायक नदी है।
  - नदी परियोजनाएँ: टनकपुर हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चमेली हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, शारदा बैराज।

फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया (FEMBoSA)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2021 के लिये फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया (FEMBoSA) की 11वीं वार्षिक बैठक का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

बैठक के बारे में :

- आयोजन : बैठक की मेज़बानी भूटान के चुनाव आयोग द्वारा वर्चुअल मोड में की गई थी।
  - बैठक में शामिल राष्ट्र : भारत सहित अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल ने इस बैठक में भाग लिया।
- अध्यक्षता: भारत के चुनाव आयोग ने 2021-22 के लिये भूटान के चुनाव आयोग को फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया (FEMBoSA) की ज़िम्मेदारी सौंपी।
  - भारत का चुनाव आयोग इस फोरम का वर्तमान अध्यक्ष है।
- थिम्पू संकल्प : वर्तमान महामारी की स्थिति के दौरान अध्यक्ष के कार्यकाल को दो साल तक बढ़ाने के लिये FEMBoSA सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया गया था।
  - इससे पूर्व अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष का था।
- बैठक का विषय (थीम) : 'चुनावों में प्रौद्योगिकी का उपयोग'।
- चुनाव का डिजिटलीकरण: उन्नत तकनीकी का चुनाव प्रबंधन पर अधिक प्रभाव पड़ता है।
  - चुनावों को अधिक सहभागी, सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिये प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

FEMBoSA के बारे में :

- स्थापना :
  - फोरम की स्थापना वर्ष 2012 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों (EMB) के प्रमुखों के तीसरे सम्मेलन में की गई थी।
    - सार्क में आठ सदस्य देश शामिल हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
- लक्ष्य:
  - फोरम का लक्ष्य सार्क के चुनाव प्रबंधन निकायों (EMB) के सामान्य हितों के संबंध में आपसी सहयोग को बढ़ाना है।
- उद्देश्य:
  - सार्क देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना।
  - एक-दूसरे से सीखने की दृष्टि से अनुभव साझा करना।
  - स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में चुनाव प्रबंधन निकायों की क्षमताओं को बढ़ाने में एक-दूसरे का सहयोग करना।

- महत्त्व :
  - FEMBoSA लोकतांत्रिक विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और यह चुनाव प्रबंधन निकायों का एक सक्रिय क्षेत्रीय सहयोग संघ है।
  - सुनहरे मोतियों वाला इसका लोगो पारदर्शिता, निष्पक्षता, लोकतंत्र और सहयोग के शाश्वत मूल्यों का प्रतीक है।

भूटान में लॉन्च हुआ भीम-UPI

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने समकक्ष भूटान के वित्त मंत्री के साथ मिलकर भीम-UPI अर्थात् भारत इंटरफेस फॉर मनी-यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Bharat Interface for Money-Unified Payments Interface- BHIM-UPI) को भूटान में लॉन्च किया है

- भुगतान प्रणाली एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की अंतर्राष्ट्रीय शाखा, भूटान की रॉयल मॉनीटरी अथॉरिटी (RMA) के साथ साझेदारी में शुरू की गई थी।

प्रमुख बिंदु:

- भूटान अपने त्वरित प्रतिक्रिया (QR) कोड हेतु UPI मानकों को अपनाने वाला पहला देश है। यह भीम एप के माध्यम से भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में मोबाइल आधारित भुगतान स्वीकार करने वाला प्रथम देश भी है।
- व्यापारिक स्थलों पर BHIM-UP स्वीकृति प्राप्त करने वाला सिंगापुर के बाद यह दूसरा देश भी है।
- भूटान एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जो रुपे कार्ड (RuPay Cards) जारी करने और स्वीकार करने के साथ-साथ भीम-यूपीआई को भी स्वीकार करेगा।

भारत इंटरफेस फॉर मनी-यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (BHIM-UPI):

- भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह मोबाइल फोन के माध्यम से तेज़ गति से सुरक्षित, विश्वसनीय कैशलेस भुगतान को सक्षम करने की एक पहल है।
- भीम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सीधे बैंक के माध्यम से ई-भुगतान सुविधा पर आधारित है।
- यह अन्य यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ऐप्लिकेशन और बैंक खातों के साथ अंतर-संचालित है।
  - यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एक त्वरित रियल-टाइम भुगतान प्रणाली है, जो उपयोगकर्त्ताओं को अपने बैंक खाते का विवरण दूसरे पक्ष को बताए बिना कई बैंक खातों में रियल-टाइम के आधार पर धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है।

लाभ:

- सरल, सुरक्षित, लागत प्रभावी मोबाइल-आधारित भुगतान प्रणाली डिजिटल भुगतान के सबसे प्रमुख रूपों में से एक बन गई है।
- दोनों देशों (भारत एवं भूटान) के भुगतान के बुनियादी ढाँचे मूल रूप से जुड़े हुए हैं और इससे बड़ी संख्या में भारत के उन पर्यटकों एवं व्यापारियों को लाभ होगा, जो प्रत्येक वर्ष भूटान की यात्रा करते हैं।
- यह एक बटन के स्पर्श मात्र से कैशलेस लेन-देन के माध्यम से दैनिक जीवन में आसानी के साथ ही यात्रा में सुगमता को भी बढ़ाएगा।
- वर्ष 2020 में UPI ने 457 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वाणिज्य को सक्षम किया, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 15% के बराबर है।

रुपे कार्ड योजना

- रुपे (RuPay) भारत में अपनी तरह का पहला घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान नेटवर्क है।
- यह नाम रुपी (Rupee) और पेमेंट (Payment) दो शब्दों से मिलकर बना है जो इस बात पर ज़ोर देता है कि यह डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड भुगतानों के लिये भारत की स्वयं की पहल है।
- इस कार्ड का उपयोग सिंगापुर, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन और सऊदी अरब में लेन-देन के लिये भी किया जा सकता है।

तीसरा भारत-मध्य एशिया संवाद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत-मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

- यह भारत और मध्य एशियाई देशों जैसे- कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच एक मंत्री स्तरीय संवाद है।
- भारत ने वर्ष 2020 में भारत-मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक की मेज़बानी की थी।

भारत-मध्य एशिया वार्ता

- यह भारत और मध्य एशियाई देशों जैसे- कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज़्बेकिस्तान के बीच एक मंत्री स्तरीय संवाद है।

- शीत युद्ध के पश्चात् वर्ष 1991 में USSR के पतन के बाद सभी पाँच राष्ट्र स्वतंत्र राज्य बन गए।
- तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर वार्ता में भाग लेने वाले सभी देश शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं।
- बातचीत कई मुद्दों पर केंद्रित है जिसमें कनेक्टिविटी में सुधार और युद्ध से तबाह अफगानिस्तान में स्थिरता संबंधी उपाय शामिल हैं।

CICA विदेश मंत्रियों की 6वीं बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विदेश मंत्री ने कज़ाखस्तान के 'नूर-सुल्तान' में 'कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस-बिल्डिंग मेज़र्स' (CICA) की 6वीं मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया।

- कज़ाखस्तान ने पिछले वर्ष CICA की अध्यक्षता ग्रहण की थी।
- CICA के विदेश मंत्रियों की 5वीं बैठक वर्ष 2016 में बीजिंग में आयोजित की गई थी।

CICA के बारे में:

- CICA एक अंतर-सरकारी मंच है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को मज़बूत करना और एशिया में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता सुनिश्चित करना है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा के 47वें सत्र में 5 अक्तूबर, 1992 को कज़ाखस्तान गणराज्य के पहले राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव (Nursultan Nazarbayev) द्वारा CICA के आयोजन का विचार पहली बार प्रस्तावित किया गया था। पहला CICA शिखर सम्मेलन जून 2002 में आयोजित किया गया था।
- CICA का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला अंग CICA राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों (शिखर सम्मेलन) की बैठक है। CICA की गतिविधियों के लिये परामर्श करने, प्रगति की समीक्षा करने और प्राथमिकताओं को निर्धारित करने हेतु हर चार वर्ष में CICA शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है।
  - प्रति दो वर्ष में इसके विदेश मंत्रियों की बैठक होनी चाहिये।
- CICA के सदस्यों में 27 एशियाई देश शामिल हैं, जिनमें अज़रबैजान, बहरीन, चीन, मिस्र, भारत, ईरान, इज़रायल, रूस, दक्षिण कोरिया और तुर्की, नौ पर्यवेक्षक राज्य व पाँच अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं।
- भारत 'परिवहन गलियारों के सुरक्षित और प्रभावी प्रणालियों के विकास' तथा 'ऊर्जा सुरक्षा' पर दो CICA CBM (विश्वास निर्माण उपाय) की सह-अध्यक्षता करता है।
- CICA सचिवालय जून 2006 से अल्माटी (कज़ाखस्तान) में स्थित है।

भारत और अमेरिका के बीच 'होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया था।

- अक्तूबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने विदेशी सैन्य बिक्री (FMS) के तहत भारतीय नौसेना के लिये एमके 54 टॉरपीडो और एक्सपेंडेबल (चफ एंड फ्लेयर्स) की खरीद के लिये अमेरिकी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- जुलाई 2021 में अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - भारत-अमेरिका मातृभूमि सुरक्षा वार्ता 2010 में भारत-अमेरिका की आतंकवाद विरोधी पहल पर हस्ताक्षर करने की अगली कड़ी के रूप में शुरू की गई थी।
    - पहली होमलैंड सुरक्षा वार्ता मई 2011 में आयोजित की गई थी।
  - नवीनतम आभासी बैठक मार्च 2021 के बाद हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से शुरु करने की घोषणा की थी जिसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने बंद कर दिया था।
  - इंडो-यूएस होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के तहत छह उप-समूह बनाए गए हैं, जो निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करते हैं:
    - अवैध वित्त, वित्तीय धोखाधड़ी और जालसाजी।
    - साइबर जानकारी।
    - मेगासिटी पुलिसिंग और संघीय, राज्य और स्थानीय भागीदारों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान।
    - वैश्विक आपूर्ति शृंखला, परिवहन, बंदरगाह, सीमा और समुद्री सुरक्षा।
    - क्षमता निर्माण।
    - प्रौद्योगिकी उन्नयन।
- भारत-अमेरिका संबंध:
  - परिचय:
    - भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध एक 'वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' के रूप में विकसित हुए हैं, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक हितों के बढ़ते अभिसरण पर आधारित हैं।

- वर्ष 2015 में दोनों देशों ने 'दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंडशिप' की घोषणा की और 'जॉइंट स्ट्रेटेजिक विज़न फॉर एशिया-पैसिफिक एंड इंडियन ओसियन रीज़न' को अपनाया।

- असैन्य-परमाणु सौदा:
  - द्विपक्षीय असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर अक्तूबर 2008 में हस्ताक्षर किये गए थे।
- ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन:
  - PACE (पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी) के तहत एक प्राथमिकता पहल के रूप में अमेरिकी ऊर्जा विभाग (DOE) और भारत सरकार ने संयुक्त स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र (JCERDC) की स्थापना की है, जिसे भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
  - लीडर्स क्लाइमेट समिट 2021 में 'भारत-अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030' पार्टनरशिप की शुरुआत की गई।
- रक्षा समझौते:
  - वर्ष 2005 में 'भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के लिये नए ढाँचे' पर हस्ताक्षर के साथ रक्षा संबंध भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा है, जिसे वर्ष 2015 में और10 वर्षों के लिये अद्यतन किया गया था।
  - भारत और अमेरिका ने पिछले कुछ वर्षों में महत्त्वपूर्ण रक्षा समझौते किये तथा क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया) के चार देशों के गठबंधन को भी औपचारिक रूप दिया।
  - इस गठबंधन को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रतिकार के रूप में देखा जा रहा है।
  - नवंबर 2020 में मालाबार अभ्यास ने भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों में एक उच्च बिंदु को स्पर्श किया, यह 13 वर्षों में पहली बार था कि 'क्वाड' के सभी चार देश एक साथ चीन का प्रतिरोध कर रहे थे।
  - भारत की पहुँच अब अफ्रीका में जिबूती से लेकर प्रशांत क्षेत्र के गुआम में अमेरिकी सैन्य अड्डों तक है। भारत अमेरिकी रक्षा क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली उन्नत संचार तकनीक का भी उपयोग कर सकता है।
  - भारत और अमेरिका के बीच चार मूलभूत रक्षा समझौते हैं:
  - भू-स्थानिक खुफिया के लिये बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता (BECA)।
  - सैन्य सूचना समझौते पर सामान्य सुरक्षा (GSOMIA)।
  - लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA)।
  - संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA)।
  - वर्ष 2010 में आतंकवाद का विरोध करने, सूचना साझा करने और क्षमता निर्माण सहयोग का विस्तार करने के लिये भारत-अमेरिका आतंकवाद-रोधी सहयोग पहल पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  - एक त्रि-सेवा अभ्यास- टाइगर ट्रायम्फ- नवंबर 2019 में आयोजित किया गया था।
  - द्विपक्षीय और क्षेत्रीय अभ्यासों में शामिल हैं: युद्ध अभ्यास (सेना); वज्र प्रहार (विशेष बल); रिमपैक; रेड फ्लैग।
- व्यापार:
  - अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है तथा भारत की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिये एक प्रमुख गंतव्य है।
  - अमेरिका ने 2020-21 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में मॉरीशस को पीछे छोड़ दिया है।
  - पिछली अमेरिकी सरकार ने भारत की विशेष व्यापार स्थिति (GSP निकासी) को समाप्त कर दिया और कई प्रतिबंध भी लगाए, भारत ने भी 28 अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए।
  - वर्तमान अमेरिकी सरकार ने पिछली सरकार द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने की अनुमति दी है।
- विज्ञान प्रौद्योगिकी:
  - इसरो और नासा पृथ्वी अवलोकन के लिये एक संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह को स्थापित करने हेतु मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका नाम NASA-ISRO सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) है।
- भारतीय प्रवासी:
  - अमेरिका में सभी क्षेत्रों में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति बढ़ रही है। उदाहरण के लिये अमेरिका की वर्तमान उपराष्ट्रपति (कमला हैरिस) का भारत से गहरा संबंध है।

क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइज़ेशन डायलॉग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत (जलवायु) ने भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के साथ दोनों देशों के बीच 'क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइज़ेशन डायलॉग' (CAFMD) शुरू किया है।

प्रमुख बिंदु

- क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइज़ेशन डायलॉग'
  - यह अप्रैल 2021 में 'लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट' में लॉन्च किये गए 'भारत-अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा-2030' साझेदारी का हिस्सा है।
    - इससे पूर्व 'यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप' (SCEP) को लॉन्च किया गया था।
  - यह दोनों देशों को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को नवीनीकृत करने के साथ ही इससे संबंधित वित्तीय पहलुओं को संबोधित करने और पेरिस समझौते के तहत परिकल्पित अनुदान एवं रियायती वित्त के रूप में जलवायु वित्त प्रदान करने का अवसर देगा।
  - साथ ही यह प्रदर्शित करने में भी मदद करेगा कि किस प्रकार दुनिया राष्ट्रीय परिस्थितियों और सतत् विकास प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए समावेशी एवं लचीले आर्थिक विकास के साथ तेज़ी से जलवायु कार्रवाई को संरेखित कर सकती है।

CAFM के स्तंभ:

- जलवायु कार्रवाई स्तंभ:
- अगले दशक में उत्सर्जन को कम करने के तरीकों को देखते हुए इसमें संयुक्त प्रस्ताव होंगे।
- वित्त स्तंभ:
- इसके माध्यम से अमेरिका भारत में 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को लागू करने तथा पूंजी को आकर्षित करने और सक्षम वातावरण को बढ़ाने में सहयोग करेगा एवं नवीन स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन तथा द्विपक्षीय स्वच्छ ऊर्जा निवेश व व्यापार को बढ़ावा देगा।
- अनुकूलन और लचीलापन:
- दोनों देश जलवायु जोखिमों को मापने और प्रबंधित करने के लिये क्षमता निर्माण में सहयोग करेंगे।

यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप (SCEP)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी ऊर्जा मंत्रालय के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान संशोधित 'यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप' (SCEP) को लॉन्च किया गया।

SCEP को वर्ष 2021 की शुरुआत में आयोजित 'लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट' में दोनों देशों द्वारा घोषित 'यूएस-इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप' के तहत लॉन्च किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- यूएस-इंडिया एजेंडा 2030 पार्टनरशिप:
  - इसका उद्देश्य पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये मौजूदा दशक में इन कार्यों पर मज़बूत द्विपक्षीय सहयोग स्थापित करना है।
  - यह साझेदारी दो मुख्य मार्गों के साथ आगे बढ़ेगी: सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी और जलवायु कार्रवाई एवं वित्त संग्रहण संवाद।
  - भारत ने वर्ष 2018 में भारत-अमेरिका ऊर्जा वार्ता को 'रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी' तक बढ़ा दिया।
- संशोधित सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी (SCEP):
  - उभरते ईंधन (स्वच्छ ऊर्जा ईंधन) पर पाँचवें स्तंभ को जोड़ना।
  - इसके साथ SCEP अंतर-सरकारी गठबंधन अब सहयोग के पाँच स्तंभों पर आधारित है- शक्ति और ऊर्जा दक्षता, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास, उभरते ईंधन।
  - वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत का समर्थन करना है।
  - जैव ईंधन पर एक नए भारत-अमेरिका कार्य बल (Task Force) की भी घोषणा की गई।

अमेरिका प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम

संयुक्त राज्य अमेरिका ने महत्त्वाकांक्षी अमेरिका क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्री-एमिनेंस इन टेक्नोलॉजी एवं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ (COMPETES) एक्ट, 2022 का अनावरण किया है जो एक नए स्टार्ट-अप वीज़ा के साथ दुनिया भर के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिये नए रास्ते खोलने का प्रस्ताव करता है।.

- इसका उद्देश्य आपूर्ति शृंखलाओं को मज़बूत बनाना और आने वाले दशकों में चीन तथा बाकी दुनिया को पछाड़ने हेतु देश की अर्थव्यवस्था के नवाचार को फिर से मज़बूत करना है।

परमाणु पनडुब्बी गठबंधन: AUKUS

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने संवेदनशील 'नौसेना परमाणु प्रणोदन सूचना' के आदान-प्रदान की अनुमति देने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

- बीते दिनों प्रशांत क्षेत्र, जहाँ चीन-अमेरिका प्रतिद्वंद्विता बढ़ रही है, में सामरिक तनाव का सामना करने हेतु तीनों देशों ने रक्षा गठबंधन, 'ऑकस' का गठन किया था, जिसके बाद सार्वजनिक रूप से हस्ताक्षरित होने वाली प्रौद्योगिकी पर यह पहला समझौता है।

- 'ऑकस' सौदे के तहत ऑस्ट्रेलिया आठ अत्याधुनिक, परमाणु-संचालित लेकिन पारंपरिक रूप से सशस्त्र पनडुब्बियों को प्राप्त करेगा।
- ऑकस:
  - सितंबर 2021 में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका (AUKUS) के बीच इंडो-पैसिफिक के लिये एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की थी।
  - इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया हेतु अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी का साझाकरण सुनिश्चित करना है।
  - इसका इंडो-पैसिफिक उन्मुखीकरण इसे दक्षिण चीन सागर में चीन की मुखर कार्रवाइयों के खिलाफ एक प्रमुख गठबंधन बनाता है।
  - इसमें तीन देशों के बीच बैठकों और वार्ताओं के साथ-साथ उभरती प्रौद्योगिकियों (जैसे- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अंडरसी क्षमताओं) में सहयोग का एक नया फ्रेमवर्क शामिल होगा।

नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका ने कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो वह नॉर्ड स्ट्रीम योजना को रोक देगा।

- हालाँकि जर्मनी के नेतृत्त्व में यूरोपीय देश, नॉर्ड स्ट्रीम पर इसके महत्त्व के कारण प्रतिबंध लगाने हेतु शुरू में अनिच्छुक लग रहे थे, लेकिन अब कहा गया है कि यह प्रतिबंध तालिका से बाहर नहीं है।
- नॉर्ड स्ट्रीम, समुद्र के नीचे सबसे लंबी एक निर्यात गैस पाइपलाइन है जो बाल्टिक सागर के रास्ते होकर रूस से यूरोप तक गैस ले जाती है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - नॉर्ड स्ट्रीम में दो पाइपलाइन हैं, जिनमें से प्रत्येक में दो लाइनें हैं।
    - नॉर्ड स्ट्रीम-1 का कार्य वर्ष 2011 में पूरा हुआ था जो लेनिनग्राद (रूस) में वायबोर्ग से जर्मनी के ग्रिफ़्सवाल्ड के पास लुबमिन तक पहुँचती है।
    - नॉर्ड स्ट्रीम-2 जो लेनिनग्राद में उस्त-लुगा से होकर लुबमिन तक पहुँचती है, यह सितंबर 2021 में पूरी हुई और इसके चालू होने के बाद इसमें प्रतिवर्ष 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस को ले जाने की क्षमता है।
  - दोनों पाइपलाइन एक साथ कम-से-कम 50 वर्षों के लिये कुल 110 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) गैस को यूरोप तक पहुँचा सकती हैं।
  - नॉर्ड स्ट्रीम रूस, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी सहित कई देशों के अनन्य आर्थिक क्षेत्रों (EEZ) एवं रूस, डेनमार्क एवं जर्मनी के क्षेत्रीय जल से होकर गुज़रती है।
  - यह पाइपलाइन जर्मनी में OPAL (बाल्टिक सागर पाइपलाइन) और NEL (उत्तरी यूरोपीय पाइपलाइन) से जुड़ती है जो आगे यूरोपीय ग्रिड से जुड़ती है।

ग्लोबल गेटवे प्लान: ईयू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूरोपीय आयोग ने ग्लोबल गेटवे (Global Gateway) नामक एक योजना की घोषणा की है, जो वर्ष 2027 तक दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढाँचे में निवेश हेतु 300 अरब यूरो (EURO 300 billion) जुटाने से संबंधित है।

- हालाँकि योजना में चीन का जिक्र नहीं है, लेकिन इसे चीन की बेल्ट एंड रोड रणनीति (China's Belt and Road strategy) की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- ग्लोबल गेटवे प्लान के बारे में:
  - विकासात्मक आयाम: ग्लोबल गेटवे, यूरोपीय संघ, यूरोप देशों के दृष्टिकोण के साथ तत्काल ज़रूरतों के लिये प्रतिक्रिया की पेशकश करेगा जिसमें शामिल है:
    - टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल, जलवायु, ऊर्जा और परिवहन बुनियादी ढाँचे का विकास करना।
    - दुनिया भर में स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान प्रणालियों को मज़बूत करना।
  - अनुदान: परियोजना के वित्तपोषण के लिये यूरोपीय संघ अपने यूरोपीय कोष का उपयोग सतत् विकास प्लस हेतु करेगा।
    - इसके तहत 40 अरब यूरो उपलब्ध कराए जाते हैं और बाहरी सहायता कार्यक्रमों से 18 अरब यूरो तक के अनुदान की पेशकश की जाएगी।
    - लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये योजना को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और निजी क्षेत्र से वित्तपोषण की आवश्यकता होगी।
    - ऋण संकट के जोखिम को सीमित करने हेतु उचित और अनुकूल शर्तों के तहत वित्तपोषण किया जाएगा।

B3W प्रोजेक्ट की शाखा: EU रणनीति बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (Build Back Better World- B3W) पहल की एक शाखा है।

- B3W जून 2021 में सबसे अमीर ग्रुप ऑफ सेवन (G-7) लोकतंत्रों द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचा निवेश पहल है।

BTIA की पुन: वार्ता: भारत-यूरोपीय संघ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकारी अधिकारियों ने खुलासा किया है कि भारत और यूरोपीय संघ (EU) 'द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते' (BTIA) पर वार्ता पुन: शुरू करने के लिये तैयार हैं। BTIA वार्ता वर्ष 2013 से स्थगित है।

हालाँकि इस वर्ष की शुरुआत में भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में दोनों देश BTIA के लिये मुक्त व्यापार वार्ता को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए और एक कनेक्टिविटी साझेदारी को भी अपनाया।

प्रमुख बिंदु

- BTIA के बारे में:
  - पृष्ठभूमि: भारत और यूरोपीय संघ ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) करने के लिये बातचीत बहुत पहले 2007 में शुरू की थी, जिसे आधिकारिक तौर पर BTIA कहा जाता है।
    - BTIA को वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों में व्यापार को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था।
    - हालाँकि बाज़ार पहुँच और पेशेवरों की आवाजाही पर मतभेदों को लेकर 2013 में बातचीत ठप हो गई।
  - व्यापकता: यूरोपीय संघ वर्ष 2019-20 में चीन और अमेरिका से आगे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, जिसके साथ कुल व्यापार 90 बिलियन अमेरिकी डालर के करीब था।
    - BTIA पर हस्ताक्षर के साथ भारत और यूरोपीय संघ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार व निवेश में बाधाओं को दूर करके द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने की उम्मीद करते हैं।
  - चुनौतियाँ: आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत कोविड-19 संकट से आत्मनिर्भरता पर ज़ोर दिया जा रहा है। यह यूरोपीय संघ द्वारा भारत के 'संरक्षणवादी रुख' माना जाता है।
    - भारत के लिये श्रम और पर्यावरण के स्थायी मानकों को पूरा करना महत्त्व: भारत यह संकेत देना चाहता है कि अंतिम समय में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) से बाहर निकलने के बाद व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने के खिलाफ नहीं है।

महत्त्व: भारत यह संकेत देना चाहता है कि अंतिम समय में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) से बाहर निकलने के बाद व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने के खिलाफ नहीं है।

- यूरोपीय संघ बदले में चीन से इतर भारत में अपनी मूल्य श्रृंखला में विविधता लाना चाहता है और इसलिये भारत के साथ व्यापार समझौता करने में भी उसकी रुचि है।

चौथी भारत-स्विस वित्तीय वार्ता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चौथी भारत-स्विस वित्तीय वार्ता का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया।

प्रमुख बिंदु:

वार्ता की मुख्य विशेषताएँ:

- वार्ता के दौरान दोनों देशों द्वारा निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA), राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढाँचा कोष (NIIF), फिनटेक, स्थायी वित्त और सीमा पार वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न पहलुओं पर सहयोग हेतु अनुभवों को साझा किया गया।
- इसके अतिरिक्त बुनियादी ढाँचों के वित्तपोषण के साथ-साथ जी-20, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न कर चुनौतियों से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई।
- दोनों पक्षों ने स्वच्छता और कोविड के पश्चात की दुनिया पर समन्वित द्विपक्षीय कार्यवाही के महत्त्व पर ज़ोर दिया।

भारत-स्विट्ज़रलैंड संबंध:

- राजनैतिक संबंध:
  - वर्ष 1948 में नई दिल्ली में भारत और स्विट्ज़रलैंड के बीच मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  - भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति और स्विटजरलैंड की तटस्थता की पारंपरिक नीति ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठता को बढ़ावा दिया है।
- आर्थिक संबंध:
  - भारत-स्विट्जरलैंड द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर बातचीत चल रही है।
  - भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) पर भी बातचीत जारी है।
    - यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड का अंतर-सरकारी संगठन है।
    - ये देश यूरोपीय संघ (EU) का हिस्सा नहीं हैं, जिसके साथ भारत एक अलग व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है जिसे भारत-यूरोपीय संघ आधारित व्यापार और निवेश समझौता कहा जाता है।
- अन्य क्षेत्रों में सहयोग:
  - एक 'इंडो-स्विस ज्वाइंट रिसर्च प्रोग्राम' (ISJRP) वर्ष 2005 में शुरू किया गया था।

- कौशल प्रशिक्षण: दोनों देशों के कई संस्थानों ने भारत में कौशल प्रशिक्षण के उच्चतम मानकों को लागू करने के लिये सहयोग किया है। जैसे:
  - भारतीय कौशल विकास परिसर और विश्वविद्यालय, जयपुर।
  - इंडो-स्विस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पुणे।
  - वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, आंध्र प्रदेश।
- निम्न कार्बन और जलवायु अनुकूल शहरों के विकास हेतु क्षमता निर्माण (CapaCITIES):
  - 'स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन' (SDC) भारतीय शहरों में CapaCITIES परियोजना के कार्यान्वयन का समर्थन कर रहा है।
  - CapaCITIES परियोजना का उद्देश्य भारतीय शहरों की क्षमताओं को मज़बूत करना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिये उपायों की पहचान करना, योजना बनाना और एकीकृत तरीके से वर्तमान स्थितियों को जलवायु परिवर्तन हेतु अनुकूल बनाना है।

वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (OSOWOG)

इस अवधारणा का प्रमुख उद्देश्य दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला एक 'ट्रांस-नेशनल बिजली ग्रिड' विकसित करना है।

प्रमुख बिंदु

- 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' या 'ग्रीन ग्रिड':
  - 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' की अवधारणा 'द सन नेवर सेट्स' यानी 'सूरज कभी अस्त नहीं होता' और यह किसी भी भौगोलिक स्थान पर, विश्व स्तर पर, किसी भी समय स्थिर रहता है, के विचार पर ज़ोर देती है।
  - यह अब तक किसी भी देश द्वारा शुरू की गई सबसे महत्त्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और आर्थिक लाभ साझा करने के मामले में इसका वैश्विक महत्त्व है।
  - इसे विश्व बैंक के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है।
  - 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' योजना भारत द्वारा सह-स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का भी लाभ उठा सकती है, जिसमें वर्तमान में तकरीबन 80 देश शामिल हैं।
  - वैश्विक स्तर पर सौर स्पेक्ट्रम को दो व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो हैं:
    - सुदूर पूर्व, जिसमें म्याँमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओ, कंबोडिया जैसे देश शामिल हैं।
    - सुदूर पश्चिम, जो कि मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र को कवर करता है।
- योजना के तीन चरण:
  - पहला चरण: यह एशियाई महाद्वीप के देशों के बीच परस्पर ग्रिड संपर्क स्थापित करेगा।
  - दूसरा चरण: इसमें अफ्रीका को जोड़ा जाएगा।
  - तीसरा चरण: यह वैश्विक इंटरकनेक्शन पर ध्यान केंद्रित करेगा।

आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के साथ आसियान देशों के डिजिटल मंत्रियों (ADGMIN) की दूसरी बैठक आयोजित की गई तथा इस दौरान क्षेत्र में भविष्य के सहयोग के लिये भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना वर्ष 2022 को अंतिम रूप दिया गया।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - ADGMIN, आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) के 10 देशों और संवाद साझेदार देशों-ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, न्यूज़ीलैंड, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के दूरसंचार मंत्रियों की एक वार्षिक बैठक है।.
    - आसियान देशों में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।
- भारत-आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022:
  - भारत और आसियान देशों ने संयुक्त रूप से एक कार्य योजना को मंज़ूरी दी है जिसके तहत वे चोरी और नकली मोबाइल हैंडसेट के उपयोग से निपटने के लिये एक प्रणाली विकसित करेंगे।
  - सहयोग के अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक इंटरनेट के लिये वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस शामिल है।
  - इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), 5G, उन्नत उपग्रह संचार, साइबर फोरेंसिक जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के उभरते क्षेत्र में क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने पर भी ज़ोर दिया जाएगा।
- ICT का महत्त्व:
  - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) नागरिकों और राज्य के बीच बढ़ी हुई भागीदारी के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रणालियों व संस्थानों को सक्षम एवं मज़बूत करती है।

- ICT का उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकारों और सूचना के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देने के अलावा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिये नागरिकों को अवसर प्रदान करता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है।
- प्रौद्योगिकी कोविड -19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिये एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरी है जो न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिये एक चुनौती है बल्कि देशों की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।

- भारत द्वारा उठाए गए संबंधित कदम:
  - दूरसंचार मंत्रालय ने दिसंबर 2019 में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लोगों की मदद करने और उनके चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन का पता लगाने के लिये एक पोर्टल लॉन्च किया था।
    - यह परियोजना केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (CEIR) प्रणाली द्वारा समर्थित है, जिसे दूरसंचार विभाग द्वारा सुरक्षा, चोरी और मोबाइल हैंडसेट की पुन: प्रोग्रामिंग सहित अन्य चिंताओं को दूर करने के लिये शुरू किया गया था।

अन्य संबंधित समूह

- आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक (ADMM) प्लस:
  - यह 10 आसियान देशों और आठ संवाद भागीदार देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक है।
  - एडीएमएम-प्लस देशों में दस आसियान सदस्य राज्य और आठ अन्य देश शामिल हैं- ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूज़ीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- आसियान क्षेत्रीय मंच:
  - वर्ष 1994 में स्थापित आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) इंडो-पैसिफिक में सुरक्षा वार्ता के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच है।
  - इसमें 27 सदस्य शामिल हैं: 10 आसियान सदस्य देश, 10 आसियान संवाद भागीदार (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका); बांग्लादेश, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका व तिमोर-लेस्ते एवं एक आसियान पर्यवेक्षक (पापुआ न्यू गिनी)।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS):
  - वर्ष 2005 में स्थापित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) भारत-प्रशांत क्षेत्र के समक्ष उत्पन्न होने वाली प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक बातचीत एवं सहयोग हेतु 18 क्षेत्रीय नेताओं (देशों) का एक मंच है।
  - इसमें आसियान के दस सदस्य देशों- ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार,फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ 8 अन्य देश- ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूज़ीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।

कनेक्टिविटी परियोजनाएँ: भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'भारत-आसियान कनेक्टिविटी साझेदारी के भविष्य पर आसियान शिखर सम्मेलन' में भारत सरकार ने भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच सीमा पार कनेक्टिविटी के महत्त्व को रेखांकित किया।

- आसियान 10 दक्षिण-पूर्व एशियाई राज्यों- 'ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम का एक संगठन है।

प्रमुख बिंदु

- भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच कनेक्टिविटी
  - भारत वर्तमान में आसियान के साथ भूमि, जल और वायु के माध्यम से कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम कर रहा है।
  - कनेक्टिविटी के माध्यम से आसियान-भारत संबंधों को महत्त्व देने से इस क्षेत्र के भू-राजनीतिक परिदृश्य में धीरे-धीरे बदलाव आएगा।
  - इस संदर्भ में भारत अब पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय रूप से बुनियादी ढाँचे का विकास कर रहा है।
    - बांग्लादेश-चीन-भारत-म्याँमार (BCIM) कॉरिडोर इसी का हिस्सा है।
  - ये कनेक्टिविटी परियोजनाएँ न केवल मौजूदा उग्रवाद पर अंकुश लगाएंगी, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अपनी आर्थिक क्षमता विकसित करने और भारत की मुख्य भूमि के साथ एकीकृत करने में भी मदद करेंगी।
  - इसके अलावा भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) अपने पूर्वी पड़ोसियों के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव का केंद्र है।
    - यह सीमावर्ती क्षेत्रों में छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को व्यापार के नए अवसर तलाशने में सक्षम बनाएगा।
- क्रॉस कनेक्टिविटी परियोजनाओं के उदाहरण:
  - भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग:
    - यह आसियान और भारत के मध्य भूमि संपर्क हेतु प्रमुख परियोजनाओं में से एक है।

- वर्ष 2002 में पहली बार भारत के मोरेह (मणिपुर) को थाईलैंड के माई सॉट (Mae Sot) और माई सॉट को म्याँमार से जोड़ने का प्रस्ताव लाया गया।
- इसके अलावा भारत, म्याँमार और थाईलैंड मोटर वाहन समझौता (IMT MVA) अंतिम चरण में है।
- इसके पूर्ण होने पर यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के मध्य पहला सीमा पार सुविधा समझौता बन जाएगा।

- कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांज़िट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KMMTTP):
  - जल मार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी विकसित करने हेतु आसियान और भारत KMMTTP पर कार्य कर रहे हैं।
  - इसे वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था और पूरी तरह से भारत द्वारा वित्तपोषित है।
  - भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में म्याँमार से माल के परिवहन हेतु एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश करना।
  - यह भारत के कोलकाता को क्रमश: समुद्र और नदी द्वारा म्याँमार के सितवे (Sittwe) और पलेटवा (Paletwa) से जोड़ता है।
  - इस पहल के साथ-साथ, भारत ने बांग्लादेश के माध्यम से एक वैकल्पिक पारगमन मार्ग हेतु म्याँमार के सितवे बंदरगाह के माध्यम से एक समुद्री लिंक को विकसित करने में सहयोग दिया है।
- मेकांग-भारत आर्थिक गलियारा (MIEC):
  - इसमें भारत के साथ चार 'मेकांग देशों' यथा- वियतनाम, म्याँमार, थाईलैंड और कंबोडिया का एकीकरण शामिल है, जो 'हो ची मिन्ह सिटी', 'दावेई', 'बैंकॉक' और 'नोम पेन्ह' को चेन्नई से जोड़ता है।
  - यह कॉरिडोर भागीदार देशों को बुनियादी अवसंरचना के विकास, अपने आर्थिक आधार को बढ़ाने और विशेष रूप से भारत एवं आसियान देशों के बीच ट्रांज़िट दूरी को कम करने के अवसर प्रदान करेगा।

OECD/G20 इन्क्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील में शामिल हुआ भारत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और OECD/G2 इन्क्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोज़न एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting) के अधिकांश सदस्य अंतर्राष्ट्रीय कराधान नियमों में सुधार के लिये एक नए टू पिलर प्लान (Two Pillar Plan) में शामिल हो गए हैं।

- दो स्तंभ योजना- बेस इरोज़न एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (Base Erosion and Profit Shifting) पर इन्क्लूसिव टैक्स डील अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों में सुधार करना चाहता है और यह सुनिश्चित करता है कि बहुराष्ट्रीय उद्यम जहाँ भी काम करते हैं, अपने उचित हिस्से का भुगतान करें।

प्रमुख बिंदु

बेस इरोज़न एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के विषय में:

- इस योजना के हस्ताक्षरकर्त्ता 130 देश हैं, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- नया ढाँचा अर्थव्यवस्थाओं के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियों का समाधान करेगा।
- यह सीमा पार लाभ स्थानांतरण पर चिंताओं को दूर करने और ट्रीटी शॉपिंग (Treaty Shopping) को रोकने के लिये इसे कर नियम के अधीन लाने का भी प्रयास करता है।
  - ट्रीटी शॉपिंग एक व्यक्ति द्वारा दो देशों (इनमें से किसी के निवासी होने के बिना) के बीच कर संधि के लाभों को अप्रत्यक्ष रूप सेउपयोग करने का एक प्रयास है।

टू पिलर प्लान:

- वन पिलर:
  - यह डिजिटल कंपनियों सहित सबसे बड़े एमएनई के संबंध में देशों के बीच मुनाफे और कर अधिकारों का उचित वितरण सुनिश्चित करेगा।
  - यह उन बहुराष्ट्रीय उद्यमों (Introduction Multinational enterprises- MNE) को उनके घरेलू देशों से उन बाज़ारों में कुछ कर अधिकार फिर से आवंटित करेगा जहाँ उनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं।
  - ऑर्गेनाइज़ेशन फार इकॉनमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (OECD) के अनुसार, प्रत्येक वर्ष बाज़ार के अधिकार क्षेत्र में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के लाभ का पुन: आवंटन होने की उम्मीद है।
- टू पिलर: यह न्यूनतम कर के विषय में है और कर नियमों के अधीन है (आय के सभी स्रोत कर भत्तों को ध्यान में रखे बिना कर के लिये उत्तरदायी हैं)।
  - यह वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर के माध्यम से देशों के बीच न्यूनतम मानक कर दर निर्धारित करना चाहता है, जो वर्तमान में 15% प्रस्तावित है।
  - इससे कर राजस्व में अतिरिक्त 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर उत्पन्न होने की उम्मीद है।

महत्त्व:

- यह सुनिश्चित करेगा कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ प्रत्येक स्थान के कर के अनुसार अपने उचित हिस्से का भुगतान करें।
- टू पिलर प्लान सरकारों को आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढाँचे तथा कोविड-पूर्व रिकवरी क्षमता और गुणवत्ता को अनुकूलित करने में मदद के लिये आवश्यक उपायों में निवेश करते हुए अपने बजट एवं बैलेंसशीट को दुरुस्त करने हेतु आवश्यक राजस्व जुटाने के लिये उचित सहायता प्रदान करेगा।

भारत का रुख :

- भारत को वैश्विक कर व्यवस्था लागू होने पर Google, Amazon और Facebook जैसी कंपनियों पर लगाए जाने वाले समान उगाही (Levy) को वापस लेना होगा।
  - इसका उद्देश्य उन विदेशी कंपनियों पर कर लगाना है, जिनके पास भारत में एक महत्त्वपूर्ण स्थानीय ग्राहक आधार है, लेकिन देश की कर प्रणाली से प्रभावी रूप से बचने के लिये वह अपनी अपतटीय इकाइयों के माध्यम से बिलिंग कर रहे हैं।
  - वर्ष 2016 से ऑनलाइन विज्ञापनों के लिये एक अनिवासी सेवा प्रदाता द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक के भुगतान पर 6% की दर से समान कर लागू है।
- भारत यह सुनिश्चित करने के लिये कानून के व्यापक आवेदन/अनुप्रयोग का समर्थन करता है कि देश प्रस्तावित ढाँचे के तहत समान कर के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि से कम संग्रह नहीं करेगा।
- भारत एक सर्वसम्मत समाधान के पक्ष में है जो लागू करने और पालन करने में आसान हो।
- समाधान का परिणाम बाज़ार क्षेत्राधिकारों, विशेष रूप से विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिये सार्थक एवं टिकाऊ राजस्व के आवंटन के रूप में होना चाहिये।
- टू पिलर प्लान (Two Pillar Plan) बाज़ार हेतु मुनाफे के अधिक हिस्से के लिये भारत के रुख को सही ठहराता है और लाभ आवंटन में मांग पक्ष कारकों पर विचार करता है।

आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (Base Erosion and Profit Shifting- BEPS):

- BEPS का तात्पर्य ऐसी टैक्स प्लानिंग रणनीतियों से है जिनके तहत टैक्स नियमों में अंतर और विसंगतियों का लाभ उठाकर कंपनियाँ अपने लाभ को किसी ऐसे स्थान या क्षेत्र में हस्तांतरित कर देती हैं जहाँ या तो टैक्स होता ही नहीं और यदि होता भी है तो बहुत कम अथवा नाम-मात्र।
- सामान्य तौर पर BEPS रणनीतियाँ अवैध नहीं होती हैं; बल्कि वे विभिन्न न्यायिक क्षेत्र में संचालित विभिन्न कर नियमों का लाभ उठाते हैं।
- विकासशील देशों के बहुराष्ट्रीय उद्यमों (MNEs) के कारण कॉर्पोरेट आयकर पर भारी निर्भरता के कारण BEPS का इनके लिये प्रमुख महत्त्व है।
- BEPS पहल एक आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) पहल है, जिसे G20 द्वारा अनुमोदित किया गया है, ताकि विश्व स्तर पर अधिक मानकीकृत कर नियम प्रदान करने के तरीकों की पहचान की जा सके।
  - OECD: यह एक अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिये की गई है।
    - अधिकांश OECD सदस्य उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं और उन्हें विकसित देश माना जाता है।
  - G20: यह बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक, वित्तीय और राजनीतिक सहयोग के लिये अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
  - भारत G20 का सदस्य है, सदस्य ही नहीं बल्कि OECD का एक प्रमुख भागीदार है
- OECD/G20 समावेशी ढाँचा वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था।
  - भारत ने आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण ("बहुपक्षीय साधन" या "MLI") को रोकने के लिये कर संधि से संबंधित उपायों को लागू करने हेतु बहुपक्षीय सम्मेलन की पुष्टि की है।

अटलांटिक चार्टर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 80 वर्ष पुराने अटलांटिक चार्टर (Atlantic Charter) के एक नए संस्करण पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

अटलांटिक चार्टर (1941):

- अटलांटिक चार्टर अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा 14 अगस्त, 1941 को (द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान) न्यूफाउंडलैंड में सरकार के दो प्रमुखों की बैठक के बाद जारी एक संयुक्त घोषणा थी।
  - अटलांटिक चार्टर को बाद में वर्ष 1942 में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में संदर्भ द्वारा शामिल किया गया था।
  - द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा संघर्ष था जिसमें 1939-45 के वर्षों के दौरान विश्व के लगभग हर हिस्से को शामिल किया गया था।

- प्रमुख युद्धरत थे:
  - एक्सिस शक्तियाँ: जर्मनी, इटली और जापान।
  - सहयोगी: फ्राँस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन।
- अटलांटिक चार्टर ने अमेरिका और ब्रिटिश युद्ध के उद्देश्यों का एक व्यापक विवरण प्रदान किया जैसे:
  - वे संबंधित लोगों की स्वतंत्र सहमति के बिना कोई क्षेत्रीय परिवर्तन नहीं चाहते थे।
  - वे सरकार चुनने के लोगों के अधिकार का सम्मान करते थे और चाहते थे कि संप्रभु अधिकार तथा स्वशासन से उन्हें जबरन वंचित कर दिया जाए।
  - वे सभी राज्यों के लिये व्यापार और कच्चे माल तक समान पहुँच को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे।
  - वे विश्वव्यापी सहयोग को बढ़ावा देने की आशा रखते थे ताकि श्रम मानकों, आर्थिक प्रगति और सामाजिक सुरक्षा में सुधार हो सके।
  - "नाज़ी अत्याचार" (जर्मनी) का विनाश वे एक ऐसी शांति की तलाश करेंगे जिसके तहत सभी राष्ट्र अपनी सीमाओं के भीतर बिना किसी डर या इच्छा के सुरक्षित रूप से रह सकें।
  - ऐसी शांति के तहत समुद्र मुक्त होना चाहिये।

न्यू अटलांटिक चार्टर (2021):

- नया चार्टर 604 शब्दों का एक घोषणापत्र है, जो 21वीं सदी में वैश्विक संबंधों के लिये एक भव्य विज़न पेश करने का प्रयास है, जैसा कि मूल रूप से अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करने से कुछ महीने पहले लोकतंत्र और क्षेत्रीय अखंडता हेतु पश्चिमी प्रतिबद्धता की घोषणा की गई थी।
- यह सिद्धांतों को लेकर का एक बयान है जो एक वादा करता है कि UK और US अपनी उम्र की चुनौतियों का एक साथ सामना करेंगे। यह दोनों देशों से नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पालन करने का आह्वान करता है।
- नया चार्टर उभरती प्रौद्योगिकियों, साइबरस्पेस और सतत् वैश्विक विकास के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता पर केंद्रित है।
- यह पश्चिमी सहयोगियों से चुनाव सहित दुष्प्रचार या अन्य घातक प्रभावों के माध्यम से हस्तक्षेप का विरोध करने का आह्वान करता है।
- यह प्रतिज्ञा करता है कि जब तक परमाणु हथियार हैं तब तक उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organisation- NATO) एक परमाणु गठबंधन बना रहेगा।

अंटार्कटिक संधि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंटार्कटिक संधि (Antarctic Treaty) की 60वीं वर्षगाँठ मनाई गई।

- अंटार्कटिक संधि एकमात्र एकल संधि का उदाहरण है जो पूरे महाद्वीप को नियंत्रित करती है।
- यह एक अस्थायी आबादी वाले महाद्वीप के लिये नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव भी रखती है।

प्रमुख बिंदु

परिचय:

- अंटार्कटिक महाद्वीप को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये संरक्षित करने एवं असैन्यीकृत क्षेत्र बनाने के लिये 1 दिसंबर, 1959 को वाशिंगटन में 12 देशों के बीच अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  - 12 मूल हस्ताक्षरकर्त्ता अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्राँस, जापान, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, यूके और यूएस हैं।
- यह संधि वर्ष 1961 में लागू हुई, तत्पश्चात इसे कई अन्य देशों ने स्वीकार किया है।
- अंटार्कटिका को 60°S अक्षांश के दक्षिण में स्थित बर्फ से आच्छादित भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - हाल ही में एक विशाल हिमखंड 'ए-76' (Iceberg 'A-76) अंटार्कटिका में वेडेल सागर (Weddell Sea) में स्थित रोने आइस शेल्फ (Ronne Ice Shelf) के पश्चिमी भाग में देखा गया है।

सदस्य:

- वर्तमान में इसमें 54 पक्षकार हैं। वर्ष 1983 में भारत इस संधि का सदस्य बना।

मुख्यालय:

- ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना।

प्रमुख प्रावधान:

- वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना।
- देश महाद्वीप का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये कर सकते हैं।
- सैन्य गतिविधियों, परमाणु परीक्षणों और रेडियोधर्मी कचरे के निपटान का निषेध।

- क्षेत्रीय संप्रभुता को निष्प्रभावी करना अर्थात् किसी देश द्वारा इस पर कोई नया दावा करने या मौजूदा दावे का विस्तार नहीं किया जाएगा।
- इस संधि द्वारा किसी देश की इस महाद्वीप पर दावेदारी संबंधी किसी भी विवाद पर रोक लगा दी गई।

विवाद और समाधान:

- इसे लेकर समय-समय पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। उदाहरणस्वरूप महाद्वीप क्षेत्र को लेकर अर्जेंटीना और यूके के अपने अतिव्यापी दावे हैं।
- हालाँकि संधि की सक्रियता का एक प्रमुख कारण कई अतिरिक्त सम्मेलनों और अन्य कानूनी प्रोटोकॉल के माध्यम से अर्जित क्षमता है।
- ये सम्मेलन और अन्य कानूनी प्रोटोकॉल समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण, खनन पर प्रतिबंध तथा व्यापक पर्यावरण संरक्षण तंत्र को अपनाने से संबंधित हैं।
- विदित है कि इस पर वर्षों से विवाद उत्पन्न होते रहे हैं लेकिन इन समझौतों के साथ संधि ढाँचे के विस्तार के माध्यम से कई विवादों को हल किया गया है। इस संपूर्ण ढाँचे को अब अंटार्कटिक संधि प्रणाली के रूप में जाना जाता है।

अंटार्कटिक संधि प्रणाली:

परिचय:

- यह अंटार्कटिक में देशों के बीच संबंधों को विनियमित करने के उद्देश्य से की गई व्यवस्थाओं की जटिल संरचना है।
- इसका उद्देश्य सभी मानव जाति के हितों में यह सुनिश्चित करना है कि अंटार्कटिका हमेशा के लिये शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाता रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय विवाद की वस्तु नहीं बनेगा।
- यह एक वैश्विक उपलब्धि है और 50 से अधिक वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मिसाल है।
- ये समझौते अंटार्कटिक की अनूठी भौगोलिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक विशेषताओं के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी और उद्देश्यपूर्ण हैं और इस क्षेत्र के लिये एक मज़बूत अंतर्राष्ट्रीय शासन ढाँचा तैयार करते हैं।

संधि प्रणाली के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौते:

- 1959 की अंटार्कटिक संधि।
- अंटार्कटिक सीलों के संरक्षण के लिये 1972 कन्वेंशन।
- अंटार्कटिक समुद्री जीवन संसाधनों के संरक्षण पर 1980 का कन्वेंशन।
- अंटार्कटिक संधि के लिये पर्यावरण संरक्षण पर 1991 का प्रोटोकॉल।

भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम

परिचय:

- यह नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च (National Centre for Antarctic and Ocean Research-NCPOR) के तहत एक वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी जब अंटार्कटिका के लिये पहला भारतीय अभियान बनाया गया था।
- NCPOR देश में ध्रुवीय और दक्षिणी महासागरीय वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ-साथ संबंधित रसद गतिविधियों की योजना, प्रचार, समन्वय और निष्पादन के लिये नोडल एजेंसी है।
- इसकी स्थापना 1998 में हुई थी।

दक्षिण गंगोत्री:

- दक्षिण गंगोत्री भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अंटार्कटिका में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था।
- अभी यह क्षतिग्रस्त हो गया है और सिर्फ आपूर्ति का आधार बन गया है।

मैत्री:

- मैत्री अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसे 1989 में बनाया गया था।
- मैत्री, शिरमाकर ओएसिस नामक चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है। भारत ने मैत्री के आसपास मीठे पानी की एक झील भी बनाई जिसे प्रियदर्शिनी झील के नाम से जाना जाता है।

भारती:

- भारती, 2012 से भारत का नवीनतम अनुसंधान केंद्र का संचालन। इसका निर्माण शोधकर्त्ताओं को कठोर मौसम के बावजूद सुरक्षित होकर काम करने में मदद के लिये किया गया है।
- यह भारत की पहली प्रतिबद्ध अनुसंधान सुविधा है और मैत्री से लगभग 3000 किमी पूर्व में स्थित है।

अन्य अनुसंधान सुविधाएँ:

- सागर निधि:
  - 2008 में भारत ने शोध के लिये सागर निधि की स्थापना की।
  - एक आइस-क्लास पोत, अंटार्कटिक जल को नेविगेट करने वाला पहला भारतीय पोत, यह 40 सेमी गहराई की पतली बर्फ को काट सकता है।

भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने आभासी प्रारूप में पहले भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।

- इसमें कज़ाखस्तान गणराज्य, किर्गिज़ गणराज्य, ताजिकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया।
- यह पहल भारत-मध्य एशिया सम्मेलन भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगाँठ के साथ मेल खाता है।
- यह शिखर सम्मेलन चीन-मध्य एशिया सम्मेलन के दो दिन बाद हुआ था, जिसमें चीन ने सहायता के तौर पर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पेशकश की थी और प्रतिवर्ष लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वर्तमान स्तर से व्यापार को 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का वादा किया था।

प्रमुख बिंदु:

- शिखर सम्मेलन का संस्थानीकरण:
  - इस सम्मेलन में भारत-मध्य एशिया संबंधों को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के अगले कदमों पर चर्चा की गई एवं, नेताओं ने हर 2 साल में इसे आयोजित करने का एतिहासिक निर्णय लेकर शिखर सम्मेलन तंत्र को संस्थागत बनाने पर सहमति व्यक्त की।
  - शिखर सम्मेलन की बैठकों के लिये आधार तैयार करने हेतु विदेश मंत्रियों, व्यापार मंत्रियों, संस्कृति मंत्रियों और सुरक्षा परिषद के सचिवों की नियमित बैठकों पर भी सहमति व्यक्त की गई।
  - नए तंत्र का समर्थन करने के लिये नई दिल्ली में एक भारत-मध्य एशिया सचिवालय स्थापित किया जाएगा।
- भारत-मध्य एशिया सहयोग:
  - नेताओं ने व्यापार और संपर्क, विकास सहयोग, रक्षा व सुरक्षा के क्षेत्रों में और विशेष रूप से सांस्कृतिक एवं लोगों से लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग के लिये दूरगामी प्रस्तावों पर चर्चा की। इनमें शामिल हैं:
    - ऊर्जा और संपर्क पर गोलमेज बैठक।
    - अफगानिस्तान और चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल पर वरिष्ठ आधिकारिक स्तर पर संयुक्त कार्य समूह।
    - मध्य एशियाई देशों में बौद्ध प्रदर्शनी और सामान्य शब्दों का भारत-मध्य एशिया शब्दकोश।
    - संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास।
    - मध्य एशियाई देशों से भारत में हर साल 100 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल की यात्रा और मध्य एशियाई राजनयिकों के लिये विशेष पाठ्यक्रम।
  - नेताओं द्वारा एक व्यापक संयुक्त घोषणा को अपनाया गया जो एक स्थायी और व्यापक भारत-मध्य एशिया साझेदारी के लिये उनके सामान्य दृष्टिकोण की गणना करता है।
- अफगानिस्तान:
  - नेताओं ने एक वास्तविक प्रतिनिधि और समावेशी सरकार के साथ शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं स्थिर अफगानिस्तान के लिये अपने मज़बूत समर्थन को दोहराया।
  - भारत ने अफगान लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने की अपनी निरंतर प्रतिबद्धता से अवगत कराया।
- भारत का रुख:
  - कज़ाखस्तान: यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये एक महत्त्वपूर्ण भागीदार बन गया है। भारत ने हाल ही में कज़ाखस्तान में हुए जन-धन के नुकसान पर भी संवेदना व्यक्त की।
  - उज़्बेकिस्तान: भारत की राज्य सरकारें भी उज़्बेकिस्तान के साथ इसके बढ़ते सहयोग में सक्रिय भागीदार हैं।
  - ताजिकिस्तान: सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों का पुराना सहयोग रहा है।
  - तुर्कमेनिस्तान: यह क्षेत्रीय संपर्क के क्षेत्र में भारतीय दृष्टिकोण का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है जो अश्गाबात समझौते में भागीदारी से स्पष्ट है।
    - मध्य एशिया में क्षेत्रीय संपर्क अश्गाबात समझौता 2018 का एक प्रमुख अंग है।

भारत के लिये शिखर सम्मेलन का महत्त्व

- भू-राजनीतिक गतिशीलता:
  - यह शिखर सम्मेलन भारत तथा मध्य एशियाई देशों के नेताओं द्वारा एक व्यापक और स्थायी भारत-मध्य एशिया साझेदारी के महत्त्व का प्रतीक है।
  - यह एक ऐसे महत्त्वपूर्ण समय पर आयोजित किया जा रहा है जब पश्चिम और रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) व चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। भारत को भी भू-राजनीतिक परिणामों का सामना करना पड़ा है जैसे चीन के साथ सीमा तनाव तथा अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा।
  - यह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा का अनुसरण करता है जो भारत को यूरेशिया में चीन को संतुलित करने और अफगानिस्तान से खतरों को रोकने के लिये महत्त्वपूर्ण हो सकता है

- कज़ाखस्तान में हालिया अशांति ने यह भी प्रदर्शित किया है कि "नए अभिनेता" इस क्षेत्र में प्रभाव के लिये होड़ में हैं, हालाँकि उनके इरादे अभी भी स्पष्ट नहीं हैं।

- व्यापार:
  - भारत ने हमेशा सभी पाँच मध्य एशियाई राज्यों के साथ उत्कृष्ट राजनयिक संबंध बनाए रखा है, वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका दौरा किया है। फिर भी उनके साथ भारत का व्यापार वर्ष 2019 में केवल 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही रहा है।
  - वर्ष 2017 में भारत इस क्षेत्र के साथ जुड़ने के लिये शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में शामिल हो गया। लेकिन SCO में शामिल होना रूस एवं चीन जैसे प्रतिद्वंद्विता को नियंत्रित करने के लिये केवल एक रास्ता है ताकि किसी भी शक्ति को इस क्षेत्र पर हावी होने से रोका जा सके।
    - रूस, भारत-चीन तनाव को नियंत्रित करने के लिये SCO का उपयोग करता है।
- सुरक्षा:
  - शिखर सम्मेलन भारत की कूटनीति के लिये एक बड़ा कदम है। चूँकि यह क्षेत्र भारत की सुरक्षा नीति हेतु अधिक महत्त्वपूर्ण है, इसलिये इस क्षेत्र के प्रति भारत के बहुआयामी दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने हेतु शिखर सम्मेलन का प्रभाव महत्त्वपूर्ण होगा।

भारत-मध्य एशिया वार्ता:

- यह भारत और मध्य एशियाई देशों जैसे- कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज़्बेकिस्तान के बीच एक मंत्री स्तरीय संवाद है।
- शीत युद्ध के पश्चात् वर्ष 1991 में USSR के पतन के बाद सभी पाँच राष्ट्र स्वतंत्र राज्य बन गए।
- तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर वार्ता में भाग लेने वाले सभी देश शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं।
- बातचीत कई मुद्दों पर केंद्रित है जिसमें कनेक्टिविटी में सुधार और युद्ध से तबाह अफगानिस्तान में स्थिरता संबंधी उपाय शामिल है।

हूती विद्रोहियों का यूएई पर हमला

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में एक संदिग्ध ड्रोन हमले में कई विस्फोट हुए जिसमें दो भारतीय भी मारे गए है।

- यमन के शिया हूती विद्रोहियों, जो लगभग सात वर्षों से राजधानी सना सहित देश के उत्तरी हिस्सों को नियंत्रित कर रहे हैं, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।
- भारत ने इस तरह के अस्वीकार्य कृत्यों के खिलाफ संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता व्यक्त की है।
- इससे पहले वर्ष 2021 में सऊदी की राजधानी रियाद पर हूती विद्रोहियों द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- हूती :
  - हूती आंदोलन की जड़ें "बिलीविंग यूथ" (मुंतदा अल-शहाबल-मुमिन) में खोजी जा सकती हैं, जो हुसैन अल-हूती और उसके पिता बद्र अल-दीन अल-हूती द्वारा 1990 के दशक की शुरुआत में स्थापित एक ज़ायदी पुनरुत्थानवादी समूह था।
  - बद्र अल-दीन उत्तरी यमन में एक प्रभावशाली ज़ायदी मौलवी था। वर्ष 1979 की ईरानी क्रांति और 1980 के दशक में दक्षिणी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के उदय से प्रेरित होकर बद्र अल-दीन एवं उसके बेटों ने यमन के ज़ायदियों के बीच विशाल सामाजिक और धार्मिक नेटवर्क का निर्माण कार्य शुरू किया, जो सुन्नी-बहुसंख्यक आबादी वाले देश का लगभग एक-तिहाई हिस्सा बनाते हैं।
  - लेकिन जब आंदोलन ने राजनीतिक रूप ले लिया और अली अब्दुल्ला सालेह (यमन में) के "भ्रष्ट" शासन पर हमला करना शुरू कर दिया तो आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का युद्ध के लिये उनका समर्थन सालेह के लिये घातक बन गया।
  - उसने खुद को अंसार अल्लाह कहा और सरकार के खिलाफ उत्तर में आदिवासियों को लामबंद किया।
  - वर्ष 2004 में सालेह की सरकार ने हुसैन अल हूती के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और इस गिरफ्तारी के विरोध में विद्रोह की शुरुआत हुई।
  - सितंबर 2004 में सरकारी सैनिकों ने विद्रोहियों पर हमला कर हुसैन को मार डाला। तब से सरकार ने प्रतिरोध को समाप्त करने के लिये ज़ायदी के गढ़ सादा में कई सैन्य अभियान शुरू किये जिसे स्थानीय रूप में हूती आंदोलन कहा गया।
  - लेकिन इसने हूती विद्रोहियों को मजबूत किया जिन्होंने वर्ष 2010 तक यानी जब यह युद्ध विराम की स्थिति तक पहुँच गया तो सरकारी सैनिकों की मदद से सादा पर कब्ज़ा कर लिया था।

ज़ायदी

- ज़ायदी शियाओं की सबसे पुरानी शाखा है। ज़ायदियों का नाम ज़ैद बिन अली, इमाम अली के परपोते, पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद के नाम पर रखा गया है, जो शिया, सुन्नी और ज़ायदी का सम्मान करते हैं।

- ज़ायद बिन अली ने आठवीं शताब्दी में उम्मायद खलीफा के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। जिसमे उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी शहादत के कारण जायदी संप्रदाय का उदय हुआ। हाँलाकि धर्मशास्त्र और व्यवहार के संदर्भ में जायदी को इस्लाम की शिया शाखा का हिस्सा माना जाता है। वे ईरान, इराक और लेबनान के 'ट्वेल्वर' शियाओं से भिन्न हैं।
- सदियों से यमन के भीतर जायदी एक शक्तिशाली संप्रदाय था।
- वर्ष 1918 में ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद ज़ायदी देश में एक राजशाही (मुतावक्किलित साम्राज्य) स्थापित करना चाहते थे लेकिन उनका प्रभुत्व वर्ष 1962 में उस समय समाप्त हो गया जब मिस्र समर्थित गणतंत्रों ने राजशाही को उखाड़ फेंका।
- हूती के उदय का कारण:
  - वर्ष 2011 में जब ट्यूनीशियाई और मिस्र के तानाशाहों को गिराने वाले अरब स्प्रिंग विरोध के हिस्से के रूप में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, तो हूती (Houthis), उस समय अपनी सैन्य जीत से आश्वस्त थे और सदाह में उन्हें जो समर्थन मिला, उसने आंदोलन का समर्थन किया।
  - राष्ट्रपति सालेह, (एक जायदी) जो 33 वर्षों तक सत्ता में थे, ने नवंबर 2011 में इस्तीफा दे दिया तथा अपने डिप्टी, अब्दराबुह मंसूर हादी, जो एक सऊदी समर्थित सुन्नी था को बागडोर सौंप दी।
  - सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के संरक्षण में यमन ने आंतरिक मतभेदों को हल करने के लिये एक राष्ट्रीय वार्ता शुरू की।
  - हूथी इस संवाद का हिस्सा थे लेकिन वे हादी की संक्रमणकालीन सरकार (Transitional Government) के साथ ही इस संवाद से बाहर हो गए तथा यह दावा करते हुए कि प्रस्तावित संघीय समाधान, जो ज़ायदी-प्रभुत्व वाले उत्तर को दो भूमि-बंद प्रांतों में विभाजित करने की मांग करता था, का उद्देश्य आंदोलन को कमजोर करना था।
  - वे शीघ्र ही विद्रोह में पुन: शामिल हो गए। सालेह जिन्हें अंतरिम सरकार और उसके समर्थकों द्वारा दरकिनार कर दिया गया था। अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वियों के साथ हाथ मिलाया और एक संयुक्त सैन्य अभियान शुरू किया।
  - जनवरी 2015 तक हूती-सालेह गठबंधन (Houthi-Saleh alliance) ने सना और उत्तरी यमन के अधिकांश हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसमें महत्त्वपूर्ण लाल सागर तट भी शामिल था। (बाद में हूती, सालेह के खिलाफ हो गए और दिसंबर 2017 में उसे मार डाला)।
- यमन पर सऊदी अरब के हमले का कारण:
  - यमन में हूती विद्रोहियों के तेज़ी से उदय ने सऊदी अरब में खतरे की घंटी बजा दी, जो कि उन्हें ईरानी प्रॉक्सी के रूप में देखता है।
  - सऊदी अरब ने मार्च 2015 में हूती विद्रोहियों के खिलाफ त्वरित जीत की उम्मीद में एक सैन्य अभियान शुरू किया था, लेकिन सऊदी अरब के हवाई हमले के बावजूद हूती विद्रोही पीछे नहीं हटे।
  - ज़मीनी स्तर पर कोई प्रभावी सहयोगी नहीं होने और कोई विशिष्ट योजना न होने के कारण, सऊदी के नेतृत्व वाला अभियान बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हो गया। पिछले छह वर्षों में हूती विद्रोहियों ने सऊदी हवाई हमलों के जवाब में उत्तरी यमन के सऊदी शहरों पर कई हमले किये हैं।
  - वर्ष 2019 में हूती विद्रोहियों ने दो सऊदी तेल प्रतिष्ठानों पर हमले का दावा किया था, जो कि देश के तेल उत्पादन के आधे हिस्से हेतु उत्तरदायी है (हूती विद्रोहियों के दावे को विशेषज्ञों और सरकारों द्वारा खंडित कर दिया गया था, जिन्होंने कहा कि विद्रोहियों के लिये यह हमला करना संभव नहीं था। अमेरिका ने इसके लिये ईरान को दोषी ठहराया था)।
  - हूती विद्रोहियों ने उत्तर में एक सरकार का गठन किया। युद्ध में सऊदी अरब और हूती दोनों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं।
  - जबकि सऊदी बम विस्फोटों में बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए, हूती विद्रोहियों पर अधिकार समूहों और सरकारों द्वारा, सहायता को रोकने, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बलों को तैनात करने तथा नागरिकों व शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल का उपयोगप्रयोग करने का आरोप लगाया गया।
- हूती विद्रोहियों के संयुक्त अरब अमीरात पर हमला करने का कारण:
  - यह पहली बार नहीं है जब हूती विद्रोहियों ने संयुक्त अरब अमीरात पर हमला किया हो। वर्ष 2018 में जब संयुक्त अरब अमीरात समर्थित बल यमन में आगे बढ़ रहे थे, हूती विद्रोहियों ने अमीरात के खिलाफ हमलों का दावा किया।
  - तब संयुक्त अरब अमीरात ने यमन से अपने सैनिकों को वापस ले लिया और अदन स्थित विद्रोहियों के एक समूह, दक्षिणी ट्रांजीशनल परिषद को सामरिक समर्थन की पेशकश की, जो संयुक्त अरब अमीरात के सऊदी समर्थित सरकारी बलों से भी लड़ रहा था।
  - इस अवधि के दौरान हूती विद्रोही पूरी तरह से सऊदी अरब और यमन के अंदर सऊदी समर्थित बलों पर केंद्रित रहे।
  - लेकिन हाल के महीनों में, जायंट्स ब्रिगेड्स, एक मिलिशिया समूह, जो बड़े पैमाने पर दक्षिणी यमनियों (यूएई द्वारा समर्थित) से बना है और संयुक्त बलों (मारे गए पूर्व राष्ट्रपति सालेह के भतीजे के नेतृत्व में मिलिशिया) ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बंदूक उठा ली थी।

- अब हमलों के साथ ऐसा प्रतीत होता है कि हूती विद्रोहियों ने अमीरात को एक स्पष्ट संदेश भेजा है कि वह यमन से दूर रहे या अधिक हमलों का सामना करें।

- चिंताएँ:
  - यमन रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाले जलडमरूमध्य पर स्थित है, जिसके माध्यम से दुनिया के अधिकांश तेल शिपमेंट गुज़रते हैं।
  - यह अल-कायदा या आईएस से जुड़े-देश के हमलों के खतरे के कारण भी पश्चिम को चिंतित करता है -जो अस्थिरता को उत्पन्न करते हैं।
  - अमेरिका द्वारा विद्रोहियों को आतंकवादियों के रूप में सूचीबद्ध करने और छह साल से संघर्ष को कम करने के प्रयासों के बाद भी हूती विद्रोहियों ने राज्य पर सीमा पार हमले तेज कर दिये हैं।
  - संघर्ष को शिया शासित ईरान और सुन्नी शासित सऊदी अरब के बीच क्षेत्रीय सत्ता संघर्ष के हिस्से के रूप में भी देखा जाता है।
- भारत का हित:
  - भारत के लिये यह एक ऐसी चुनौती है जिसे तेल सुरक्षा और इस क्षेत्र में रहने वाले 8 मिलियन प्रवासियों को ध्यान में रखकर नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता है जिनसे सालाना 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का प्रेषण होता है।
- भारतीय पहल:
  - ऑपरेशन राहत:
    - भारत ने अप्रैल 2015 में यमन से 4000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकालने के लिये बड़े पैमाने पर हवाई और समुद्री अभियान शुरू किये।
  - मानवीय सहायता:
    - भारत ने अतीत में यमन को भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान की है और पिछले कुछ वर्षों में हजारों यमन नागरिकों ने भारत में चिकित्सा उपचार का लाभ उठाया है।
    - भारत ने विभिन्न भारतीय संस्थानों में बड़ी संख्या में यमन नागरिकों के लिये शिक्षा की सुविधा जारी रखता है।

भारत और ओमान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत-ओमान रणनीतिक सलाहकार समूह (India-Oman Strategic Consultative Group-IOSCG) की बैठक आयोजित की गई। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद ओमान की ओर से यह भारत का पहला उच्च-स्तरीय आधिकारिक दौरा था।

प्रमुख बिंदु:

- महामारी के दौरान भागीदारी: भारत ने ओमान को COVID-19 के टीकों की आवश्यक पूर्ति के संबंध में सहायता का आश्वासन दिया। इसके अलावा महामारी के दौरान भारत ने ओमान को खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्ध कराई थी।
  - इससे पहले COVID-19 के दौरान दोनों देशों के बीच एयर बबल व्यवस्था (Air Bubble Arrangement) के संचालन पर संतोष व्यक्त किया गया।
    - एयर बबल दो देशों के बीच हवाई यात्रा की व्यवस्था है। जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करना है (COVID-19 महामारी के परिणामस्वरूप नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है)।
- व्यापक समीक्षा: दोनों पक्षों ने राजनीतिक, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, खनन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा कॉन्सुलर (Consular) संबंधी क्षेत्रों सहित भारत-ओमान संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा की।

भारत-ओमान संबंध:

पृष्ठभूमि:

- अरब सागर के दोनों देश एक-दूसरे से भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं तथा दोनों के बीच सकारात्मक एवं सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, जिसका श्रेय ऐतिहासिक समुद्री व्यापार संबंधों को दिया जाता है।
- जबकि भारत और ओमान के बीच संबंधों के बारे में जानकारी यहाँ के लोगों के मध्य 5000 वर्षों के संपर्क के आधार पर प्राप्त जा सकती है, वर्ष 1955 में राजनयिक संबंध स्थापित किये गए थे और वर्ष 2008 में इस संबंध को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया था। ओमान, भारत की पश्चिम एशिया नीति का एक प्रमुख स्तंभ रहा है।

राजनितिक संबंध:

- भारत और ओमान के बीच अक्सर उच्चतम स्तर की राजनयिक यात्राएँ होती रही हैं और मंत्री स्तरीय दौरे नियमित रूप से किये जाते हैं।
- सल्तनत ऑफ ओमान (ओमान) खाड़ी देशों में भारत का रणनीतिक साझेदार है और खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council- GCC), अरब लीग तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association-IORA) के लिये एक महत्त्वपूर्ण वार्ताकार है।

रक्षा संबंध:

- दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय प्रतिवर्ष संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक में अपने संबंधों की समीक्षा करते हैं।
- भारत और ओमान द्वारा अपनी तीनों सैन्य सेवाओं के बीच नियमित द्विवार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास किया जाता है।
  - सैन्य अभ्यास: अल नजाह
  - वायु सेना अभ्यास: ईस्टर्न ब्रिज
  - नौसेना अभ्यास: नसीम अल बह्र
- वर्ष 2008 से ओमान भारतीय नौसेना के एंटी-पायरेसी मिशनों (Anti-Piracy Missions) को समर्थन दे रहा है और ओवरसीज़ डिप्लॉयमेंट के लिये ओमान द्वारा भारतीय नौसेना जहाज़ों का नियमित रूप से स्वागत किया जाता है।

आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:

- ओमान के साथ भारत अपने आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों के विस्तार को उच्च प्राथमिकता देता है। संयुक्त आयोग की बैठक (JCM) और संयुक्त व्यापार परिषद (JBC) जैसे संस्थागत तंत्र भारत और ओमान के बीच आर्थिक सहयोग मज़बूत करते हैं।
- भारत और ओमान के मध्य मज़बूत द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंध हैं।
  - भारत, ओमान के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है।
    - भारत, ओमान के लिये आयात क तीसरा सबसे बड़ा (UAE और चीन के बाद) स्रोत और वर्ष 2018 में इसके गैर-तेल निर्यात के लिये तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार (UAE और सऊदी अरब के बाद) था।
  - ओमान को भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद, बॉयलर, मशीनरी तथा यांत्रिक उपकरण, लोहे या स्टील की वस्तु, विद्युत मशीनरी और उपकरण, कपड़ा एवं वस्त्र, रसायन, चाय, कॉफी, मसाले आदि शामिल हैं।
  - ओमान से भारत को आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में उर्वरक, खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद, बिटुमिनस पदार्थ आदि शामिल हैं।
- भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे- भारतीय स्टेट बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम- एयर इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) आदि की शाखाएँ ओमान में स्थित हैं। भारतीय कंपनियों ने ओमान में लोहा और इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, कपड़ा आदि क्षेत्रों में निवेश किया है।
- भारत-ओमान संयुक्त निवेश कोष (OIJIF), भारतीय स्टेट बैंक और ओमान के स्टेट जनरल रिज़र्व फंड (SGRF) के बीच एक संयुक्त उपक्रम है जो भारत में निवेश करने के लिये एक विशेष प्रयोजन वाहन है, का संचालन किया गया है।
- दुकम पोर्ट तक पहुँच: ओमान ने भारत को उसकी नौसेना सहित अपने दुकम बंदरगाह तक पहुँच की अनुमति दे दी है, जो इसकी राजधानी मस्कट से लगभग 550 किमी. दक्षिण में स्थित है। दुकम बंदरगाह विशेष आर्थिक क्षेत्र को हिंद महासागर का गहरा समुद्री सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है।

ईरान का समृद्ध यूरेनियम भंडार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ईरान की परमाणु एजेंसी ने बताया कि उसके 20% यूरेनियम संवर्द्धन के साथ इसका भंडार लगभग 210 किलोग्राम से अधिक तक पहुँच गया है।

- अप्रैल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने कहा कि ईरान ने नत्ज़ान में स्थित एक सतही परमाणु संयंत्र में यूरेनियम को 60% विखंडनीय शुद्धता तक संवर्द्धित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
- ईरान और विश्व शक्तियों के बीच ऐतिहासिक वर्ष 2015 के परमाणु समझौते के तहत, ईरान 3.67% से अधिक यूरेनियम को संवर्द्धित करने में सक्षम नहीं था। 90% से अधिक समृद्ध क्षमता वाले यूरेनियम का उपयोग परमाणु हथियारों के लिये किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

- यूरेनियम संवर्द्धन:
  - प्राकृतिक यूरेनियम में दो अलग-अलग समस्थानिक विद्यमान होते हैं जिसमें लगभग 99%, U-238 तथा 0.7%, U-235 की मात्रा पाई जाती है।
    - U-235 एक विखंडनीय सामग्री (Fissile Material) है जो परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को संचालित करने में सहायक है।
  - यूरेनियम संवर्द्धन में आइसोटोप सेपरेशन (Isotope Separation) प्रक्रिया के माध्यम से यूरेनियम U-235 की मात्रा को बढ़ाया जाता है (U-238 को U-235 से अलग किया जाता है)।
  - परमाणु हथियारों के निर्माण में 90% या उससे अधिक तक यूरेनियम संवर्द्धन की आवश्यकता होती है जिसे अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम/हथियार-ग्रेड यूरेनियम (Highly Enriched Uranium/Weapons-Grade Uranium) के रूप में जाना जाता है।
  - परमाणु रिएक्टरों के लिये U-235 की 3-5% तक यूरेनियम संवर्द्धन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न संवर्द्धित यूरेनियम के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिये ईंधन का उत्पादन करने हेतु किया जा सकता है।

- अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम की शुद्धता 20% या उससे अधिक होती है और इसका उपयोग अनुसंधान रिएक्टरों में किया जाता है।

- संबंधित मुद्दे:
  - संवर्द्धन की जटिल प्रक्रिया इसके द्वारा अधिक आसान हो जाती है और उच्च शुद्धता की ओर बढ़ने पर कम सेंट्रीफ्यूज/अपकेंद्रक की आवश्यकता होती है।
  - दूसरे शब्दों में युरेनियम के संवर्द्धन की 90% शुद्धता प्राप्त करने हेतु इसकी 20% मात्रा से शुरू करना बहुत आसान है और 60% से शुरू करना अधिक स्थिर और सुगम होगा।
- वर्ष 2015 का परमाणु समझौता:
  - वर्ष 2015 में वैश्विक शक्तियों (P5 + 1) के समूह जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, चीन, रूस और जर्मनी शामिल हैं, के साथ ईरान द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम के लिये दीर्घकालिक समझौते पर सहमति व्यक्त की गई।
    - इस समझौते को 'संयुक्त व्यापक क्रियान्वयन योजना' (Joint Comprehensive Plan of Action- JCPOA) तथा आम बोल-चाल की भाषा में ईरान परमाणु समझौते (Iran Nuclear Deal) के रूप में में नामित किया गया था।
    - इस समझौते के तहत ईरान द्वारा प्रतिबंधों को हटाने और वैश्विक व्यापार में अपनी पहुँच सुनिश्चित करने हेतु अपने परमाणु कार्यक्रमों की गतिविधि पर अंकुश लगाने पर सहमति व्यक्त की गई।
    - समझौते के तहत ईरान को अपने शोध कार्यों के संचालन हेतु थोड़ी मात्रा में यूरेनियम जमा करने की अनुमति दी गई परंतु उसके द्वारा यूरेनियम संवर्द्धन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसका उपयोग रिएक्टर ईंधन और परमाणु हथियार बनाने के लिये किया जाता है।
    - ईरान को एक भारी जल-रिएक्टर (Heavy-Water Reactor) के निर्माण की भी आवश्यकता थी, जिसमें ईंधन के रूप में प्रयोग करने हेतु भारी मात्रा में प्लूटोनियम (Plutonium) की आवश्यकता के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति देना भी आवश्यक है।
  - मई 2018 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे त्रुटिपूर्ण बताते हुए मसौदे से खुद को अलग कर लिया और प्रतिबंधों को बहाल करते हुए उन्हें और कड़ा कर दिया।
    - अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया गया क्योंकि ईरान लगातार शेष हस्ताक्षरकर्त्ताओं के साथ विभिन्न समझौता करते हुए P+5 प्रतिबद्धताओं का उल्लघंन कर रहा था।
  - हाल ही में यूरोपीय संघ, ईरान और अमेरिका ने घोषणा की है कि मसौदे को फिर से शुरू करने के लिये अप्रत्यक्ष वार्ता 29 नवंबर, 2021 को वियना में फिर से शुरू होगी।

सीईपीए: भारत-यूएई

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने औपचारिक रूप से भारत-यूएई व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी समझौते (CEPA) पर वार्ता शुरू की।

- वर्ष 2017 में हस्ताक्षरित व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत दोनों देशों द्वारा की गई प्रगति को आगे बढ़ाने के लिये दोनों देशों ने पारस्परिक रूप से लाभप्रद आर्थिक समझौते तक पहुँचने की इच्छा व्यक्त की।

प्रमुख बिंदु

- व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी समझौता (CEPA):
  - यह एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें सेवाओं एवं निवेश के संबंध में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत करना शामिल है। यह व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्द्धा तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे क्षेत्रों पर बातचीत किये जाने पर भी विचार कर सकता है।
  - साझेदारी या सहयोग समझौते मुक्त व्यापार समझौतों की तुलना में अधिक व्यापक हैं।
  - CEPA व्यापार के नियामक पहलू को भी देखता है और नियामक मुद्दों को कवर करने वाले एक समझौते को शामिल करता है।
  - भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ CEPA पर हस्ताक्षर किये हैं।
- भारत-यूएई आर्थिक संबंध:
  - वर्ष 2019-2020 में संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है, जिसका मूल्य 59 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
  - संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है, जिसका निर्यात वर्ष 2019-2020 में लगभग 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - यूएई भारत में आठवाँ सबसे बड़ा निवेशक है, जिसने अप्रैल 2000 और मार्च 2021 के बीच 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, जबकि यूएई में भारतीय कंपनियों द्वारा 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किये जाने का अनुमान है।

- प्रमुख निर्यात: पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती धातुएँ, पत्थर, रत्न और आभूषण, खनिज आदि।
- प्रमुख आयात: पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती धातु, पत्थर, रत्न और आभूषण, खनिज आदि।

- भारत-यूएई सीईपीए का महत्त्व:
  - यह हस्ताक्षरित समझौते के पाँच वर्षों के भीतर वस्तुओं में द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने तथा सेवाओं के क्षेत्र में व्यापार को बढ़ाकर 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने की संभावना व्यक्त करता है, जिससे दोनों देशों में व्यापक सामाजिक और आर्थिक अवसर सृजित होंगे।

अन्य प्रकार के व्यापारिक समझौते

- मुक्त व्यापार समझौता (FTA):
  - यह एक ऐसा समझौता है जिसे दो या दो से अधिक देशों द्वारा भागीदार देश को तरजीही व्यापार समझौतों, टैरिफ रियायत या सीमा शुल्क में छूट आदि प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है।
  - भारत ने कई देशों के साथ FTA पर बातचीत की है जैसे श्रीलंका और विभिन्न व्यापारिक ब्लॉकों से आसियान के मुद्दे पर।
- अधिमान्य या तरजीही व्यापार समझौता (PTA):
  - इस प्रकार के समझौते में दो या दो से अधिक भागीदार कुछ उत्पादों के संबंध में प्रवेश का अधिमान्य या तरजीही अधिकार देते हैं। यह टैरिफ लाइनों की एक सहमत संख्या पर शुल्क को कम करके किया जाता है।
  - यहाँ तक कि PTA में भी कुछ उत्पादों के लिये शुल्क को घटाकर शून्य किया जा सकता है। भारत ने अफगानिस्तान के साथ एक PTA पर हस्ताक्षर किये हैं।
- व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA):
  - व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA) आमतौर पर केवल व्यापार शुल्क और टैरिफ-रेट कोटा (TRQ) दरों को बातचीत के माध्यम से तय करता है। यह CECA जितना व्यापक नहीं है। भारत ने मलेशिया के साथ CECA पर हस्ताक्षर किये हैं।
- द्विपक्षीय निवेश संधियाँ (BIT):
  - यह एक द्विपक्षीय समझौता है जिसमें दो देश एक संयुक्त बैठक करते हैं तथा दोनों देशों के नागरिकों और फर्मों/कंपनियों द्वारा निजी निवेश के लिये नियमों एवं शर्तों को तय किया जाता है।
- व्यापार और निवेश फ्रेमवर्क समझौता (TIFA):
  - यह दो या दो से अधिक देशों के बीच एक व्यापार समझौता है जो व्यापार के विस्तार और देशों के बीच मौजूदा विवादों को हल करने के लिये एक रूपरेखा तय करता है।

भारत और इज़रायल संबंध

चर्चा में क्यों ?

भारत-इज़रायल राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगाँठ को आकार देने के लिये भारत और इज़रायल द्वारा एक स्मारक लोगो (commemorative logo) का शुभारंभ किया गया है।

- इस लोगो में डेविड का सितारा और अशोक चक्र- दो प्रतीक हैं जो दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज में प्रदर्शित होते हैं और द्विपक्षीय संबंधों की 30वीं वर्षगाँठ को दर्शाते हुए 30 का अंक बनाते है।

प्रमुख बिंदु

- राजनयिक गठबंधन:
  - हालाँकि भारत ने वर्ष 1950 में इज़रायल को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी थी, लेकिन दोनों देशों द्वारा 29 जनवरी, 1992 को ही पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किया गया। भारत दिसंबर 2020 तक इज़रायल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले 164 संयुक्त राष्ट्र (UN) सदस्य राज्यों में से एक था।
- आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:
  - दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 1992 के 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल 2020-फरवरी 2021 की अवधि के दौरान 4.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर (रक्षा को छोड़कर) तक पहुँच गया था, जिसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था।
    - हीरे का व्यापार इस द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 50% है।
  - भारत, एशिया में इज़रायल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और विश्व स्तर पर सातवाँ सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
    - इज़रायल की कंपनियों ने भारत में ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, रियल एस्टेट और जल प्रौद्योगिकियों में निवेश किया है तथा भारत में अनुसंधान एवं विकास केंद्र या उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
  - भारत एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के समापन हेतु भी इज़रायल के साथ वार्ता कर रहा है।
- रक्षा
  - भारत, इज़रायल के सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है, वहीं इज़रायल रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्त्ता है।
  - भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले कुछ वर्षों में इज़रायली हथियार प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला को अपने बेड़े में शामिल किया है, जिसमें फाल्कन 'AWACS' (एयरबोर्न वार्निंग

एंड कंट्रोल सिस्टम्स) और हेरॉन, सर्चर-II व हारोप ड्रोन, बराक एंटी-मिसाइल डिफेंस सिस्टम एवं स्पाइडर क्विक-रिएक्शन एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रणाली शामिल हैं।

- इस अधिग्रहण में कई इज़रायली मिसाइलें और सटीक-निर्देशित युद्ध सामग्री भी शामिल है, जिसमें पायथन और डर्बी हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लेकर क्रिस्टल मेज़ (Crystal Maze) और स्पाइस-2000 बम (Spice-2000 Bombs) शामिल हैं।
- भारत और इज़रायल के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह (JWG) की 15वीं बैठक में सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिये एक व्यापक दस वर्षीय रोडमैप तैयार करने हेतु टास्क फोर्स बनाने पर सहमति व्यक्त की गई।

- कृषि में सहयोग:
  - मई 2021 में कृषि विकास में सहयोग के लिये "तीन वर्ष के कार्य समझौते" पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  - कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों को विकसित करना, नए केंद्र स्थापित करना, सीओई की मूल्य श्रृंखला को बढ़ाना, उत्कृष्टता केंद्रों को आत्मनिर्भर मोड में लाना और निजी क्षेत्र की कंपनियों व सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
- विज्ञान प्रौद्योगिकी:
  - हाल ही में भारत और इज़रायल के विशेषज्ञों ने अपनी 8वीं शासी निकाय की बैठक में भारत-इज़रायल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचार कोष (I4F) के दायरे को व्यापक बनाने पर विचार-विमर्श किया।
  - उन्होंने 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की 3 संयुक्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजनाओं को मंजूरी दी और एक व्यापक भारत-इज़रायल सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उपायों का सुझाव दिया गया।
    - I4F 'प्रमुख क्षे त्रो' में चुनौतियों का समाधान करने के लिये भारत और इज़रायल की कंपनियों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने, सुविधा प्रदान करने एवं समर्थन करने हेतु दोनों देशों के बीच एक सहयोग है।
- अन्य:
  - इज़रायल, भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में भी शामिल हो रहा है, जो दोनों देशों के अक्षय ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा में भागीदारी उद्देश्यों के साथ अच्छी तरह से संरेखित है।

अल-अक्सा मस्जिद और शेख जर्राह

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इज़रायली सशस्त्र बलों ने यरुशलम में ज़ायोनी राष्ट्रवादियों द्वारा वर्ष 1967 में शहर के पूर्वी हिस्से पर इजरायल के कब्जे को स्मरण करते हुए निकाले जाने वाले मार्च से पहले येरुशलम के हरम अस-शरीफ में अल-अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया।

- शेख जर्राह के निकट पूर्वी यरुशलम से दर्जनों फिलिस्तीनी परिवारों को निष्कासित किये जाने की धमकी ने संकट को और बढ़ा दिया।
- ज़ियोनिज़्म (Zionism) एक विश्वव्यापी यहूदी आंदोलन है जिसके परिणामस्वरूप इज़रायल राज्य की स्थापना और इसका विकास हुआ तथा वर्तमान में यह एक यहूदी मातृभूमि के रूप में इज़रायल का समर्थन करता है।

प्रमुख बिंदु

अल-अक्सा मस्जिद:

- यह इस्लाम में आस्था रखने वालों के लिये सबसे पवित्र संरचनाओं/भवनों में से एक है। यह 35 एकड़ के स्थल- जिसे मुस्लिमों द्वारा हरम अल शरीफ या पवित्र पूजा स्थल (Noble Sanctuary) तथा यहूदियों द्वारा टेम्पल माउंट (Temple Mount) के रूप में जाना जाता है, में स्थित है।
  - यह स्थल पुराने शहर यरुशलम का हिस्सा है, जिसे ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के लिये पवित्र माना जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण आठवीं शताब्दी की शुरुआत में पूर्ण हो चुका था और इसके सामने 'डोम ऑफ द रॉक' नामक स्वर्ण-गुंबद वाला इस्लामी स्थल स्थित है जो यरुशलम की मान्यता का प्रतीक है।
- 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO ने यरुशलम के पुराने शहर और इसकी दीवारों को विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site) के रूप में वर्गीकृत किया है।

यरुशलम को लेकर संघर्ष:

- यरुशलम इज़रायल-फिलिस्तन के मध्य संघर्ष का मुख्य केंद्र रहा है। वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) की मूल विभाजन योजना के अनुसार, यरुशलम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर (International City) के रूप में प्रस्तावित किया गया था।

- परंतु वर्ष 1948 के प्रथम अरब इज़रायल युद्ध में इज़रायलियों ने शहर के पश्चिमी आधे हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया और जॉर्डन ने पुराने शहर सहित पूर्वी हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया, जिसमें हरम अस-शरीफ का निवास भी शामिल था।
- वर्ष 1967 में अरब-इज़रायल युद्ध के छह दिनों की समयावधि में इजरायली सेना ने सीरिया से गोलन हाइट्स, जॉर्डन से वेस्ट बैंक तथा पूर्वी यरुशलम को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया।
  - इसके बाद इज़रायल ने पूर्वी यरुशलम में बस्तियों का विस्तार किया।
- इज़रायल पूरे यरुशलम शहर को अपनी "एकीकृत, शाश्वत राजधानी" (Unified, Eternal Capital) के रूप में देखता है, जबकि राजनीतिक परिदृश्य में फिलिस्तीनियों के नेतृत्व ने इस बात को सुनिश्चित कर दिया है कि वे भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य हेतु किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि पूर्वी यरुशलम को उसकी राजधानी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।

शेख जर्राह का मुद्दा:

- वर्ष 1948 में जब ऐतिहासिक फिलिस्तीन में इज़रायल राज्य का निर्माण हुआ, तो हज़ारों फिलिस्तीनयों को उनके घरों से ज़बरन बेदखल कर दिया गया था।
  - बेदखल किये गए इन फिलिस्तीनियों के 28 परिवार बसने के लिये पूर्वी यरुशलम में स्थित शेख जर्राह चले गए।
- वर्ष 1956 में जब पूर्वी येरुशलम पर जॉर्डन का शासन था, जॉर्डन के निर्माण और विकास मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी द्वारा शेख जर्राह में इन परिवारों को घरों के निर्माण करने हेतु सहायता उपलब्ध कराई गई लेकिन वर्ष 1967 में इज़रायल द्वारा जॉर्डन के पूर्वी यरुशलम पर कब्ज़ा कर लिया गया।
  - 1970 के दशक के शुरुआती दौर में यहूदी एजेंसियों (Jewish Agencies) द्वारा इन परिवारों से ज़मीन छोड़ने की मांग करना शुरू कर दी गई।
- वर्ष 2021 की शुरुआत में पूर्वी यरुशलम के केंद्रीय न्यायालय ने यहूदी एजेंसियों के पक्ष में अपने निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें न्यायालय ने चार फिलिस्तीनी परिवारों को शेख जर्राह से बेदखल होने के पक्ष में निर्णय दिया था।
- यह समस्या अभी भी अनसुलझी है जो गंभीर बनी हुई है।

इज़रायल-फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत का रुख:

- भारत ने वर्ष 1950 में इज़रायल को मान्यता दी थी लेकिन भारत फिलिस्तीन को फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (Palestine Liberation Organisation- PLO) में एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब देश भी है।
  - भारत वर्ष 1988 में फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने वाले पहले देशों में से एक है।
- वर्ष 2014 में भारत ने गाजा क्षेत्र में इज़रायल के मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच हेतु संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (The United Nations Human Rights Council-UNHRC) के प्रस्ताव का समर्थन किया। जाँच का समर्थन करने के बावजूद, वर्ष 2015 में UNHRC में भारत ने इजरायल के खिलाफ मतदान नहीं किया।
- वर्ष 2018 में लिंक वेस्ट पॉलिसी के रूप में भारत ने दोनों देशों (इज़रायल और फिलिस्तीन) के साथ परस्पर स्वतंत्र और अनन्य व्यवहार करने हेतु अपने संबंधों को डी- हाइफनेटेड (De-Hyphenated) किया गया है।
- जून 2019 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में इज़रायल द्वारा प्रस्तुत किये गए एक निर्णय के पक्ष में मतदान किया, जिसमें एक फिलिस्तीनी गैर-सरकारी संगठन (Palestinian Non-Governmental Organization) को सलाहकार का दर्जा देने पर आपत्ति जताई गई थी।
- अभी तक भारत द्वारा फिलिस्तीन की स्वतंत्रता में अपने ऐतिहासिक नैतिक समर्थक की छवि को बनाए रखने की कोशिश की गई है साथ-ही-साथ इज़रायल के साथ सैन्य, आर्थिक और अन्य रणनीतिक संबंधों में संलग्न होने का प्रयास किया गया है।

'हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी' का 7वाँ संस्करण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी' (IONS) के 7वें संस्करण की मेज़बानी फ्राँसीसी नौसेना द्वारा रीयूनियन द्वीप पर की गई थी।

- यह एक द्विवार्षिक आयोजन है, जिसकी कल्पना भारतीय नौसेना ने वर्ष 2008 में की थी।

प्रमुख बिंदु

परिचय

- 'हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी' (IONS) एक स्वैच्छिक और समावेशी पहल है, जो समुद्री सहयोग को बढ़ाने व क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं को एक साथ लाता है।
- यह प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR) सुनिश्चित करने का भी कार्य करता है।

- 'हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी' (IONS) की अध्यक्षता भारत (2008-10), संयुक्त अरब अमीरात (2010-12), दक्षिण अफ्रीका (2012-14), ऑस्ट्रेलिया (2014-16), बांग्लादेश (2016-18) और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान (2018-21) द्वारा की गई है।
  - फ्राँस ने जून 2021 में दो वर्षीय कार्यकाल के लिये अध्यक्षता ग्रहण की है।

सदस्य देश:

- IONS में 24 सदस्य राष्ट्र शामिल हैं जो हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region- IOR) क्षेत्र की सीमा पर मौजूद हैं तथा 8 पर्यवेक्षक देश शामिल हैं।
- सदस्यों को भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर निम्नलिखित चार उप-क्षेत्रों में बाँटा गया है:
  - दक्षिण एशियाई समुद्र तट: बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, सेशेल्स, श्रीलंका और यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र)।
  - पश्चिम एशियाई समुद्र तट: ईरान, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात।
  - पूर्वी अफ्रीकी समुद्र तट: फ्राँस (रीयूनियन), केन्या, मॉरीशस, मोज़ाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया।
  - दक्षिण-पूर्व एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई समुद्र तट: ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्याँमार, सिंगापुर, थाईलैंड और तिमोर-लेस्ते।

भारत के लिये महत्त्व:

- IONS इस क्षेत्र में भारत की तीन महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करता है:
  - हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों के साथ संबंधों को मज़बूत और गहरा करना।
  - शुद्ध सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider) होने की अपनी नेतृत्व क्षमता और आकांक्षाओं को स्थापित करना।
  - IOR में नियम-आधारित और स्थिर समुद्री व्यवस्था के भारत के दृष्टिकोण को पूरा करना।
- यह भारत को मलक्का जलडमरूमध्य (Straits of Malacca) से होर्मुज़ (Hormuz) तक अपने प्रभाव क्षेत्र को मज़बूत करने में मदद करेगा।
- IONS का उपयोग इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को प्रतिसंतुलित करने के लिये किया जा सकता है।

IOR से जुड़े अन्य महत्त्वपूर्ण समूह/पहल:

- हिंद महासागर रिम एसोसिएशन: हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी।
  - इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय सहयोग और सतत् विकास को मज़बूत करना है।
- हिंद महासागर आयोग: हाल ही में भारत को हिंद महासागर आयोग के पर्यवेक्षक के रूप में अनुमोदित किया गया है, यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जो दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में बेहतर सागरीय-अभिशासन (Maritime Governance) की दिशा में कार्य करता है।
- क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास (SAGAR): इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था।
  - सागर के माध्यम से भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक एवं सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करना चाहता है और उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहता है।
- एशिया अफ्रीका विकास गलियारा: वर्ष 2016 में भारत और जापान द्वारा जारी संयुक्त घोषणा में एशिया अफ्रीका विकास गलियारा (Asia Africa Growth Corridor- AAGC) का विचार उभरा था।
  - AAGC को विकास और सहयोग परियोजनाओं, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचे तथा संस्थागत कनेक्टिविटी, क्षमता व कौशल बढ़ाने जैसे लोगों की भागीदारी के चार स्तंभों पर खड़ा किया गया है।

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का पहला रिस्पांडर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में आपदा प्रबंधन पर विश्व कॉन्ग्रेस (World Congress on Disaster Management- WCDM) के पाँचवें संस्करण को संबोधित किया।

- इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने इस बात को प्राथमिकता देते हुए कहा कि भारत ने बार-बार हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में स्वयं को "प्रथम प्रतिक्रियाकर्त्ता" (First Responder) के रूप में साबित किया है।
- "प्रथम प्रतिक्रियाकर्त्ता" (First Responder) के रूप में भारत की उभरती अवधारणा देश की बढ़ती क्षमता और एक प्रमुख शक्ति की भूमिका ग्रहण करने की बढ़ती इच्छा को दर्शाती है।

आपदा प्रबंधन पर विश्व कॉन्ग्रेस (WCDM):

- आपदा जोखिम प्रबंधन के विभिन्न चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिये विश्व के शोधकर्त्ताओं, नीति निर्माताओं एवं चिकित्सकों को एक मंच पर लाने हेतु यह आपदा प्रबंधन और अभिसरित समाज की एक अनूठी पहल है।

- इसका उद्देश्य जोखिमों को कम करने और आपदाओं के प्रति लचीलापन के लिये जोखिमों एवं अग्रिम कार्यों की समझ बढ़ाने हेतु विज्ञान, नीति तथा प्रथाओं पर बातचीत को बढ़ावा देना है।

प्रमुख बिंदु

- भारत, प्रथम प्रतिक्रियाकर्त्ता के रूप में:
  - अंतर्निहित विज़न: हिंद महासागर के लिये भारत का दृष्टिकोण सागर पहल (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) की अवधारणा से प्रेरित है। सागर में विशिष्ट और अंतर-संबंधित दोनों तत्त्व शामिल हैं जैसे:
    - तटीय राज्यों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करना।
    - भूमि और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये क्षमता बढ़ाना।
    - सतत् क्षेत्रीय विकास की दिशा में कार्य करना।
    - नीली अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक आपदाओं, समुद्री डकैती तथा आतंकवाद जैसे गैर-पारंपरिक खतरों से निपटने के लिये सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना।
  - सक्षम बनाने वाले कारक: हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की अद्वितीय स्थिति, सशस्त्र बलों की क्षमता से पूरित इसे मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) स्थितियों में महत्त्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाती है।
    - क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकटों को रोकने या कम करने में अपने संसाधनों के योगदान से भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक ज़िम्मेदार नेतृत्वकर्त्ता के रूप में अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रहा है।
  - इस पहल की आवश्यकता: भौगोलिक-राजनीतिक परिदृश्य और पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक खतरों को चुनौती देना जिसमें दुनिया के सामने कोविड-19 जैसी प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं।
    - क्षेत्रीय और वैश्विक निहितार्थों के साथ आपदाएँ (चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो, या आकस्मिक वित्तीय संकट) अक्सर बड़े पैमाने पर प्रभाव डालती हैं।
    - नेतृत्वकर्त्ता के रूप में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश करता है क्योंकि छोटे या कम सक्षम राष्ट्रों को सहायता की सख्त ज़रूरत है।
- प्रथम प्रतिक्रियाकर्त्ता के रूप में भारत का प्रकटीकरण:
  - मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) अभियान: भारत विशेषज्ञता और निर्माण क्षमता को साझा करने पर ध्यान देने के साथ अपने पड़ोसियों और मित्र देशों के साथ HADR सहयोग व समन्वय को मज़बूत करने के लिये नियमित रूप से अभ्यास करता रहा है।
    - भारत सरकार और सैन्य बलों ने वर्ष 2004 की सुनामी, वर्ष 2015 के नेपाल भूकंप, आदि जैसे राहत कार्यों में पड़ोसी देशों की मदद करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - डिज़ास्टर रेज़िलिएशन: भारत द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है और अपने मित्र देशों को डिज़ास्टर रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (Disaster Resilient Infrastructure- DRI) की विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है।
    - भारत द्वारा वर्ष 2016 में पहली बार आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure-CDRI) का प्रस्ताव नई दिल्ली में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया गया था।
  - प्रवासी निकासी अभियान: वर्ष 2015 में 'ऑपरेशन राहत' के तहत भारत ने 40 से अधिक देशों के 6,700 लोगों के साथ 1,940 भारतीय नागरिकों को यमन से सुरक्षित बाहर निकाला।
  - गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियाँ: भारतीय नौसेना गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के लिये हिंद महासागर की डिफॉल्ट फर्स्ट रेसपोंडर (Default First Responder) के रूप में उभरी है।
    - वर्ष 2008 से अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती का मुकाबला करने के लिये भारतीय सेना द्वारा लगभग तीस युद्धपोतों को तैनात किया गया, जिन्होंने 1500 से अधिक जहाज़ों को बचा लिया और लगभग तीस समुद्री डकैती के प्रयासों को विफल कर दिया गया।
  - संघर्ष के बाद राहत और पुनर्वास: भारत ने अक्सर संघर्ष के बाद की प्रक्रियाओं से गुज़रने वाले देशों का समर्थन करने में अग्रणी भूमिका निभाई है, इसके लिये संसाधनों और महत्त्वपूर्ण धन की आवश्यकता होती है।
    - उदाहरण के लिये भारत ने संघर्ष के बाद की स्थिति से बाहर निकलने हेतु अफगानिस्तान और श्रीलंका को सहायता प्रदान की।
  - शरणार्थी प्रवाह: जब भी लोग दक्षिण एशिया में अपने जीवन को संकट में देखते हैं, तो वे अक्सर पहले भारत की ओर देखते हैं। भारत ने शरणार्थियों और अल्पसंख्यक आबादी के लिये आपातकालीन सुरक्षित आश्रय प्रदान किया है।

मॉरीशस के अगलेगा द्वीप समूह में भारतीय बेस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मॉरीशस ने एक रिपोर्ट का खंडन किया है कि उसने भारत को अगलेगा (Agalega) के दूरस्थ द्वीप पर एक सैन्य अड्डा बनाने की अनुमति दी है।

- इससे पूर्व एक समाचार प्रसारक द्वारा यह बताया गया था कि अगलेगा द्वीप पर एक भारतीय सैन्य अड्डे के लिये एक हवाई पट्टी और दो जेटी निर्माणाधीन हैं।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2015 में भारत ने अगलेगा द्वीप समूह के विकास के लिये मॉरीशस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
  - यह बाहरी द्वीप में अपने हितों की रक्षा करने में मॉरीशस रक्षा बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिये समुद्री और हवाई संपर्क में सुधार हेतु बुनियादी ढाँचे की स्थापना तथा उन्नयन के लिये प्रदान करता है।
- हालाँकि तब से ट्रांसपोंडर सिस्टम और निगरानी बुनियादी ढाँचे को स्थापित करने में भारतीय नौसेना और तटरक्षकों के हितों के बारे में रिपोर्टें बढ़ रही हैं, जिसके कारण कुछ स्थानीय विरोध हुए हैं।

अगलेगा परियोजना:

- इस परियोजना में एक जेटी का निर्माण, पुनर्निर्माण और रनवे का विस्तार तथा अगलेगा द्वीप पर एक हवाई अड्डे के टर्मिनल का निर्माण शामिल है।
  - 87 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इन परियोजनाओं को भारत द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
- परियोजना में एक नया हवाई अड्डा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक और संचार सुविधाएँ तथा संभावित परियोजना से संबंधित कोई अन्य सुविधाएँ शामिल होंगी।
- अगलेगा द्वीप दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर में मॉरीशस से 1,122 किमी. उत्तर में स्थित है।
  - इसका कुल क्षेत्रफल 27 वर्ग मील (70 वर्ग किमी.) है।

महत्त्व:

- भारत की उपस्थिति को मज़बूत करना:
  - यह दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को मज़बूत करेगा तथा इस क्षेत्र में अपनी शक्ति प्रदर्शन की आकांक्षाओं को सुविधाजनक बनाएगा।
  - भारत दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में और एक खुफिया पोस्ट के रूप में हवाई तथा सतही समुद्री गश्त दोनों की सुविधा के लिये नए आधार को आवश्यक मानता है।
- भू-आर्थिक:
  - एक "केंद्रीय भौगोलिक बिंदु" के रूप में मॉरीशस हिंद महासागर में वाणिज्य और कनेक्टिविटी के लिये महत्त्व रखता है।
  - अफ्रीकी संघ, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन और हिंद महासागर आयोग के सदस्य के तौर पर भी मॉरीशस की भौगोलिक अवस्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण है।
  - 'छोटे विकासशील द्वीपीय देश' (SIDS) के संस्थापक सदस्य के रूप में इसे एक महत्त्वपूर्ण पड़ोसी के रूप में देखा गया है।
- सुरक्षित विदेश व्यापार :
  - भारत का 95% व्यापार मात्रात्मक रूप में तथा 68% व्यापार मूल्य के रूप मं हिंद महासागर से होता है।
  - भारत की कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 80% हिंद महासागर के माध्यम से समुद्र द्वारा आयात किया जाता है। इसलिये हिंद महासागर में उपस्थिति भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- चीन का सामना:
  - चीन के 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' का मुकाबला करने, जो कि हमारे रणनीतिक हितों के लिये खतरा साबित हो सकता है, के लिये भारत को हिंद महासागर के बड़े क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज करना बेहद ज़रूरी हो गया है।
- क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास:
  - इस परियोजना को सागर पहल (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) के तहत अपने पड़ोसी की विकास यात्रा में योगदान करने के भारत के प्रयासों के एक भाग के रूप में देखा जा सकता है।
  - इस परियोजना को भारत और उसके पड़ोसियों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीके के रूप में देखा जा सकता है।
- मॉरीशस के सुरक्षा ढाँचे को बढ़ाना:
  - यह परियोजना अपने बुनियादी ढाँचे में उन्नयन के माध्यम से मॉरीशस सुरक्षा बलों की क्षमताओं को बढ़ाएगी।

चुनौतियाँ:

- विपक्ष का विरोध :
  - मॉरीशस में विपक्ष परियोजना में पारदर्शिता को लेकर चिंता जताता रहा है।
  - मॉरीशस सरकार ने परियोजना को पर्यावरण लाइसेंस प्रक्रिया (EIA clearances) में छूट प्रदान की है।
- स्थानीय लोगों का विरोध :
  - वर्ष 1965 में मॉरीशस की स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटेन ने चागोस द्वीपों को मॉरीशस से अलग कर दिया और यहाँ के निवासियों को ज़बरन स्थानांतरित कर दिया। यहाँ के स्थानीय लोग ऐसी घटनाओं को लेकर चिंतित है।

- फ्राँस, चीन, अमेरिका और यूके जैसी सभी प्रमुख सैन्य शक्तियों के हिंद महासागर में नौसैनिक अड्डे हैं, जिससे यह आशंका पैदा हो रही है कि उनके शांतिपूर्ण द्वीप क्षेत्र का भी सैन्यीकरण किया जाएगा।
- चीन केंद्रित नीतियाँ:
  - हिंद महासागर के उत्तरी हिस्से में चीन की तेज़ी से बढ़ती उपस्थिति के साथ-साथ इस क्षेत्र में चीनी पनडुब्बियों और जहाज़ों की तैनाती भारत के लिये एक चुनौती है।
- अति-उत्साही सुरक्षा नीति:
  - अपने पड़ोसियों के प्रति भारत की एक अति-उत्साही सुरक्षा-संचालित नीति ने अतीत में मदद नहीं की है।
  - मॉरीशस के प्रति भारत को अपने दृष्टिकोण में जलवायु परिवर्तन, सतत् विकास और नीली अर्थव्यवस्था जैसी कुछ सामान्य चुनौतियों पर पुनर्विचार करना चाहिये।

अन्य हालिया घटनाक्रम:

- जुलाई 2021 में भारत और मॉरीशस के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से मॉरीशस में एक सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया।
- फरवरी 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (CECPA) पर हस्ताक्षर करने को मंज़ूरी दी।
- भारत और मॉरीशस ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- मॉरीशस को एक डोर्नियर विमान और एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर ध्रुव पट्टे पर मिलेगा जो इसकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं का निर्माण करेगा।
- दोनों पक्षों ने चागोस द्वीप समूह विवाद पर भी चर्चा की, जो संयुक्त राष्ट्र (UN) के समक्ष संप्रभुता और सतत् विकास का मुद्दा था।
  - वर्ष 2019 में भारत ने इस मुद्दे पर मॉरीशस की स्थिति के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान किया। भारत उन 116 देशों में से एक था, जिसने इस द्वीप समूह पर ब्रिटेन के "औपनिवेशिक प्रशासन" को समाप्त करने के लिये वोटिंग की मांग की थी।
  - भारत द्वारा मॉरीशस को 1,00,000 कोविशील्ड के टीके प्रदान किये गए हैं।

चिली के संविधान का पुनर्लेखन

चर्चा में क्यों?

दक्षिण अमेरिकी देश चिली ने 'जलवायु और पारिस्थितिक आपातकाल' से निपटने के लिये एक नया संविधान लिखने हेतु एक 'संविधान कन्वेंशन' का गठन किया है।

- जैसे-जैसे जलवायु आपदाएँ अपरिहार्य हो जाती हैं, वैसे देश जो पहले से ही संसाधन की कमी (चिली के मामले में जल) से जूझ रहे हैं, उन्हें अपने नागरिकों द्वारा कार्रवाई करने हेतु मज़बूर होना हो रहा है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि
  - चिली के राजनेता देश को समृद्ध बनाने हेतु यहाँ मौजूद लिथियम का लाभ उठाना चाहते हैं। हालाँकि चिली के अधिकांश नागरिक सरकार के दृष्टिकोण से असहमत हैं, क्योंकि अतीत में इसी तरह के उपायों (पानी के निजीकरण सहित) ने उन लोगों को काफी प्रभावित किया था, जिन्हें इन संसाधनों की सबसे अधिक आवश्यकता है।
  - सैन्य शासक 'ऑगस्टो पिनोशे' (जिन्होंने वर्ष 1980 के तख्तापलट में कम्युनिस्ट 'सल्वाडोर अलेंदे' को उखाड़ फेंका था) के नेतृत्व में, चिली ने संसाधनों के शोषण को शुरू किया था।
  - लिथियम खनन में एक समस्या मौजूद है, क्योंकि इसके कारण मिट्टी की नमी कम हो जाती है और दिन के तापमान में वृद्धि होती है जिससे क्षेत्र में सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। जबकि अधिक-से-अधिक लिथियम निकाला जाना भी मनुष्यों के लिये अनुपयुक्त हो सकता है।
- परिचय
  - यह नया संविधान लिथियम खनन और उसके विनियमन पर फोकस करेगा। इसके अलावा यह पूर्वाभास करेगा कि लिथियम खनन से स्वदेशी समुदायों को किस प्रकार लाभ होता है। नए संविधान के निर्माता यह भी आकलन करेंगे कि चिली की राजनीतिक व्यवस्था में सुधार की
  - ज़रूरत है या नहीं।
  - उनका कार्य न केवल यह निर्धारित करेगा कि 19 मिलियन का यह देश किस प्रकार शासित होगा, बल्कि यह एंडीज़ पर्वत के पास स्थित विशाल रेगिस्तान के नीचे खारे पानी में मौजूद नरम, चमकदार धातु- लिथियम के भविष्य का भी निर्धारण करेगा।
  - संविधान का यह पुनर्विक्रय जलवायु आपदाओं की ओर बढ़ रहे विश्व में बदलती प्राथमिकताओं को चिह्नित करता है।
- चुनौतियाँ
  - कई लोगों को डर है कि नया संविधान खनन पर भारी रॉयल्टी और प्रतिबंध लगाएगा तथा स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

- चिली में लिथियम
  - चिली में अत्यधिक लिथियम (ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक) मौजद है, जो कि बैटरी का एक अनिवार्य घटक है और लगभग सभी आधुनिक स्मार्ट उपकरणों में प्रयोग किया जाता है।
  - जैसे-जैसे विश्व स्तर पर जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित किया जा रहा है, लिथियम की मांग और इसकी कीमत में वृद्धि हो रही है।

क्यूबा में विरोध-प्रदर्शन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में क्यूबा में हज़ारों लोग अधिकारों पर लंबे समय से लगे प्रतिबंधों, भोजन और दवाओं की कमी तथा कोविड-19 महामारी के प्रति सरकार की खराब प्रतिक्रिया का विरोध करने के लिये सड़कों पर उतर आए।

- यह कई दशकों बाद कम्युनिस्टों (Communist) द्वारा संचालित सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन है।

प्रमुख बिंदु

आंदोलन की शुरुआत:

- सोवियत संघ या उसके पूर्व सहयोगियों के पतन और शीत युद्ध (Cold War) की समाप्ति (वर्ष 1945-1991) के बाद से क्यूबा में आर्थिक संकट के बीच सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए।
  - क्यूबा में छः दशकों से भी अधिक समय तक साम्यवादी सरकार रही है।
- वर्तमान में क्यूबा, अमेरिकी प्रतिबंधों और कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
- क्यूबा के लोग अर्थव्यवस्था के पतन, भोजन और दवा की कमी, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि तथा महामारी से निपटने में सरकार की असफलता से नाराज़ हैं।
- प्रदर्शनकारियों ने "आज़ादी" के नारे लगाए और राष्ट्रपति मिगुएल डियाज़ कैनेल (Miguel Diaz Canel) से पद छोड़ने की मांग की।
- दूसरी ओर क्यूबा के राष्ट्रपति इस उथल-पुथल के लिये अमेरिका को ज़िम्मेदार मान रहे हैं।
  - उन्होंने क्यूबा पर अमेरिका द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों का आह्वान किया, जिसके परिणामस्वरूप देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई।
- इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका क्यूबा के लोगों की आज़ादी के लिये उनके साथ खड़ा है।

क्यूबा का इतिहास:

- 15वीं शताब्दी से लेकर वर्ष 1898 में स्पेन-अमेरिका युद्ध (Spanish–American War) तक क्यूबा, स्पेन का एक उपनिवेश था, इस युद्ध के बाद क्यूबा पर संयुक्त राज्य अमेरिका का कब्ज़ा हुआ।
  - हालाँकि वर्ष 1902 में इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा संरक्षित राष्ट्र के रूप में नाममात्र स्वतंत्रता प्राप्त हुई।
- वर्ष 1940 में क्यूबा ने अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली को मज़बूत करने का प्रयास किया, किंतु बढ़ती राजनीतिक कट्टरता और सामाजिक संघर्ष के कारण वर्ष 1952 में फुलगेनियो बतिस्ता के नेतृत्त्व में तख्तापलट हुआ और वहाँ तानाशाही शासन स्थापित हो गया।
- फुलगेनियो बतिस्ता के शासन के दौरान बढ़ते भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के कारण जनवरी 1959 में आंदोलन की शुरुआत हुई तथा बतिस्ता को सत्ता से हटा दिया गया, जिसके बाद फिदेल कास्त्रो के नेतृत्त्व में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई।
- वर्ष 1965 से क्यूबा को कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित किया जा रहा है।
- इसके अलावा शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विवाद का प्रमुख विषय क्यूबा था तथा वर्ष 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान दोनों महाशक्तियाँ परमाणु युद्ध की कगार पर मौजूद थीं।
- वर्ष 2019 में क्यूबा में एक नए संविधान को मंज़ूरी दी गई, जो निजी संपत्ति के अधिकार को आधिकारिक मान्यता देता है, जबकि उत्पादन और भूमि के विनियमन पर केंद्र सरकार का अधिकार सुनिश्चित करता है।

रूसी उपकरणों पर भारतीय सैन्य निर्भरता

चर्चा में क्यों?

मिलिट्री बैलेंस 2021 (Military Balance 2021) के अनुसार, भारत के वर्तमान सैन्य शस्त्रागार में रूस-निर्मित या रूसी-तकनीक पर डिज़ाइन किये गए उपकरणों की भारी मात्रा है।

- मिलिट्री बैलेंस दुनिया भर के 171 देशों की सैन्य क्षमताओं और रक्षा अर्थशास्त्र का मूल्यांकन प्रतिवर्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज (वैश्विक थिंक टैंक) द्वारा किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के बारे में:
  - रूसी हथियारों और उपकरणों पर भारत की निर्भरता में काफी गिरावट आई है।

- हालाँकि भारतीय सेना रूसी आपूर्ति वाले उपकरणों के बिना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती और निकट भविष्य में भारत-रूस के मध्य शर्तों के आधार पर हथियार प्रणालियों पर भारत की निर्भरता बनी रहेगी।
- CAATSA रूस से सैन्य हथियार खरीदने वाले देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है।
  - भारत की रूस निर्मित S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने की योजना है, जो CAATSA की धारा 231 के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों को प्रभावित कर सकती है।
  - अमेरिकी प्रशासन की काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सेंक्शंस एक्ट (CAATSA) की समीक्षा की दृष्टि से यह रिपोर्ट महत्त्वपूर्ण है।

- भारत-रूस सैन्य संबंध:
  - भारतीय निर्भरता: स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के अनुसार, वर्ष 2010 से रूस सभी भारतीय हथियारों के आयात में लगभग दो-तिहाई (62%) योगदान करता है।
    - इसके अतिरिक्त भारत सबसे बड़ा रूसी हथियार आयातक रहा है, जो सभी रूसी हथियारों के निर्यात का लगभग एक-तिहाई (32%) है।
  - भारत के लिये अनुकूल रूसी सैन्य निर्यात: भारत में रूस का अधिकांश प्रभाव हथियार प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों को प्रदान करने की उसकी सम्मति के कारण है जिसे कोई अन्य देश भारत को निर्यात नहीं करेगा।
    - अमेरिका केवल C-130j सुपर हरक्यूलिस, C-13 ग्लोबमास्टर, P-8i पोसाइडन आदि जैसी गैर-घातक रक्षा तकनीक प्रदान करता है, जबकि रूस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, S-400 एंटी-मिसाइल सिस्टम जैसी उच्च-स्तरीय तकनीक प्रदान करता है।
    - रूस भी अपेक्षाकृत आकर्षक दरों पर उन्नत हथियार प्लेटफॉर्म की पेशकश करना जारी रखता है।
  - सैन्य सहयोग: रूस से सैन्य हार्डवेयर के लगभग 10,000 उपकरण खरीदे जाते हैं।
    - भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक बल मुख्य रूप से रूसी T-72M1 (66%) और T-90S (30%) से बना है।
    - भारत मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के तहत AK 103 राइफल्स की कीमत पर बातचीत कर रहा है।
  - नौसेना सहयोग: भारतीय नौसेना का एकमात्र परिचालन विमान वाहक एक नवीनीकृत सोवियत युग का जहाज़ (आईएनएस विक्रमादित्य) है। नौसेना के लड़ाकू बेड़े में 43 MiG-29K शामिल हैं।
    - नौसेना के 10 गाइडेड-मिसाइल विध्वंसक में से चार रूसी काशीन श्रेणी के हैं और इसके 17 युद्धपोतों में से छह रूसी तलवार श्रेणी के हैं।
    - नौसेना की एकमात्र परमाणु-संचालित पनडुब्बी रूस द्वारा लीज़ पर दी गई है और सेवारत 14 अन्य पनडुब्बियों में से आठ रूसी मूल की किलो (Kilo) श्रेणी की हैं
  - वायुसेना सहयोग: भारतीय वायुसेना का 667-विमान फाइटर ग्राउंड अटैक (FGA) बेड़ा 71% रूसी मूल (39% Su-30s (सुखोई), 22% MiG-21s, 9% MiG-29s) है।
    - सेवा के सभी छह एयर टैंकर रूस निर्मित IL-78s हैं।
  - मिसाइल सहयोग: देश की एकमात्र परमाणु-सक्षम सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल, ब्रह्मोस रूस के साथ एक संयुक्त उद्यम द्वारा निर्मित है।
    - S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के 2021 तक डिलीवर होने की उम्मीद है।
  - सैन्य अभ्यास: भारत और रूस सैन्य अभ्यास की इंद्र (INDRA) श्रृंखला आयोजित करते हैं, जो वर्ष 2003 में शुरू हुई थी। हालाँकि पहला संयुक्त त्रि-सेवा अभ्यास वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था।

बारबाडोस: दुनिया का सबसे नया गणराज्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बारबाडोस (Barbados) ने आधिकारिक तौर पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) को अपने राष्ट्र के प्रमुख पद से हटा दिया है और देश के ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 वर्षों बाद दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है।

- कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 55 वर्षों बाद ब्रिटेन से अलग होकर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव से मुक्त हो पाया।
- हालाँकि बारबाडोस 54 राष्ट्रमंडल देशों में से एक बना रहेगा।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - बारबाडोस (Barbados):
    - अवस्थिति: यह दक्षिण-पूर्वी कैरेबियन सागर में एक छोटा सा द्वीप देश है।
    - पड़ोसी देश: इसके पड़ोसी देशों में उत्तर में सेंट लूसिया, पश्चिम में सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस तथा दक्षिण में त्रिनिदाद एवं टोबैगो शामिल हैं।
    - राजधानी: ब्रिज़टाउन (Bridgetown)
    - स्वतंत्रता: 30 नवंबर, 1966 को बारबाडोस ने स्वतंत्रता प्राप्त की।

- नेतृत्व:
- डेम सैंड्रा प्रुनेला मेसन (Dame Sandra Prunella Mason) बारबाडोस की वर्तमान राष्ट्रपति हैं।
- मिया अमोर मोटली (Mia Amor Mottley) बारबाडोस की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं।
- कैरेबियन समुदाय (Caribbean Community-CARICOM) का हिस्सा: बारबाडोस कैरिबियन समुदाय (CARICOM) का हिस्सा है, जिसका गठन 1973 में किया गया था।

- बारबाडोस का इतिहास:
  - बारबाडोस पहली बार 1625 में एक ब्रिटिश उपनिवेश बना। यह 400 से अधिक वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहा, व्यापार, वाणिज्य और शोषण जैसी गतिविधियों को ब्रिटिश वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद ने सदियों से बढ़ावा दिया।
- कैरेबियन इतिहास कुछ सबसे संस्थागत और अदृश्य भयावहता (दासता, गिरमिटिया मज़दूर, लोकतंत्र की कमी) का गढ़ था।

टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) की एक संयुक्त पहल टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (TIWB) को भूटान में शुरू किया गया।

- भारत को इसमें भागीदार के रूप में चुना गया है। भारत ने इस कार्यक्रम के लिये कर-विशेषज्ञ उपलब्ध कराए हैं।

प्रमुख बिंदु

- यह कार्यक्रम लगभग 24 महीने की अवधि का है।
- इसका उद्देश्य कर लेखा परीक्षकों को तकनीकी जानकारी और कौशल हस्तांतरित कर सर्वोत्तम लेखापरीक्षा प्रथाओं को साझा करके कर प्रशासन को मज़बूत करने में भूटान की सहायता करना है। कार्यक्रम का फोकस अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण तथा मूल्य निर्धारण के क्षेत्र पर होगा।
- स्थानांतरण मूल्य, जिसे स्थानांतरण लागत के रूप में भी जाना जाता है, वह मूल्य है जिस पर संबंधित पक्ष एक-दूसरे के साथ लेन-देन करते हैं, इसमें विभागों के बीच आपूर्ति या श्रम के व्यापार के दौरान होने वाला लेन-देन शामिल है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने को कम कर क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिये हस्तांतरण कीमतों में हेरफेर कर सकती हैं।
- यह कार्यक्रम भारत और भूटान के बीच निरंतर सहयोग और दक्षिण-दक्षिण सहयोग हेतु भारत के निरंतर तथा सक्रिय समर्थन में एक और मील का पत्थर है।

टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स (TIWB)

- TIWB एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है।
- यह दुनिया भर में विकासशील देशों की लेखापरीक्षा क्षमता और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुपालन को मज़बूत करने के लिये जुलाई 2015 में शुरू की गई एक संयुक्त ओईसीडी / यूएनडीपी पहल है।
- यह पूरे अफ्रीका, एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के विकासशील देशों में योग्य विशेषज्ञों को नियुक्त करता है ताकि ऑडिट, आपराधिक कर जाँच और स्वचालित रूप से आदान-प्रदान की गई जानकारी के प्रभावी उपयोग के क्षेत्रों में कर क्षमता का निर्माण किया जा सके।
- TIWB की सहायता से दुनिया के कुछ सबसे कम विकसित देशों में घरेलू संसाधन जुटाने में वृद्धि हुई है।

नया क्वाड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत, अमेरिका, इज़रायल और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने एक वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक पश्चिम एशियाई भू-राजनीति में बदलाव और मध्य पूर्व में एक अन्य क्वाड जैसे समूह के गठन की एक मज़बूत अभिव्यक्ति है।

- इस नए समूह में भारत की भागीदारी उसकी विदेश नीति में बदलाव को दर्शाती है।

प्रमुख बिंदु

- नए समूहीकरण हेतु उत्तरदायी कारक:
  - अब्राहम समझौता: अब्राहम एकॉर्ड के माध्यम से इज़रायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की बहाली के बाद नया समूह संभव है।
  - तुर्की के क्षेत्रीय प्रभुत्व से मुकाबला करना: इस्लामिक जगत के नेतृत्व हेतु तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन के मुखर दावों के बीच इस नए क्वाड को भारत, संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल के बीच हितों के अभिसरण का परिणाम कहा जा सकता है।
  - एशिया के लिये अमेरिका की महत्त्वपूर्ण भूमिका: चीन के प्रभुत्व से निपटने हेतु अमेरिका स्पष्ट रूप से मध्य पूर्व में अपने पदचिह्न को कम करने और एशिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

- चीन की बढ़ती मुखरता को रोकने के लिये अमेरिका ने अपनी 'एशिया नीति' के तहत क्वाड पहल और इंडो पैसिफिक नैरेटिव आदि को लॉन्च किया है।

- भारत के लिये महत्त्व
  - एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण की ओर बदलाव: चार देशों की बैठक से पता चलता है कि भारत अब अलग-अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की बजाय एक एकीकृत क्षेत्रीय नीति की ओर अलग-अलग बढ़ने के लिये तैयार है।
  - पश्चिम की ओर भारत का झुकाव: जिस तरह से 'इंडो-पैसिफिक' ने पूर्व में भारत के दृष्टिकोण में बदलाव किया है, उसी प्रकार 'ग्रेटर मिडिल ईस्ट' की धारणा पश्चिम में विस्तारित पड़ोसी देशों के साथ भारत के जुड़ाव को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है।
  - पाकिस्तान का मुकाबला करना: इसके अलावा नया समूह तुर्की के साथ पाकिस्तान के बढ़ते संरेखण और अरब की खाड़ी में अपने पारंपरिक रूप से मज़बूत समर्थकों- संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से अलग होने से भी प्रेरित है।
  - गहराते संबंध: पिछले कुछ वर्षों में भारत ने नए समूह में सभी देशों के साथ जीवंत द्विपक्षीय संबंध बनाए हैं।
    - यह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ क्वाड का सदस्य है, जिनकी पूर्वी एशिया में समान चिंताएँ और साझा हित हैं।
    - इज़राइल भारत के शीर्ष रक्षा आपूर्तिकर्त्ताओं में से एक है।
    - UAE, भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है और लाखों भारतीय कामगारों की मेज़बानी करता है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रथम 2+2 वार्ता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों ने नई दिल्ली में पहली भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में हिस्सा लिया।

- उद्घाटन संवाद 2021 में भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल लीडर्स समिट के दौरान दोनों देशों के नेता भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के लिये सहमत हुए।

टू-प्लस-टू वार्ता

- 2+2 वार्ता दोनों देशों के मध्य उच्चतम स्तर का संस्थागत तंत्र है।
- 'टू-प्लस-टू वार्ता' भारत-अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के नेतृत्त्व में आयोजित की गई।
- भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ 'टू-प्लस-टू' स्तर की वार्ता आयोजित की जाती है।

कॉन्ग्रेशनल गोल्ड मेडल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अहिंसा के मार्गों के माध्यम से महात्मा गांधी को उनके योगदान के लिये मरणोपरांत कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित करने हेतु अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव फिर से पेश किया गया है।

- यदि पुरस्कार दिया जाता है, तो महात्मा गांधी कांग्रेशनल गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल अमेरिका में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।

प्रमुख बिंदु

पुरस्कार के बारे में :

- अमेरिकी कॉन्ग्रेस (विधायिका) ने विशिष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिये राष्ट्रीय प्रशंसा की अपनी सर्वोच्च अभिव्यक्ति के रूप में स्वर्ण पदकों को कमीशन किया है।
- पदक के पहले प्राप्तकर्त्ता अमेरिकी क्रांति (1775-83), 1812 के युद्ध और मैक्सिकन युद्ध (1846-48) के प्रतिभागी थे।
- कुछ अन्य क्षेत्रों में अग्रदूतों के बीच अभिनेताओं, लेखकों, मनोरंजनकर्त्ताओं, संगीतकारों, खोजकर्त्ताओं, एथलीटों, मानवतावादियों और विदेशी प्राप्तकर्त्ताओं को शामिल करने के लिये इसका दायरा बढ़ाया गया था।
- यह 1980 की अमेरिकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टीम, रॉबर्ट एफ कैनेडी, नेल्सन मंडेला और जॉर्ज वाशिंगटन सहित कई अन्य लोगों को प्रदान किया गया है।
- हाल ही में यूएस कैपिटल पुलिस को 6 जनवरी, 2021 को हुए हमले एवं घेराबंदी से यूएस कैपिटल की रक्षा करने वालों को पदक प्रदान किया गया था।

सेंट क्वीन केटेवन के अवशेष: जॉर्जिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने 17वीं सदी की सेंट क्वीन केटेवन के पवित्र अवशेषों का एक हिस्सा जॉर्जिया की सरकार को उपहार में दिया है।

- ये अवशेष भारत के विदेश मंत्री की जॉर्जिया की पहली यात्रा के अवसर पर उपहार में दिये गए हैं।
- जॉर्जिया रणनीतिक रूप से एक महत्त्वपूर्ण देश है, जो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के इंटरसेक्शन पर स्थित है।

प्रमुख बिंदु

सेंट क्वीन केटेवन के विषय में

- रानी केटेवन पूर्वी जॉर्जिया के एक राज्य काखेती से थीं।

- ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1624 में शिराज (आधुनिक ईरान) में इस्लाम में परिवर्तित न होने के कारण उनकी हत्या कर दी गई थी।
- उनके अवशेषों के कुछ हिस्सों को 1627 में ऑगस्टीन भिक्षुओं द्वारा गोवा लाया गया था।
- क्वीन केटेवन के यही अवशेष भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा वर्ष 2005 में गोवा में सेंट ऑगस्टीन चर्च के खंडहर में खोजे गए थे।
- जॉर्जिया के लोगों की कई ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाएँ सेंट क्वीन केटेवन से जुड़ी हुई हैं।

सेंट ऑगस्टीन चर्च

- सेंट ऑगस्टीन चर्च गोवा में स्थित एक खंडहर चर्च परिसर है।
- इस चर्च का निर्माण कार्य वर्ष 1602 में ऑगस्टीन भिक्षुओं द्वारा पूरा किया गया था, जो वर्ष 1587 में गोवा पहुँचे थे।
- वर्ष 1835 में गोवा की पुर्तगाली सरकार द्वारा अपनाई गई नवीन दमनकारी नीतियों के तहत गोवा में कई धार्मिक पवित्र स्थानों में धार्मिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया और इसका प्रभाव सेंट ऑगस्टीन चर्च पर भी पड़ा।
- इसके परिणामस्वरूप यह परिसर वह वर्ष 1842 में खंडहर में परिवर्तित हो गया।
- यह गोवा के चर्चों और मठों का एक हिस्सा है, जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है।

भारत-जॉर्जिया संबंध:

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: ऐसा माना जाता है कि भारत के पंचतंत्र की दंतकथाओं ने जॉर्जियाई लोक कथाओं को प्रभावित किया है।
  - मध्ययुगीन काल में मिशनरियों, यात्रियों और व्यापारियों द्वारा उन संपर्कों को और मज़बूत किया गया था।
- हाल की यात्रा: भारत, जॉर्जिया में और अधिक निवेश करने को तैयार था, जो ईज ऑफ डूइंग सूचकांक में उच्च स्थान पर है।
  - जॉर्जिया ने यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिये भी आवेदन किया है, जिसे अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो यह भारत को यूरोप के लिये एक और प्रवेश द्वार तथा काकेशस में कदम जमाने का अवसर देगा।
- रूस और जॉर्जिया के बीच शत्रुतापूर्ण संबंधों को देखते हुए इस यात्रा का राजनीतिक महत्त्व भी है।
  - भारत ने रूस को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह रूस के विदेश मंत्री की हाल की पाकिस्तान यात्रा से खुश नहीं है।

काकेशस (Caucasus):

- यह पर्वत प्रणाली और क्षेत्र, काला सागर (पश्चिम) एवं कैस्पियन सागर (पूर्व) के बीच स्थित है तथा रूस, जॉर्जिया, अज़रबैजान एवं आर्मेनिया के कब्ज़े में है।

परमाणु शस्त्रागार का वैश्विक विस्तार: SIPRI रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित SIPRI इयरबुक (SIPRI Yearbook) 2021 के अनुसार, विश्व स्तर पर तैयार और तैनात परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि हुई है।

- SIPRI इयरबुक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (Stockholm International Peace Research Institute- SIPRI) द्वारा जारी की जाती है जो अंतर्राष्ट्रीय आयुध और संघर्ष पर शोध करता है।
- SIPRI "ईयरबुक 2021" हथियारों, निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का आकलन करता है।

प्रमुख बिंदु

नौ परमाणु शस्त्र संपन्न देश:

- अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्राँस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इज़राइल तथा उत्तरी कोरिया विश्व के 9 परमाणु हथियार संपन्न देश हैं।
  - इन देशों के पास वर्ष 2021 की शुरुआत में अनुमानित 13,080 परमाणु हथियार थे।
  - रूस और अमेरिका के पास कुल मिलाकर 90% से अधिक वैश्विक परमाणु हथियार हैं और साथ ही वे व्यापक और महँगे आधुनिकीकरण कार्यक्रम भी चल रहे हैं।
    - अमेरिका और रूस दोनों ने न्यू स्टार्ट (New START) संधि के विस्तार को मंज़ूरी दे दी है।
- चीन के परमाणु शस्त्रागार में वर्ष 2020 की शुरुआत में 320 से ऊपर 350 वॉरहेड शामिल थे।
  - चीन की स्थिति एक महत्त्वपूर्ण आधुनिकीकरण और परमाणु हथियार सूची के विस्तार के बीच स्थित है।
- वर्ष 2021 की शुरुआत में भारत के पास 156 परमाणु हथियार हैं, जो कि पिछले वर्ष (2020) की शुरुआत में 150 थे, वहीं पाकिस्तान के पास पिछले वर्ष 160 थे जो अब 165 हो गए हैं।
  - भारत और पाकिस्तान नई प्रौद्योगिकियों एवं क्षमताओं की तलाश कर रहे हैं जो परमाणु सीमा के तहत एक-दूसरे की रक्षा को खतरनाक रूप से कमज़ोर करती हैं।
- पारदर्शिता का निम्न स्तर: परमाणु शस्त्रागार की स्थिति और परमाणु-सशस्त्र राज्यों की क्षमताओं पर उपलब्ध विश्वसनीय जानकारी की स्थिति भी काफी भिन्न है।

सबसे बड़ा सैन्य खर्च:

- वर्ष 2020 में कुल खर्च में वृद्धि काफी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन (क्रमश: पहले और दूसरे सबसे बड़े खर्च करने वाले) के व्यय पैटर्न से प्रभावित थी।
- वर्ष 2020 में 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के खर्च में 2.1% की वृद्धि हुई, जिसने भारत को विश्व में तीसरे सबसे बड़े सैन्य ऋणदाता के रुप में स्थान दिया।

प्रमुख हथियारों के आयातक:

- SIPRI ने वर्ष 2016-20 में 164 राज्यों को प्रमुख हथियारों के आयातक के रूप में पहचाना।
- पाँच सबसे बड़े हथियार आयातक देश थे- सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया एवं चीन और कुल हथियारों के आयात में इनका हिस्सा 36% था।
- क्षेत्रवार: वर्ष 2016-20 के दौरान प्रमुख हथियारों की आपूर्ति की सबसे बड़ी मात्रा प्राप्त करने वाला क्षेत्र एशिया और ओशिनिया था, जो वैश्विक कुल आपूर्ति का 42% था, इसके बाद मध्य पूर्व का स्थान है जिसे 33% हिस्सा प्राप्त हुआ।

प्रमुख हथियारों के आपूर्तिकर्त्ता:

- वर्ष 2016-20 के दौरान पाँच सबसे बड़े आपूर्तिकर्त्ताओं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्राँस, जर्मनी और चीन का प्रमुख हथियारों के निर्यात में हिस्सा 76% था।

सशस्त्र संघर्ष के हालिया उदाहरण:

- कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय संघर्ष। वर्ष 2020 में स्थिति बड़े पैमाने पर सशस्त्र हिंसा की अपेक्षा निम्न स्तर की यथास्थिति में वापस आ गई।
- जून 2020 में पाँच दशकों में पहली बार कश्मीर के विवादित पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन और भारत के बीच सीमा तनाव घातक हो गया।
- नवंबर 2020 में उत्तरी इथियोपिया के टाइग्रे क्षेत्र (Tigray Region) में संघीय सरकारी बलों और टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के बीच एक नया सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए और 46,000 से अधिक शरणार्थियों को पूर्वी सूडान में भागने के लिये मजबूर होना पड़ा।

परमाणु हथियार

इसके बारे में:

- परमाणु हथियार एक उपकरण है जिसे परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन या दोनों के संयोजन के परिणामस्वरूप विस्फोटक तरीके से ऊर्जा जारी करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- विखंडन हथियारों को आमतौर पर परमाणु बम के रूप में जाना जाता है, और संलयन हथियारों को थर्मोन्यूक्लियर बम या सामान्यत: हाइड्रोजन बम के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में हुए बम धमाकों में इनका इस्तेमाल किया गया।

परमाणु प्रसार और परीक्षण को रोकने वाली संधियाँ

- परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि (NPT)।
- वायुमंडल के बाहरी अंतरिक्ष में और पानी के नीचे परमाणु हथियार परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि जिसे आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (Partial Test Ban Treaty- PTBT) के रूप में भी जाना जाता है।
- व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty- CTBT) पर वर्ष 1996 में हस्ताक्षर किये गए थे, लेकिन यह अभी तक लागू नहीं हुई है।
- परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि (TPNW) जो 22 जनवरी, 2021 को लागू हुई।

अन्य संबंधित पहलें:

- परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के खिलाफ हेग आचार संहिता और वासेनर अरेंजमेंट।

भारत का परमाणु हथियार कार्यक्रम:

- भारत ने मई 1974 में अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण किया और परमाणु हथियारों के अप्रसार संधि (NPT) और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) दोनों से बाहर है।
- हालाँकि भारत का अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ एक सुविधा-विशिष्ट सुरक्षा उपाय समझौता है और उसे परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) से छूट मिली है जो इसे वैश्विक नागरिक परमाणु प्रौद्योगिकी वाणिज्य में भाग लेने की अनुमति देता है।
- इसे वर्ष 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) में वर्ष 2017 में वासेनर अरेंजमेंट और वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया समूह में एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।
- भारत ने परमाणु हथियारों के पहले प्रयोग नहीं करने की अपनी आधिकारिक प्रतिबद्धता को बनाए रखा है।